लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

6th
LOK SABHA DEBATES

Fifth Session

[पांचवा सत्र]

[खंड 16 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

: चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9, वीरवार, 27 जुलाई, 1978/5 श्रावण, 1900 (शक)
No. 9, Thursday July 27, 1978/Sravana 5, 1900 (saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 163 से 168	*Starred Questions Nos. 163 to 168	1—12
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:	13—119
तारांकित प्रश्न संख्या 169 से 179, 181 से 182	Starred Questions Nos. 169 to 179, 181 and 182	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1601 से 1628, 1630 से 1748 और 1750 से 1768	Unstarred Questions Nos. 1601 to 1628, 1630 to 1748 and 1750 to 1768	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the table	120—121
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	121
अतारांकित प्रश्न संख्या 425 का गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर और भूतपूर्व प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना के बारे में इस्पात और खान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement by Member re. Answer given to USQ No. 425 by Minister of State for Home Affairs and Statement made by Minister of Steel and Mines regarding setting up of a special court for trial of the former Prime Minister	122—127
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar	122
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	127
अविलंबनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	128—129
बंगलादेश के चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र से त्रिपुरा राज्य में हजारों आदिवासी शरणार्थियों के आने का समाचार	Reported influx of tribal refugees into Tripura from Chittagong Hill tract of Bangladesh	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	128
श्री समरेन्द्र कुन्डु	Shri Samarendra Kundu	129

किसी नाम पर अंकित † यह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	
20वां प्रतिवेदन	Twentieth Report	129
नियम 377 के अधीन मामले—	Matter under rule 377	130—131
(एक) बड़े उद्योगों द्वारा हानिकर पदार्थों के निस्राव के कारण नदियों और वातावरण के प्रदूषण का समाचार	(i) Reported pollution of rivers and atmosphere by harmful effluents and gases	
श्री सुरेन्द्र विक्रम	Shri Surendra Bikram	130
(दो) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली की खड़ी फसल पर कीटनाशी दवाई की हवाई छिड़काव की आवश्यकता	(ii) Need for aerial spray of pesticides on standing ground nut crops in Saurashtra	
श्री धर्मसिंहभाई पटेल	Shri Dharamsinghbhai Patel	130
(तीन) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक आई० ए० एस० उपसचिव के निलंबन का समाचार	(iii) Reported suspension of a Deputy Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting	
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Mallikarjun	130
(चार) समस्त मणिपुर घाटी को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करने का समाचार	(iv) Declaration of entire Manipur Valley as a disturbed area	
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	131
(पांच) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त श्री एन० जी० गोरे और लार्ड माउन्टबेटन के बीच हुआ पत्र-व्यवहार	(v) Correspondence between Shri N. G. Goray, High Commissioner for India in U. K. and Lord Mountbatten re. death of Netaji Subhas Chandra Bose	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	131
पासपोर्ट (संशोधन विधेयक), 1978	Passports (Amendment) Bill, 1978	131
विचार किये जाने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री समरेन्द्र कुन्डु	Shri Samarendra Kundu	131
श्री बी० रचैया	Shri B. Rachaiah	132
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	133
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	134
श्री दुर्गाचन्द	Shri Durga Chand	135
श्री भगत राम	Shri Bhagat Ram	135

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री अनन्त दवे	Shri Anant Dave .	135
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri A. Bala Pajanor .	135
श्री निर्मल चन्द्र जैन	Shri Nirmal Chander Jain .	136
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	136
श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा	Shri Padmacharan Samanta-sinhera . .	137
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G.M. Banatwalla .	137
श्री बृजभूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	138
श्री ए० वी० पी० असाइथाम्बी	Shri A.V. P. Asaithambi	138
श्री महीलाल	Shri Mahi Lal . . .	138
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M.Ram Gopal Reddy .	139
श्री जी० एस० रेड्डी	Shri G.S. Reddy .	139
श्री लक्ष्मीनारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	139
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	139
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	140
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh .	140
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	140
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan	141

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 27 जुलाई, 1978/5 श्रावण, 1900 (शक)

Thursday, July 27, 1978/Sravana 5, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जम्मू और काश्मीर के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी

*163. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में जारी की गई टेलीफोन डायरेक्टरी त्रुटियों और भूल-चूकों से भरी पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस डायरेक्टरी को वापिस लेगी और एक नई डायरेक्टरी जारी करेगी?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) सूचना पृष्ठों के छप जाने के बाद श्रीनगर के टेलीफोन नम्बरों में कुछ परिवर्तन किये जाने के कारण, इस पृष्ठ के इन्दराजों में कुछ गल्तियां हैं। एक परिशिष्ट छापा जा रहा है जिसमें अद्यतन जानकारी है। यह परिशिष्ट उपभोक्ताओं को बांट दिया जाएगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं इस सम्बन्ध में आपकी मदद चाहता हूं क्योंकि जो उत्तर दिया गया है वह केवल गलत ही नहीं है वरन् गुमराह करने वाला है। यह बताया गया है कि छपने की प्रक्रिया में होने के कारण केवल एक पृष्ठ में गलतियां हैं और कुछ नम्बर छपने से रह गए हैं।

आशा है मंत्री महोदय ने डायरेक्टरी देखी होगी। उसकी पृष्ठ 1 और 2 या श्रीनगर एम्बुलेन्स के लिए अलग-अलग नम्बर दिए गए हैं।

उनका यह कहना कि छपाई की कुछ गलतियां हैं, गलत है।

इतना ही नहीं, अनेकों नम्बर उसमें हैं ही नहीं, यहां तक कि इन्डियन एयरलाइन्स, हवाई अड्डा, अस्पतालों, रेलवे, बिजली विभाग, टेलिग्राफ और टेलीफोन आदि के नम्बर भी वहां नहीं हैं। कुछ हैं भी तो गलत हैं।

फिर वे कहते हैं कि गलती एक पृष्ठ में ही है। वहां संसद सदस्य, विधान मण्डल सदस्यों आदि के नाम हैं पर टेलीफोन नम्बर नहीं। इसका अर्थ है गलती एक पृष्ठ पर नहीं वरन् समूची डायरेक्टरी गलतियों से भरी पड़ी है।

यह टेलीफोन विभाग की अकुशलता का प्रतीक है। और मैं उत्तर से सन्तुष्ट नहीं। क्या गलती एक पृष्ठ पर ही है या अन्य पृष्ठों पर भी हैं?

SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI : On page one we have not corrected 7 digits. .....

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि अनेकों गलतियां हैं। उन्हें देख कर यदि आवश्यक हो तो दोबारा आप क्यों नहीं छपाते।

SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI : Let me conscience him first. We have not corrected page 1 and 2. We are issuing a supplement to that. So far as MPs and MLA are concerned we give separate list for U.I.Ps. The page he has pointed out only the such names have been given who has not taken phone. After that in an alphabatical list their names have been given along with the telephone manuals.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप संसद सदस्यों आदि की अलग सूची देते हैं तो उनका नाम वर्णानुक्रम से होने की क्या आवश्यकता है। लगता है आप सही रूप में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। कृपया मामले की आवश्यक जांच कराइए।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरा अनुरोध है कि इस डायरेक्टरी को वापिस ले लिया जाए।

संचार मन्त्री (श्री बृजलाल वर्मा) : मैं मानता हूं कि गलतियां हैं। हम उसे सही कर समस्या को हल करेंगे।

राज्यों के उद्योग मंत्रियों की बैठक

*164. **श्री भगत राम** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की बढ़ती हुई कीमतों के कारण लघु उद्योग के सामने उपस्थित गम्भीर स्थिति पर विचार करने के लिए पंजाब के उद्योग मंत्री ने राज्यों के उद्योग मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए उनसे अनुरोध किया था, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) इसकी बजाय मैंने 27 जून, 1978 को राज्य लघु उद्योग निगमों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी।

SHRI BHAGAT RAM : Sir, Small Scale Industries are facing great crisis due to increase in the prices of steel as a result of which the prices of products manufactured by them have also increased considerably. One the one hand the general public is experiencing difficulty, and on the other hand the internal and external demand of these commodities has come down. It is likely to result in less production and increase in unemployment in the country. May I know from the hon. Minister of Steel whether he will reduce the prices of steel to save the small scale industries?

अध्यक्ष महोदय : क्या लघु उद्योगों को मदद देने के लिए इस्पात का मूल्य घटाया जाएगा ?

श्री बीजू पटनायक : पहली बार लघु उद्योगों को इस्पात स्टाकयार्ड मूल्य से 40 रु० प्रतिटन कम पर मिलेगा। इसी प्रकार लघु उद्योग निगम को इस्पात की सप्लाई बढ़ा कर 4,38,741 टन कर दी गई है। निगम की इस शिकायत पर कि हम स्थिति से नहीं निपट सकते, हमने जांच के लिए एक पैनल की स्थापना की है। सभी प्रकार मार्ग व्यय आदि उनसे नहीं लिया जाएगा, जिससे उन्हें हानि न हो। वे अपना निष्कर्ष शीघ्र देंगे। और इसके परिणाम स्वरूप निश्चित मूल्य लघु उद्योग निगम पर 5-6-78 से लागू होगा।

SHRI BHAGAT RAM : May I know the extent of increase in the prices of steel products, the extent of decrease in the internal consumption and export thereof and the number of workers rendered jobless due to increase in the prices of steel.

श्री बीजू पटनायक : मैं इतना कह सकता हूं कि उन्हें 40 रु० प्रति टन सस्ता इस्पात मिल रहा है। उत्पादन घटने पर उन्हें अधिक सप्लाई कैसे की जा सकती है।

SHRI BHAGAT RAM : Sir, my question has not been replied to properly. I have asked as to what extent the prices of steel products have increased, the internal consumption and export thereof has declined and the number of workers rendered jobless due to increase in the prices of steel.

श्री बीजू पटनायक : मैं बता चुका हूं कि उनकी सप्लाई बढ़ा कर 4,38,741 टन कर दी गई है। इससे उत्पादन घटने और लोगों के बेकार होने का संकेत नहीं मिलता। बल्कि दोनों के बढ़ने का संकेत ही होता है।

DR. RAMJI SINGH : On the one hand Government are trying to keep stable the prices of agricultural products but on the other hand the prices of industrial products are increasing and the prices of steel have been increased with the approval of Government. Whether, such type of imbalance will not affect the economy of India particularly rural economy of the country.

श्री बीजू पटनायक : हमारे यहां इस्पात का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में बहुत कम है। यह कहना कि इससे ग्रामीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, गलत है। यह विचार तथ्यों पर आधारित नहीं है।

श्री एस० आर० दामानी : इस्पात की वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि और इनकी कमी का कारण इस्पात के उत्पादन की कमी है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए कब तक उत्पादन में वृद्धि शुरू होगी ?

श्री बीजू पटनायक : देश के उत्पादन से इस्पात की पूर्ति करना कभी सैम्भव नहीं है। संसार में कहीं भी ऐसा नहीं है। परन्तु हम अपने उत्पादन से आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। जहां कमी है वहां हम आयात कर रहे हैं। आजकल हम सभी प्रकार की विशेष इस्पात आयात कर रहे हैं।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना

*165. **श्री पी० जी० मावलंकर**
श्री के० प्रधानी } : **क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं तैयार करें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटा ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने किन कारणों से ऐसा परिपत्र राज्य सरकारों को भेजा है और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पूरे देश से बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) :

(a) Yes, Sir.

(b) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 provides for the abolition of the bonded labour system. It envisages preventive, regulatory and protective measures for this purpose. Administration of the Act is the responsibility of the State Governments. Almost all the State Governments which have reported the incidence of the bonded labour system have empowered the District Magistrates to take appropriate action in cases of violation of the provisions of the Act and have set up Statutory Vigilance Committees at District and Block levels in this connection. The State Governments have also been urged to educate the rural masses in regard to the provisions of the legislation through information and publicity media. Work-shops at the national and rural education camps at the District level are being held by the National Labour Institute to create an awareness of the need for eradicating the evil of bonded labour and to suggest measures which may be taken for this purpose.

In the task of rehabilitation of released bonded labour to be undertaken in the wake of implementation of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, the State Governments experienced financial and operational limitations under the on-going schemes and represented that Central assistance might be provided to expedite the process of rehabilitation. A Centrally Sponsored Scheme has been drawn up accordingly with an initial provision of Rs. One crore for the current year with a view to assisting the State Governments on a matching-grant basis in implementing their schemes of rehabilitation of the released bonded labour. The scheme, to be drawn up by the State Governments, may be (a) land-based; (b) non-land based; and (c) skill/craft-based, depending upon local needs and conditions. Guidelines for preparing the schemes, which have been drawn up in consultation with the State Governments, the Planning Commission and the concerned Central Ministries/Departments, have been circulated to the State Governments.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : बंधुआ मजदूर अब भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। कितने लोगों को बंधुआ मजदूरी से छुड़ाया गया तथा इसके आंकड़े इकट्ठा करने का क्या तरीका ? फिर आप कैसे कहते हैं कि वे छुटकारा पा गए ? कितनी सरकारों ने उन्हें काम पर लगाने के लिए आवश्यक अनुदान मांगा। वे क्या दिशा निर्देश हैं तो इस सम्बन्ध में दिए गए हैं ?

SHRI LARANG SAI : This year the rehabilitated about ten thousand bonded labourers : 1,04,749 bonded labourers were released and 31,844 were settled. For collective this information vigilance committees have been appointed at district level and block level. Committees look after the release and rehabilitation of these bonded labourers.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : गांधी शान्ति प्रतिष्ठान में एक गोष्ठी में श्री वर्मा ने कहा था कि भारत में 99,000 बंधुआ मजदूर हैं। इनमें से 97,600 को छुटकारा दिलाया जा चुका है। इनमें से 23,800 लोगों को बहाल किया जा चुका है । नवम्बर, 1977 में हुई एक संगोष्ठी में यह आंकड़े दिये गये थे।

आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक तथा उत्तर-प्रदेश में सबसे अधिक बंधुआ मजदूरों को रिहा किया गया है। कर्नाटक में 62,000 बंधुआ मजदूरों को रिहा किया गया तथा उत्तर-प्रदेश में 19,000 मजदूरों को रिहा किया गया। अन्य राज्यों में बहुत ही कम मजदूरों को रिहा किया गया। क्या इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बंधुआ मजदूर सबसे अधिक उत्तर-प्रदेश तथा कर्नाटक में ही थे, अन्य राज्यों में नहीं थे? मेरा प्रश्न यह है कि क्या बंधुआ मजदूरों का, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उनका पता लगाने के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। यदि नहीं, तो क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार का सर्वे अब किया जाये ताकि इस देश के असंख्य बंधुआ मजदूर जिन्हें कम भुगतान किया जा रहा है, अधिक घंटे कार्य करना पड़ रहा है तथा जिनके लिए कोई विनिधान नहीं है, आराम करने की व्यवस्था नहीं है, की सही संख्या का पता लगाया जा सके। यह एक प्रकार की गुलामी ही है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यही कहूंगा कि मेरे सहयोगी मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देने में पूर्णतया सक्षम हैं। परन्तु चूंकि आपने विशेष रूप से मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं ही इसका उत्तर दूंगा।

मैंने गांधी शान्ति प्रतिष्ठान में उत्तर देते समय मैंने जो कुछ इस समस्या के बारे में कहा था, वही अब कहना चाहूंगा। मेरे मित्र यह जानना चाहते हैं कि हमने बंधुआ मजदूरों की संख्या का पता लगाने के लिए व्यापक सर्वेक्षण के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिसके आधार पर इस समस्या के बारे में सही रूप से अंदाजा लगाया जा सके परन्तु इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य महोदय से यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसा सर्वेक्षण उतना ही भारी भरसक कार्य होगा जैसा कि जनगणना का कार्य है क्योंकि इसके लिए भी कई गांवों का भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए बंधुआ मजदूरों का पता लगाने सम्बन्धी कार्य भी लगभग जनगणना करने के कार्य की तरह ही करना होगा। 30 सैंकड़ा वाला जो उदाहरण सर्वे किया जा रहा है, उसमें इसके बारे में कुछ विशिष्ट प्रश्न उठाये जा रहे हैं और हमें आशा है कि इस सर्वेक्षण के अन्त तक हमें देश के विभिन्न भागों के बंधुआ मजदूरों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जायेगी। परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इसका प्रशासनिक दायित्व राज्यों का ही है और राज्यों द्वारा इनके द्वारा दिये गये आंकड़ों में इतनी अधिक विभिन्नता, उसका कारण भी यही है। कुछ राज्यों ने विशेष प्रयत्न करके बंधुआ मजदूरों की संख्या का पता लगाया है जबकि कुछ अन्य ने यह कह दिया है कि उनके राज्य में बंधुआ मजदूर हैं ही नहीं। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र राज्य द्वारा सरकार को यह जानकारी दी गई कि वहां बंधुआ मजदूर हैं ही नहीं परन्तु बाद में जब विधायकों के एक दल द्वारा सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि वहां बंधुआ मजदूर हैं।

श्री के० प्रधानी: मैं यह जानना चाहती हूं कि हमारे देश के ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं जहां बंधुआ मजदूर सबसे अधिक हैं?

SHRI LARANG SAI : Mr. Speaker, Sir, the information which we have received from the States, on the basis of that Karnataka and Uttar Pradesh have been indentified as have largest number of bonded labourers.

श्री के० लकप्पा : यह तो कर्नाटक राज्य को कलंकित करने वाली बात है। मंत्री महोदय ने उत्तरी भारत के राज्यों के नाम नहीं लिये हैं जहां कि बंधुआ मजदूरों की काफी प्रथा है।

SHRI LARANG SAI : I am telling the same information which is with me.

अध्यक्ष महोदय : वह तो केवल उन्हीं आंकड़ों को पढ़ रहे हैं, जो राज्य सरकारों द्वारा दिये गये हैं।

श्री के० लकप्पा : बिना अन्य राज्यों से आंकड़े एकत्रित किये ही वह कर्नाटक का उल्लेख कर रहे हैं। दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उत्तरी राज्यों में बन्धुआ मजदूरी की प्रथा अधिक प्रचलित है। मैं आंकड़े दे सकता हूं **(व्यवधान)**

SHRI YUVRAJ : Mr. Speaker, Sir. On 15th May, while replying to a question of Shri Bhagat Ram, hon. Minister of State stated that a comprehensive Bill will be brought forward for the welfare and protections of bonded labours, who mainly depend on agricultural labour. May, I know if the Government is having any such plan for the protection of bonded labourers ?

SHRI LARANG SAI : The question which is being referred to by the hon. Member was not related to bonded labour. That question related to migrated labourers. I would like to give some more information to hon. Member with regard to bonded labourers. A question was also asked as what we are doing to rehabilitate them ? What are our guidelines in this regard ? *(interruptions)*. As regard to the question of giving land to such labours is concerned, we will arrange to provide them land as well as other agricultural inputs such as seeds and fertilizers. Besides this, preference will also be given to such people in service and age relaxations concession too, will be provided to them. The age limit which is 25 years is being reduced upto 40 years in case of bonded labours. The relations which are being given to handicapped, similar relations will be given to bonded labour also. I may further state that if some states are finding it difficult to send their scheme, such states if also for Central assistants, we will provide the same by sending an officer for the purpose.

मलेरिया वाले मच्छर

***166. श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्लोरोक्विन और डी० डी० टी० तथा अन्य कीटनाशी औषधियों का मलेरिया वाले मच्छरों पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा ये औषधियां उन मच्छरों को मारने में निष्प्रभावी सिद्ध हो रही हैं तथा उनसे केवल वातावरण ही दूषित होता है; और

(ख) मलेरिया के पुनः प्रकोप तथा इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes Sir, some species of malaria mosquitoes have developed resistance to DDT and/or BHC in certain parts of India. Wherever problem of resistance has been established both entomologically and epidemiologically, alternative effective insecticides are supplied. Since the insecticides under NMEP are sprayed only inside the houses, the question of contamination of the environment does not arise.

There is no question of malaria mosquito developing immunity to chloroquine as this drug is given to malaria patients to curt them by destruction of the malaria parasite in the blood.

(b) For containment of the disease, a Modified Plan of Operations was approved by the Government of India and is being implemented in the country from 1st April, 1977. A

statement indicating the salient features of the Modified Plan as well as other steps taken to control malaria is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

The salient features of the Modified Plan of Operations and other steps taken to control malaria are as follows :—

1. The existing NMEP units have been reorganised to conform to the geographical boundaries of the districts. Previously the Chief Medical Officers of the districts were not involved in the programme, but with the re-organisation of the Units, they are primarily responsible for the programme in the district.
2. Increased quantity of various insecticides DDT, BHC, Malathion have been/are being supplied to the States. Alternative insecticides are also being provided to the Units/districts where the vector has become resistant to DDT/BHC.
3. Insecticidal spray operations have been undertaken in all rural areas which have incidence of 2 or more cases per thousand population per year.
4. Adequate quantity of anti-malaria drugs have been/are being supplied to the State/Union Territory Governments. About 1.36 lakhs Drug Distribution Centres/Fever Treatment Depots have been established to make the drug freely available. In areas where resistance to chloroquine by parasites has been noticed, alternative antimalarials like quinine have been supplied.
5. Anti-larual operations under Urban Malaria Programme have been intensified. The Scheme has been extended to 33 more towns besides the 66 existing towns existing earlier during 1978.
6. Supervision of the field has been tonned up.
7. Steps have been taken for undertaking both fundamental and operational research in the field of Malaria Eradication Programme. 14 research schemes i.e. 8 for operational field research and 6 for laboratory research on malaria has been associated by Government of India to ICMR.
8. For early examination of blood smears and quick treatment of positive cases, laboratory services have been decentralised to the PHC level.
9. With a view to control the spread of plasmodium falciparum infection which accounts for death due to Cerebral malaria with the help of World Health Organisation, and intensive programme was started in 18 districts, the States of North Eastern Region of the country. It is being extended to 37 more districts.
10. The following steps for imparting health education regarding the disease and seeking public co-operation and participation for controlling have been taken :

(i) Panchayats and school teachers have been involved in the distribution of chloroquine tablets.

(ii) Drug Depots have been opened in inaccessible tribal areas. In some States this have been done in collaboration with the Tribal Welfare Departments.

(iii) A film 'The Threat' recently made has been released all over the country in fourteen regional languages.

(iv) Posters in regional languages 'Fever May be Malaria : Take Chloroquine tablets' have been supplied to the States for display in Panchayat Ghars, Schools, Primary Health Centres and sub-centres.

(v) A pamphlet in regional languages 'Malaria—what to do' giving the signs, symptoms dose schedule of chloroquine, indication of Contra-indication has been supplied to the States for distribution to Panchayats, School teachers and other voluntary agencies.

(vi) It is also proposed to orient the presidents and the secretaries of the Panchayats on Malaria.

(vii) Folder on the rôle of the Medical Practitioners has been supplied to the States for distribution to medical practitioners.

Similarly, a pamphlet 'Why Malaria again' has been supplied, to the States for distribution to the Deputy Commissioner; Chief Medical Officers and Block Development Officers for apprising them about the existing problems of malaria and the action proposed to be taken.

(vii) To disseminate the anti-malaria message, special postal stationary has been released by Posts and Telegraphs Departments.

(ix) A.I.R. and Doordarshan have started programmes to educate public on prevention and Cure of Malaria.

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : इस रोग के आकस्मिक आघात को रोकने के लिए किये गये उपायों का क्या प्रभाव हुआ है ? पिछले दो वर्षों में आकस्मिक आघात तथा मौतों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Sir, report of 62 deaths was received in 1977 and out of them 52 were checked up. This year 5 deaths have been reported. Sir, these deaths occurred in Assam due to falciparum which infects the mind.

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : मैंने आकस्मिक आघात सम्बन्धी पूछा था। कितने मामलों में इस बारे में किये गये उपाय प्रभावी रहे हैं ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Sir, I have given the details of our programme. I can read it out if you so like. The break up is 64,68,215 and 46,81,100 in 1976 and 1977 respectively and 6,64,701 upto June, 1978. The measures taken are as follows; for the first time, the Chief Medical Officer has been made responsible considering the whole district as one unit from the geographical point of view. Secondly, the supply of DTC and B.U.C. has been increased. The programme was being carried on in 66 cities where there used to be two cases per thousand. Now this programme is being extended to 36 more cities.

So far as drugs are concerned 1.36 lakh drug distribution centres/fever treatment centres have been set up.

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : जो बीमारी इस समय फैली है उसमें क्या कोई नई बात है ? क्या प्लासमोडियम फाल्सीपसम केवल पूर्वी जिलों तक सीमित है और क्या देश के अन्य भागों में मस्तिष्क में मलेरिया होने से मौतें नहीं हुई हैं । यदि हां तो उसे रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Sir, its most peculiar feature is that Malaria menace has again assumed alarming proportions. This year at some places there was resistance to DTC and at other places the resistance was to BHC. At such places where there is resistance to both drugs we give Marathon. There is no drug in the world which may be supplied at places where there is resistance to all the three drugs. If some such drug is being manufactured it is in so inadequate quantity that we cannot make use of it in the country.

Secondly, Sir, he has mentioned about falciparum. Sir its effect is being felt in eastern India i.e. Assam and Meghalaya. We have taken up this work in 18 districts in intensive basis. As I have just told 5 deaths have occurred due to its effect on the mind. We are taking steps in other places which were not having these arrangements so far.

DR. KARAN SINGH : Sir, in first part of the reply it is stated that spray is done only in house and the atmosphere is not polluted as a results thereof. Does the inside atmosphere of a house not constitute atmosphere at all ? He has given a surprising answer. I want to know whether the suffocating atmosphere of the house has not been effected on the outside atmosphere and it remains clean ?

There are certain insecticides like D.D.T., B.H.C., Marathon etc. to distroy these wicked insects which have distressed the country. So far as I can remember we used to import these insecticides, because they were not manufactured in the country in large quantities. May I know from the hon. Minister whether Government have taken steps to manufacture D.D.T., B.H.C. and marathon in the country keeping in view the rising malaria menace again ? What progress has been made in this regard and if these are still being imported from foreign countries or are being manufactured in the country itself ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : So far as the recurrence of Malaria menace is concerned Doctor Sahib must be having more information because the disease has increased due to his negligence.

SHRI SAUGATA ROY : He is levelling allegation.

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : I am not levelling allegation. I may respectfully submit that you will come to know of every thing if I read out the report of the period between 1965 to 1967 when no action was taken and this desease got the opportunity to flourish.

So far as the drugs are concerned, we are trying to produce them in the country but there is not much improvement in the situation particularly the production cost of Malthion is more and production is quite inadequate as compared with our requirement. That is why we are compelled to import and to seek assistance from W.H.O.

SHRI S. S. SOMANI : Crores of rupees have been spent to check Malaria. Yet it could not be eliminated. When we ask the doctor how can it be fever Malaria when one does not feel cold ? He replies that it is adulterated malaria for which no treatment is available in the country. This adulterated malaria caused lot of pain in hands and feet and one suffers from fever.

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : We have got the treatment for any type of malaria and we are giving treatment. I have not received the report in regard to what the hon. Member has stated. Sometimes there is resistance but after resistance the patient recovers when quinine tablet and injection is administered. It is not that we have no treatment for malaria.

'थम्स अप'

*167. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :**
श्री के० लकप्पा } **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने दिल्ली बाटलिंग कम्पनी और पार्ले बिवरेजेज प्राइवेट लि०, बम्बई से अपने उत्पाद 'थम्स अप' का 'रिफ्रेशिंग कोला' के नाम से विज्ञापित न करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी के प्रबन्धकों पर मुकद्दमा चलाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : निर्माताओं से उत्तर मिलने पर ही आगामी कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जाएगा।

SHRI R. L. P. VERMA : Sir, there is considerable time gap between the tabling of the question and its reply. The reasons should have by now been found out.

It has become a fashion now a days to add the word Cola with every soft drink. But the cold drink manufacturers cheat the public by giving them names such as Refreshing Cola. Is there any proposal to take action against these manufacturers of soft drinks who cheat the public in this manner. On the 5th May, Government had replied in Rajya Sabha that action will be taken against such cheating. I want to know the progress made in this regard and why no action has been taken against them.

I also want to know the percentage of excise duty level by Government on the manufacturers of soft drink who use Cola nut and on those who do not use cola-nut.

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : So far as the main question is concerned, excise duty does not fall under the Health Department. The second question relates to Cola. Our laboratory has so far not been able to prove after testing it as to whether it contains Cola or not. Therefore, we have given it to another laboratory for testing. For

giving permission to any soft drink, we find out whether Caremal colour, phosphoric acid, caffeine, preservation sugar, Carbon dioxide, essence are in proper proportion or not. If they are alright the Department issues a licence.

SHRI R. L. P. VERMA : According to my informaiton, there is 57.75 per cent excise duty on those who use Cola-nut and 26.25 per cent duty is levied on those who do not use Cola nut. But I want to know what action is being taken against those who are checking the public by misusing the word Cola and whether false advertisement put up by them will be stopped.

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : So far as the question of excise duty is concerned that is the concern of the Excise Department. So far as the use of word Cola is concerned, I have already replied to that. That is why I said that we have asked them as to whether Cola has been mixed or not. The laboratory which has tested it has not reached the conclusion whether or not it contains Cola because the element of Caffeine in Cola has stimulating effect. So long as it is not proved how can we take action against them.

श्री के० लकप्पा : मंत्री जी मेरे प्रश्न को टाल नहीं सकते। पहले उन्होंने आपके सामने कहा है कि उन्होंने कम्पनी को लिखा हैं। दिल्ली बोटलिंग कम्पनी पार्ले ग्रुप आफ वीवरेजिज और साफ्ट ड्रिंक लिमिटेड वालों की सहायक कम्पनी है। ये लोग कदाचार ही नहीं करते बल्कि सरकार तथा देश को धोखा देते हैं और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की भावना के विरुद्ध विज्ञापन देते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने मैसर्स दिल्ली बाटलिंग कम्पनी के महाप्रबन्धक को थम्स अप सम्बन्धी 13 जून, 1978 को पत्र संख्या 89/78/सी० पी० एफ० ए० लिखा है। मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए वह पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उसका सार बता दें।

श्री के० लकप्पा : वह गलत वक्तव्य दे रहे हैं। पत्र में लिखा है "हमें पता चला है कि आपके उत्पादन में कोला नट या उसका सत्व नहीं है और यह उत्पादन को गलत नाम दिया जाना है। अतः सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इसमें कोला नट नहीं है। अतः यह कम्पनी 'थम्स अप रिफ्रेशिंग कोला' का विज्ञापन कैसे दे सकती है? **(व्यवधान)**

मैं जानना चाहता हूं कि यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई है, केस क्यों नहीं दर्ज किया गया और कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया?

दूसरी बात यह है कि उत्पादन शुल्क आयुक्त को भी धोका दिया गया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। पार्ले वीवरेजिस प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की थी कि थम्स अप में कोला सत्व नहीं है। घोषणा का उद्धरण मेरे पास है जिससे मैं मंत्री जी को दे दूंगा। लेकिन यदि वह उत्पादन में कोला लिखते हैं तो उन्हें 57.75 प्रतिशत कर देना पड़ता है अन्यथा यह कर 26.25 प्रतिशत बैठता है। अतः इन सब तथ्यों को कि यह कम्पनी कर चोरी कर रही हैं, सरकार चुप क्यों है? वह वित्त मंत्रालय से जरूरी कार्यवाही के लिए क्यों नहीं कहती? क्या सरकार सभा को आश्वासन देगी कि कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और भविष्य में झूठे प्रचार को रोका जायेगा?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Sir, I have replied to both of his questions. So far as writing of refreshing cola is concerned, a reminder has also been sent. There is no question of taking any action so long as a reply is not received. Secondly, about declaration itself another question has been asked if an explanaton has been sought from them. So far as investigation is concerned, we have not yet received the reply report of our laboratory if it contains cola or not. We have sent it to other laboratories also for testing the same. We can take action only after receipt of the report. Without that how can we take any action ?

श्री के० लकप्पा : महोदय, किसान रैली .....

अध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही में शामिल न किया जाये। ***

व्यवधान

श्री एस० ननजेश गोड़ा : मंत्री जी ने कहा है कि पत्र लिखे हैं और हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह प्रतिक्षा कब तक की जायेगी। उन्हें शीघ्र उत्तर के लिए आदेश देना चाहिये। जब फ़र्म कर चोरी कर रही है तो उसके साथ नर्मी नहीं बरती जानी चाहिये। अधिकारी यदि उत्तर नहीं तैयार करते तो उन्हें खींचा जाना चाहिये। आश्वासन दिया जाये कि शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : It is a suggestion, we shall consider it.

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : मेरे पास फोटो है (व्यवधान) देश में कोई कोला न बेचा जाये। आप कम्पनी का पक्षपात कर रहे हैं। सरकार को 57 प्रतिशत का धोका दिया जा रहा है।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : सरकार ने कोका कोला बहुराष्ट्रीय कम्पनी को समाप्त कर दिया है। लेकिन यह कम्पनी तो और भी खतरनाक है। जिसका प्रशासन तथा उससे बाहर पूरा प्रभाव है। वह कर चोरी भी कर रही है और कदाचार भी कर रही है। क्या श्री लकप्पा के कथन पर विचार किया जायेगा और तत्काल जांच करायी जायेगी ताकि इस उद्योग के कार्यकरण पर पूरी तरह विचार हो सके।

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Sir, I am familiar neither with this company nor with that comaany. It am not to side with any company. I have said the something about the question of refreshing cola. The hon. Member says that name cola should not be used at all. But we have only to see whether a particular soft drink is potable or not. If it is potable, we give permission to it. Now Campa Cola has also come. So far as question of wrong publicity is concerned, we have given notice and after receiving its reply we shall definitely take action.

अध्यक्ष महोदय : आप मामले में शीघ्रता करें। यह महत्वपूर्ण मामला है।

श्री बसंत साठे : हम इस पर आधे घंटे की चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सूचना दें।

गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*168. **श्री अनन्त दवे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना पेश की है और इसके लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) केन्द्र सरकार की उक्त प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार का गुजरात सरकार को कितनी सहायता देने का विचार है?

***कार्यवाही बृतांत में शामिल नहीं किया गया।

*Not recorded.

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) It has not been possible to provide for the scheme in its entirety in the VI Five Year Plan. In that Plan however, provision has been made for Rs. 105.14 lakhs for establishment of additional sub-centres and strengthening of Primary Health Centres complex under Minimum Needs Programme during 1978-79. A token provision of Rs. 253.25 lakhs has been allocated during the said period, i.e. 78-79 as central assistance under Family Welfare Funds for establishment of a Rural Family Welfare Centre at the Primary Health Centre, Construction of buildings for 20 additional Rural Family Welfare Centres, completion of buildings for 10 Rural Family Welfare Centres and maintenance of Rural Family Welfare Centres and sub-centres opened under the Family Welfare Programme.

SHRI ANANT DAVE : Sir, my question is very clear that upto what extend you propose to help the Gujarat Goverument in regard to the Primary Health Centres Scheme submitted by the State Government but he has side tracked it and has referred to the VI Plan. My question is limited only to Primary Health Centres.

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Sir, the Gujarat Government had written that the number of 251 Centres may be increased to 502 centres. We have replied that if this is done in respect of Gujarat then it will have to be done in the whole country. Therefore it was not possible to provide for it during the VI Plan. We very much want to set up one health centre for every 40,000 people due to financial position we are unable to do it. We want to make intensive arrangements by setting up sub-centres for every 5000 people instead of 10,000 people at present.

SHRI ANANT DAVE : I do not want to ask many questions but he has given incorrect reply. We have asked for Rs. 40 lakhs to upgrade 50 such centres per year. May I know whether or not you will provide the amount ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Sir, I have placed before you the content of the letter. I have told that provision has been made for Rs. 105.14 lakhs for the establishment of additional sub-centres and strengthening of Primary Health Centres.

SHRI ANANT DAVE : I have asked about Rs. 40 lakhs for upgradation of centres Are you going to provide that amount or not ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : I have told you whatever we have provide (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विशिष्ट प्रश्न पूछा है। 50 केन्द्रों को ऊपर बढ़ाने में खर्च आता है जिसकी उन्होंने मांग की ह। यदि आप धन नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : We are giving the whole amount instead of 40 lakhs.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री जी की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी बात तो ठीक है लेकिन क्या उन्होंने देखा है कि गुजरात राज्य की योजनाएं ठीक हैं और व्यावहार्य हैं। यदि हां, तो क्या सरकार जोरदार परियोजना चालू करेगी और गुजरात राज्य को कुछ सहायता दी जायेगी ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Sir, We have not provided money for upgradation of Primary Health Centres. At present there is one sub-centre for every 10,000 persons, we will bring it down to 5,000 persons. Our second scheme is going on behalf of Family Welfare. Many upgradations are made by them. Thirdly upgradation are done with assistance received from abroad.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इस्पात की चोरबाजारी

169. श्री एस० जी० मरुगय्यन
श्री आर० वी० स्वामीनाथन } : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में इस्पात में चोरबाजारी के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) उक्त चोरबाजारी को रोकने के लिए क्या कोई प्रभावशाली कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : समाचार में कहा गया है कि इस्पात की अधिक उपयोग में आने वाली [कुछ मदों में चोर बाजारी आरम्भ हो गई है और जस्ता चढ़ी नालीदार और सादी चादरें 1100 से 2500 रुपये प्रति टन अधिक मूल्य पर बिक रही हैं। समाचार में यह भी कहा गया है कि जस्ती चादरों, ठंडी बेलित सादी और जस्ती नालीदार चादरों का स्टाक जमा किया जा रहा है, क्योंकि आयात के अलावा इन मदों की उपलब्धि में वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं है । समाचार के अनुसार इन मदों के खुले बाजार में अधिक मूल्यों पर बिकने का केवल यही स्पष्टीकरण दिया जाता है कि कुछ बड़े उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हैं और उसकी कुछ मात्रा खुले बजार में बेच रहे हैं।

इस समय लोहे और इस्पात की किसी श्रेणी की आपूर्ति और वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। अतः चोर बाजारी का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि इस्पात की कुछ मदें अधिक मूल्यों पर बिक रहीं हैं। बिजली की आपूर्ति में कठिनाई, कोककर कोयले की क्वालिटी घटिया होने आदि कारणों से उत्पादन में कुछ कमी हुई है । परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है। जहां तक जस्ती नालीदार चादरों का सम्बन्ध है कुछ राज्यों को उनके बाढ़ सहायता कार्यों में सहायता देने के लिए इन चादरों की आपाती आपूर्ति की गई है जिसके कारण इन चादरों की आपूर्ति की स्थिति और बिगड़ गई है। सरकार को इस बात की पूरी तरह जानकारी है कि कुछ उपभोक्ताओं को इस्पात की इन मदों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इन मदों का उत्पादन बढ़ाने तथा यथावश्यक आयात द्वारा कमी को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। लघु उद्योग क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु उद्योग निगमों को नियमित रूप से इनकी सप्लाई की जा रही है। कमी वाली मदों के बारे में 10 अप्रैल, 1978 से लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश,

1956 की धारा 7 को पुनः लागू किया गया है जिससे इनके दुरुपयोग को रोका जा सके। नीति-विषयक यह भी फैसला किया गया है कि इस्पात की कुछ दुर्लभ मदों का बफर स्टाक बनाया जाये ताकि इन मदों की उपलब्धि आसानी से हो सके और मूल्यों में स्थिरता लाई जा सके।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के कार्यालय का रांची में स्थानान्तरण

*170. **पंडित द्वारिकानाथ तिवारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के कार्यालय को दिल्ली से रांची स्थानान्तरित करने के लिये बिहार सरकार ने रांची में स्थान उपलब्ध कराया है, और

(ख) यदि हां, तो स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के कार्यालय को दिल्ली से रांची स्थानान्तरित करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायटक) : (क) बिहार सरकार ने पेशकश की है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के कार्यालय के दिल्ली से स्थानान्तरण होने पर उसके लिये रांची में राजभवन दे दिया जाएगा।

(ख) इस समय कम्पनी सेल के लिये कार्यालय तथा रिहायशी मकानों दोनों के लिये स्थान की आवश्यकताओं तथा कार्यालय के लिये राजभवन की उपयुक्तता पर वचार कर रही है। इस उद्देश्य के लिये सेल के अधिकारियों का एक दल रांची का दौरा कर चुका है।

मलेरिया रोकथाम अभियान के लिए मोटर गाड़ियां

*171. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेरिया रोकथाम अभियान के लिये पंजाब राज्य को कितनी मोटर गाड़ियां दी गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मलेरिया रोकथाम अभियान के लिये दी गई कुछ मोटर गाड़ियां जिला अधिकारियों द्वारा किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये ले ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनमें से कितनी गाडियां ली गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (क) 1958 में जब राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आरम्भ किया गया था तबसे अब तक 64 गाड़ियां दी गई हैं।

(ख) और (ग) यह सूचना भेजने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। सूचना के उपलब्ध होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विकास अधिभार के भुगतान से छूट के लिए अनुरोध

*172. **श्री जनार्दन पुजारी:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लौह तथा इस्पात निर्यातकर्ता संघ ने निर्यात के लिये निर्धारित किये गये माइल्ड इस्पात को विकास अधिभार से छूट देने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां। उनका प्रतिवेदन बिलेटों के संबंध में था।

(ख) इस्पात की अ-प्राथमिक श्रेणियों पर लिए जाना वाला विकास अधिभार का इस्तेमाल इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण ,पुनः स्थापन और विकास कार्यों के लिये किया जाएगा। अतः बिलेटों को उक्त अधिभार से मुक्त करना संभव नहीं है.।

बोनस संदाय अधिनियम

*173.**श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान बोनस संदाय अधिनियम का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : आशा है कि इस अधिनियम को 1976–77 के बाद बढ़ाने के प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

INTRODUCTION OF MOBILE POST OFFICES AND INSTALLATION OF LETTER BOXES DURING 6TH PLAN

†*174. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Central Government have under consideration a proposal to introduce mobile Post Offices and to install letter boxes in a specified number in villages during the Sixth Plan period;

(b) if so, the additional number of villages in each State where these letter boxes are proposed to be installed and the criteria to be adopted therefor; and

(c) the number of Post Offices proposed to be opened in each State during the current year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) Yes Sir. Opening of 25,000 post offices including Mobile Post Offices and installation of about 2,50,000 letter boxes is proposed.

(b) Targets fixed for year 1978-79 for each Postal Circle and the States served by them are placed on the Table of the House. The criterion is that a village which, on an average, receives 1 to 2 letters a day and which is situated at a distance of one mile from the nearest post office or letter box, is provided with a letter box.

(c) The information is placed on the Table of the House.

STATEMENT

Installation of letter boxes and opening of post offices in the rural areas during 1978-79

Sl. No.	Circle	State/Union territories	No. of letter boxes proposed for installation	No. of post offices proposed for Opening
1.	Andhra	Andhra	4,300	230
2.	Bihar	Bihar	4,264	275
3.	Delhi	Delhi	36	15
4.	Gujarat	Gujarat, Diu, Daman, Dadra Nagar Haveli.	2,400	300
5.	J. & K.	J. & K.	600	50
6.	Kerala	Kerala, Lakshadweep, Mahe	1,600	115
7.	Kernataka	Karnataka	2,200	175
8.	M.P.	M.P.	6,000	750
9.	Maharashtra	Maharashtra, Goa	3,000	500
10.	N.E.	Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Negaland, Tripura.	2,600	450
11.	N.W.	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Chandigarh.	2,500	175
12.	Orissa	Orissa	2,500	325
13.	Rajasthan	Rajasthan	4,000	400
14.	Tamilnadu	Tamilnadu, Pondicherry	4,500	205
15.	U.P.	U.P.	6,500	670
16.	West Bengal	West Bengal, Sikkim, Andaman Nicobar Islands	3,000	365
		Total .	50,000	5,000

भारत और सोवियत संघ के बीच ट्रोपोस्कैटर सम्पर्क

*175. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ के बीच "ट्रोपोस्केटर" सम्पर्क स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इसी प्रकार से संपर्क कुछ अन्य देशों के साथ भी स्थापित किये जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सांय) : (क) और (ख) : भारत और सोवियत संघ के बीच ट्रोपोस्कैटर सम्पर्क स्थापित करने की एक प्रायोजना पर काम हो रहा है । इस संपर्क में, जो अक्तूबर, 1980 तक चालू होना है, शुरू में 12 सारणियां होंगी, जिन्हें बाद में 24 तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके माध्यम से टेलीफोन, तार, टैलेक्स और रेडियो-फोटो सेवा सुलभ होगी । इसके लिए श्रीनगर के पास चरार-ए-शरीफ में भारत की ओर का तथा दुशानवे में रूस का टर्मिनल स्थापित होगा । इन टर्मिनल से नई दिल्ली और मास्को के लिये टर्मिनल सर्किट बढ़ाए जाएंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश के लिये डाक सर्किल

*176. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के लिये एक डाक सर्किल की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में सर्किल खोलने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सर्किल कब तक खोला जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सांय) : (क) से (ग) ऐसा निर्णय लिया गया है कि यदि राज्य सरकार शिमला में उपयुक्त इमारत उपलब्ध करा देती है तो हिमाचल प्रदेश राज्य के लिये अलग डाक और दूरसंचार सर्किल खोल दिए जाएं।

मार्शल टीटो की गुटनिरपेक्ष देशों को चेतावनी

*177. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जनाकारी है कि मर्शल टीटो ने गुट निरपेक्ष देशों को विरोधियों द्वारा उनमें वैमनस्य पैदा करने और आन्दोलन का सामर्थ्य कम करने के प्रयास के बारे में चेतावनी दी है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का हमेशा यह मत रहा है कि सामूहिक कार्यवाही के लिये अपनी क्षमता सुनिश्चित करने तथा अपनी स्वतंत्र विश्वव्यापी भूमिका बनाए रखने के लिये गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की एकता को ही बनाए रखना जरूरी नहीं है अपितु गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों का लाभदायक तथा निष्ठा पूर्ण अनुसरण करके उसे सुदृढ़ भी करना होगा।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० का निदेशक बोर्ड

*178. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के निदेशक बोर्ड के पूर्ण गठन को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सभी निदेशकों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक को क्या कार्य सौंपा गया है और इस्पात उद्योग में उनका पिछला अनुभव क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) यद्यपि सेल का पुनर्गठन होने पर इसके निदेशक-मण्डल के गठन के परिवर्तन को अंतिम रूप दे दिया गया है तथापि निदेशक मण्डल के पुनर्गठन को पूरा करने के लिये कुछ और परिवर्तन/नियुक्तियां करनी अभी बाकी हैं। वर्तमान निदेशकों के नाम, पूर्णकालिक निदेशकों को सौंपा गया कार्य तथा इस्पात उद्योग में उनका अनुभव नीचे दिया गया है :

क्र० सं०	नाम और पदनाम	सौंपा गया कार्य	इस्पात उद्योग में अनुभव
1	2	3	4
1.	डा० पी० एल० अग्रवाल, अध्यक्ष (पूर्णकालिक)	कम्पनी के सर्वकार्यभारी अधिकारी हैं।	वर्ष 1956 से अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात

1	2	3	4
			उद्योग में लगातार काम कर रहे हैं। उनकी पिछली नियुक्ति राउरकेला इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक के रूप में थी।
2.	श्री एम० पी० वधावन, उपाध्यक्ष (पूर्णकालिक)	वित्त, वाणिज्यिक मामलों सतर्कता और कम्पनी सचिवालय का काम देखते हैं।	मार्च, 1971 से लेकर हिन्दुस्तान स्टील लि०/सेल के निदेशक (वित्त) रहे हैं।
3.	श्री एस० सी० बनर्जी, उपाध्यक्ष (पूर्णकालिक)	इस्पात कारखानों के परिचालन, आदानों (बिजली) की सप्लाई, परिवहन, अनुसंधान और विकास, विदेशी सहयोग आदि में समन्वय के सर्वकार्यभारी अधिकारी हैं।	उन्होंने अप्रैल, 1956 से फरवरी, 1973 तक सार्वजनिक इस्पात कारखानों/हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो में कार्य किया है। 19-2-1973 से सेल में तकनीकी निदेशक के पद पर रहे हैं।
4.	श्री एस० आर० जैन, प्रबन्ध-निदेशक, भिलाई इस्पात कारखाना (अंश-कालिक)	—	सितम्बर, 1956 से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग में लगातार कार्य कर रहे हैं। मई, 1975 से लेकर भिलाई इस्पात कारखाने के मुख्य कार्यपालक के पद पर कार्य कर रहे हैं।
5.	श्री पी० के० पाल, प्रबन्ध-निदे० दुर्गापुर इस्पात कारखाना (अंश-कालिक)	—	दिसम्बर, 1957 से लेकर सार्वजिनक क्षेत्र के इस्पात उद्योग में लगातार कार्य कर रहे हैं। मई, 1975 से लेकर दुर्गापुर इस्पात कारखाने के मुख्य कार्यपालक के पद पर कार्यकर रहे हैं।
6.	श्री एस० समरपुंगवन, प्रबन्ध-निदेशक, बोकारो इस्पात कारखाना, (अंश-कालिक)	—	जुलाई, 1956 से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग में कार्य कर रहे हैं।

1	2	3	4
7.	डा० एन० एस० दातार, प्रबन्ध-निदेशक, राउरकेला इस्पात कारखाना (अंश-कालिक)	–	मार्च, 1956 से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग में लगातार कार्य कर रहे हैं।
8.	डा० डी० आर० आहूजा, प्रबन्ध-निदेशक, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (सेल की एक सहायक कम्पनी) (अंश कालिक)	–	जनवरी, 1958 से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग में लगातार कार्य कर रहे हैं।
9.	श्री के० सी० मोहन, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटैन्ट्स इंडिया लि० (अंश-कालिक)	–	मई, 1956 से अप्रैल, 1973 तक सार्वजनिक इस्पात कारखानों/हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो में कार्य किया है। अप्रैल 1973 से लेकर मेकन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं।
10.	श्री वी० जी० वल्जेकर, प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंन्सट्रक्शन लिमिटेड (अंश-कालिक)	–	वर्ष 1959 से लेकर हिन्दुस्तान स्टील लि०/हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स-ट्रक्शन लि० में लगातार कार्य किया है। फरवरी, 1974 से लेकर हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० में प्रबन्ध-निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं।
11.	श्री गोपेश्वर, महा-मंत्री, इंडियन नेशनल मेटल वर्करस फेडरेशन (अंश-कालिक)	–	श्रमिक प्रतिनिधि
12.	डा० अजीत मजुमदार, सचिव, योजना आयोग (अंश-कालिक)		सरकारी प्रतिनिधि
13.	श्री एस० डी० प्रसाद, अपर सचिव, इस्पात विभाग (अंश-कालिक)		
14.	श्री आर० गणपति, संयुक्त सचिव इस्पात विभाग (अंश-कालिक)		

1	2	3	4
15.	श्री आर० पी० विलिमोर्या		स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के भूतपूर्व अध्यक्ष। इस समय छुट्टी पर हैं।

DISTRICTS NOT LINKED WITH STATE CAPITALS THROUGH STD

†*179. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number and the names of the District Headquarters in the country which have not been directly connected with the Headquarters of the States through S.T.Ds.; and

(b) whether such Districts which are not connected through railway lines and which are divisional headquarters will be connected with the State Headquarters and the capital of the country by direct dialing system by the end of the year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) 298 District Headquarters have so far not been connected to the respective State Capitals by STD. Details are placed on the Table of the House. [Placed in the Library. *See* No. LT.-2498/78]

(b) No, Sir.

परिवार कल्याण कार्यक्रम

***181. श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने आर्थिक विकास के लिये परिवार कल्याण कार्यक्रम के महत्व के बारे में मुख्य मंत्रियों को कोई पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस वर्ष परिवार कल्याण कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की जाएगी;

(घ) गत एक वर्ष में प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों की नसबंदी हुई; और

(ण) जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का विचार कौन से विशिष्ट अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपाय करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्य मंत्रियों के नाम एक पत्र 9 मई, 1978 को और दूसरा 13 जुलाई 1978 को लिखा है।

(ख) प्रधान मंत्री जी के पत्रों की प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2499/78]

प्रधान मंत्री जी के 9 मई, 1978 के पत्र के प्रत्युत्तर में बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा अरुणाचल प्रदेश और गोआ, दमन एवं दीव संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों से उत्तर मिले हैं। इन पर विचार किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री जी के 14 जुलाई, के पत्र के प्रत्युत्तर में बिहार के मुख्य मंत्री ने बताया है कि वह प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

(ग) 1978–79 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये 11093.39 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के भवन के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय की मांगों में 88 लाख रुपये की राशि का अनुमोदन कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

RURAL HEALTH SCHEME PROGRAMME

*182. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA
SHRI G. Y. KRISHNAN } : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have received a representation to the effect that the honorarium and the amount for medicine given to the Health Worker under Rural Health Scheme Programme are not adequate;

(b) whether Government propose to increase the honorarium and the amount for medicine in order to make a greater success of the said schemes in villages; and

(c) if so, the amount thereof and when it will be given?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

एल्यूमिनियम का वार्षिक उत्पादन और मांग

1601. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश म एल्यूमिनियम का कुल वार्षिक उत्पादन और मांग क्या है; और

(ख) कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) चालू वर्ष (1978–79) के दौरान देश में एल्यमिनियम का कुल उत्पादन 210,000 टन होने की आशा है; हालांकि 1977–78 के दौरान कुल खरीद केवल 190,000 टन की हुई थी। आशा की जाती है कि 1978–79 में एल्यूमिनियम की मांग उसके अनुमानित उत्पादन से अधिक होगी।

(ख) कमी को आयात द्वारा पूरा करने के प्रबंध किये गये हैं और किये जा रहे हैं।

राज्यों की राजधानियों के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा

1602. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में टेलीफोन सुविधा के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) सभी राज्यों की राजधानियों को उपभोक्ता ट्रंक डायलंग के जरिये जोड़ने के बारे में तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

PER CAPITA MEDICAL EXPENDITURE

1603. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 626 on the 6th April, 1978 regarding Per Capita Medical Expenditure and state :

(a) whether a per capita medical expenditure of Rs. 9.56 was incurred in Assam (including Mizoram) by the Central Government and the State Government during 1974-75.

(b) if so, the per capita medical expenditure incurred there during 1976-77 and 1977-78;

(c) whether Government propose to increase it and if so, the extent thereof and whether Government are satisfied with the per capita medical expenditure being incurred at present; and

(d) if not, whether Government are in favour of seeking any assistance from foreign countries and the names of the countries with which negotiations are being made for the purpose ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The per capita expenditure was Rs. 9.56 based on plan and non-plan expenditure incurred by both the State and Central Governments.

(b) The Per-Capita Expenditure on Health in Assam declined from Rs. 10.27 in 1975-76 to 8.54 in 1976-77. The expenditure figures for the year 1977-78 have yet to be compiled.

(c) The Central and State Government are trying their best to improve the delivery of Health Services in Assam and the State Government is being provided assistance for implementing various State and Centrally sponsored schemes in accordance with the outlays approved by the Planning Commission.

The Plan expenditure on Health programmes in Assam improved from Rs. 294.61 lakhs in 1976-77 to Rs. 400.41 lakhs in 1977-78.

(d) The Government is not seeking foreign assistance for any specific State. However, foreign countries have provided assistance for some of our National Schemes such as Malaria control, prevention of visual blindness, reorientation of medical education etc. The sum total of internal inputs and etxernal inputs are both reflected in the overall plan outlays determined for Health Sector programme of a particular State.

CONDITION OF INDIAN NURSES IN GERMANY

†1604. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether nearly 4000 Kerala nurses in West Germany are faced with the dilemma either to marry Germans or leave the country;

(b) if so, the steps taken by Government to help them;

(c) whether the two Governments have been in contact with each other on this issue; and

(d) whether such dilemma is being faced by Indian nurses in other countries also and if so, where and what steps Government is taking in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) No, Sir.

However, it is true that unemployment in the Federal Republic of Germany is putting pressure on the West German authorities to give preference to their own workers.

(b) and (c) The Indian Embassy in Bonn has taken up the question of Indian nurses who have difficulty in renewing their work permits with the Federal and Provincial authorities in The Federal Republic of Germany. The Embassy has been assured that bearing in mind the domestic and employment policies the concerned authorities would try to employ the affected nurses wherever possible.

(d) No, Sir.

सर्टिंग मशीनें लगाया जाना

1605. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी संगठन (आल इण्डिया आर० एम० एस० एंड एम० एस० एस० एम्प्लाईज यूनियन-क्लास–III) के विरोध के बावजूद दिल्ली आर० एम० एस० भवन में सर्टिंग मशीनें स्थापित की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह बेरोजगारों के लिये रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की सरकारी नीति के विपरीत नहीं है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां। प्रायोगिक तौर पर दिल्ली के रेल डाक सेवा भवन में दो छंटाई मशीनें स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये मशीनें सिर्फ छंटाई के काम में सहायता करेंगी और डाक कार्यालय के सभी प्रचालनों का मशीनीकरण नहीं किया गया है। इस मामले पर संबंधित यूनियनों से भी विचार विनिमय हो रहा है जिनमें तृतीय श्रेणी की आल इण्डिया आर० एम० एस० और एम० एम० एस० एम्प्लाईज यूनियन भी शामिल हैं।

(ख) जी नहीं। इन मशीनों की स्थापना काम के हित को देखते हुए अपरिहार्य है।

ब्रिटेन से चलते फिरते क्लिनिक

1606. **श्री एफ० पी० गायकवाड** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की चिकित्सा व्यवस्था के लिये भारत को लगभग 318 चलते-फिरते क्लिनिक भेज रहा है;

(ख) क्या ये क्लिनिक आगामी 18 महीनों में 100 लाख पौंड की लागत पर सप्लाई किये जायेंगे;

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इन क्लिनिकों की संरचना का ब्योरा क्या है, उनके उपयोग के लिये कितने चिकित्सा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और प्रत्येक राज्य को किस आधार पर ये क्लिनिक आबंटित किये जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले में अनुसरणात्मक कार्यवाही करने पर विचार करेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) : जी हां।

(ख) डिलिवरी अनुसूची अभी तक तय नहीं हुई है। भारत सप्लाई मिशन लंदन ने इन मोबाइल क्लीनिकों की सप्लाई के लिये टेंडर मांगे हैं। ये टेंडर 7 अगस्त, 1978 को खुलेंगे। टेंडरों पर आवश्यक कार्यवाही करने के बाद सप्लाई आर्डर जारी किये जाएंगे। जिनमें क्लीनिकों के बारे में ब्योरे होंगे। यह सप्लाई लगभग 1 करोड़ पौंड की होगी।

(ग) और (घ) मोबाइल क्लीनिकों का आयात करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने रखा था तथा ब्रिटेन सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार ने इन क्लिनिकों की संरचना के ब्योरे, उसके प्रबन्ध के लिये अपेक्षित चिकित्सा स्टाफ, राज्यों आदि को इन क्लीनिकों के आवंटन के आधार पर अथवा फार्मूले को अंतिम रूप दे दिया है। इस स्पेसीफिकेशन की एक प्रति अनुबंध 'क' [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–2500/78] पर है। जब ये मोबाइल क्लीनिक मिल जायेंगे तो इन्हें देश के आधुनिक चिकित्सा पद्धति वाले 106 मेडिकल कालेजों में तीन-तीन प्रति कालेज की दर से आबंटित कर दिया जाएगा। ऐसा प्रत्येक कालेज, जिस जिले में स्थित है, अपने तीन प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों की देख-भाल के लिये उत्तरदायी होगा। इस तरह प्रत्येक मेडिकल कालेज के अधीन तीन मोबाइल क्लीनिक, उसके तीनों प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों के कार्य को करेंगे। ग्रामीण लोगों को इन मोबाइल क्लीनिकों के जरिये विशेषज्ञों तथा कालेज के संकाय के सदस्यों की स्वास्थ्य तथा चिकित्सा देख-रेख विषयक सेवाएँ मिलेंगी। इससे मेडिकल छात्र ग्रामीण क्षेत्रों की जन स्वास्थ्य समस्याओं से भी परिचित हो जायेंगे। मेडिकल कालेजों तथा प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में इन क्लीनिकों की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल शिक्षा को समयानुकूल बनाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने का एक उपाय है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

चन्द्रपुर में फैरो-मैंगनीज का उत्पादन करने के लिए स्थायी लाइसेंस देने के बारे में इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड द्वारा अभ्यावेदन।

1607. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 2 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड, चन्द्रपुर और महाराष्ट्र सरकार से फैरो मैंगनीज का उत्पादन करने के लिये स्थायी लाइसेंस दिये जाने का आवेदन कब से भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार ने अब इस मामले में निर्णय ले लिया है, यदि हां, तो कब और उसका स्वरूप क्या है और क्या इसकी सूचना सम्बद्ध पार्टी को दे दी गई है; और

(ग) यदि इस बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और अब कब तक निर्णय लिया जाएगा?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) मैसर्स महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि० का स्थायी आधार पर हाई कार्बन फैरो मैंगनीज और मैंगनीज थैरो स्लेग का उत्पादन करने के लिये आवेदन अगस्त, 1977 से सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : इस समय देश में फैरो मैंगनीज के उत्पादन के लिये स्थापित क्षमता हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है। फिर भी, 1982–83 तक फैरो मैंगनीज की मांग में वृद्धि होने की संभावना है जिससे मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। इसका अधिकांश भाव सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मैंगनीज ओर

(इंडिया) लि० द्वारा पूरा किया जायेगा। अयस्क के डलों के उत्पादन के साथ चूरे का उत्पादन होना भी अनिवार्य है। मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में वृद्धि होने से चूरे का उत्पादन भी बढ़ जायेगा। 'मायल' के पास चूरे का पहले ही काफी भंडार है। 1982–83 तक की मांग को पूरा करने के लिये फैरो मैंगनीज के उत्पादन म वृद्धि करने तथा अयस्क का संरक्षण करने के दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये मरकार का इरादा है कि सरकारी क्षेत्र में परिष्करण और सिन्टरिंग की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करके फैरो मैंगनीज के उत्पादन के लिये 'मायल' के वर्तमान भंडार तथा चूरे और हाई ग्रेड हाई फास्फोरस मैंगनीज के भविष्य में होने वाले उत्पादन का उपयोग किया जाये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार पहले ही मैंगनीज ओर (इंडिया) लि० द्वारा फैरो मैंगनीज का एक कारखाना लगाने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार से भी पूछा गया है कि क्या इलैक्ट्रोस्मल्ट लि० 'मायल' की आवश्यकताओ फालतू बचे चूरे और हाई ग्रेड हाई फास्फोरस का उपयोग करने तथा परिष्करण और सिन्टरिंग सुविधाएं लगाने के लिये सहमत हैं। महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि० से उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद ही अगली कार्रवाई की जायेगी।

SETTING UP OF AUTOMATIC TELEPHONE EXCHANGE AT BANTVA

†1608. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether an automatic telephone exchange was sanctioned for Bantva City of District Junagarh in Saurashtra region of Gujarat and some equipment had also reached there and if so, when and the type of telephone exchange for which sanction had been given;

(b) the reasons for not setting up this automatic telephone exchange at Bantva;

(c) whether seven or eight parties had offered accommodation for the automatic telephone exchange at Bantva either on rent or by constructing a new building and if so, the reasons for not setting up this exchange at Bantva; and

(d) the time by which an automatic telephone exchange will start functioning at Bantva ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes Sir, in 1972-73, MAX-II type.

(b) This automatic exchange at Bantva could not be set up as no suitable rented accommodation was available.

(c) Some parties had offered accommodation on rent—one of them by construction of a new building. However, these were not found suitable for installation of the MAX-II type exchange.

(d) The automatic exchange equipment received against this work has been diverted to some other works. Bantva exchange would be expanded manually to meet the—demands for telephone connections. It is now proposed to allot fresh automatic equipment for this exchange during 7th Plan. In the meantime, it is proposed to acquire a suitable piece of land for a departmental building.

SETTING UP OF NEW UNITS BY I.T.I. IN ORISSA

1609. SHRI DHARAM VIR VASISHT
SHRI D. AMAT } : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Indian Telephone Industry propose to set up three new factories during the next Five Year Plan;

(b) whether Government of Orissa have offered land for these factories; and

(c) if so, whether Government propose to set up these new factories in Orissa and if not, the reason therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) As against the original proposal to set up three new factories, namely, two Switching Factories and one Transmission Factory, provision has been included in the draft Five Year Plan, 197—83 for setting up of two new factories, namely, one Switching Factory and one Transmission Factory.

(b) The Government of Orissa have offered infrastructural facilities including land, for setting up of a unit of I.T.I. in Orissa.

(c) The question regarding the location of the new units of Indian Telephone Industries Limited is under consideration.

भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन

1610. **श्री सरत कार** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करके क्षतिपूर्ति के लिये एक निश्चित दर निर्धारित करने का है जो भविष्य निधि का भुगतान न करने वाले मालिकों द्वारा देय होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्योरा क्या है?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) इस संबंध में अधिनियम में संशोधन करने की वांछनीयता या अवांछनीयता के प्रश्न पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत होने के पश्चात दिल्ली में नियुक्ति

1611. **श्रीमती अहिल्या पी० रांकृगनेकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डाक सर्किल में रेल डाक सेवा के उन सभी निरीक्षकों को जो दिल्ली में पहले से ही क्लर्क/सार्टर के पद पर कार्य कर रहे थे, राजपत्रित संवर्ग में उनकी पदोन्नति हो जाने पर भी उन्हें दिल्ली में ही नियुक्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, इस अनियमितता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) नियमित पदोन्नति होने पर किसी भी अधिकारी को मूल डिवीजन में नहीं रखा गया है।

शिक्षित बेरोजगार

1612. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री सी० आर० माहटा
श्री राम विलास पासवान } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार स्नातक स्तर तक तथा स्नातक से कम शिक्षा प्राप्त शिक्षित बेरोजगारों की नवीनतम संख्या कितनी है; और

(ख) राज्यवार तकनीकी और गैर-तकनीकी योग्यता रखने वाले बेरोजगारों की संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) 31-12-1977 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों (यह जरूरी नहीं है कि उनमें सभी व्यक्ति बेरोजगार हों) की संख्या से संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(हजारों में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31-12-1977 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर निम्नलिखित योग्यता रखने वाले नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या			
		पूर्व-स्नातक (मैट्रिक और उससे ऊपर, लेकिन स्नातक से कम)	स्नातक (स्नातकोत्तर सहित)	कुल शिक्षित (कालम 3+ कालम 4)	तकनीकी (कालम 5 में शामिल इंजीनियरी डिग्री और डिप्लोमा धारक)
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	300.0	77.9	377.9	8.8
2.	असम	80.4	17.6	98.0	0.6
3.	बिहार	468.9	94.0	562.9	13.8
4.	गुजरात	179.7	41.8	221.5	4.0
5.	हरियाणा	113.2	32.2	145.4	1.7
6.	हिमाचल प्रदेश	41.4	7.0	48.4	1.2
7.	जम्मू और कश्मीर	13.3	7.1	20.5	0.4
8.	कर्नाटक	231.2	67.1	298.2	6.9
9.	केरल	398.2	59.2	457.4	5.8
10.	मध्य प्रदेश	233.9	65.6	299.5	4.4
11.	महाराष्ट्र	413.2	89.0	502.2	2.6
12.	मणिपुर	27.9	6.0	33.9	0.4
13.	मेघालय	4.1	1.3	5.4	**
14.	नागालैण्ड	1.1	0.2	1.3	**
15.	उड़ीसा	104.8	34.1	138.9	1.4

1	2	3	4	5	6
	राज्य				
16.	पंजाब	129.4	51.1	180.6	3.2
17.	राजस्थान	100.6	39.1	139.7	1.7
18.	सिक्किम*				
19.	तमिलनाडु	398.5	90.4	488.8	9.3
20.	त्रिपुरा	30.3	3.8	34.0	0.2
21.	उत्तर प्रदेश	548.3	169.2	717.6	12.4
22.	पश्चिम बंगाल	575.1	147.4	722.5	9.1
	संघ शासित क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.5	0.1	0.6	**
2.	अरुणाचल प्रदेश*				
3.	चंडीगढ़	15.9	6.4	22.3	0.5
4.	दादरा और नागर हवेली*				
5.	दिल्ली	117.7	66.9	184.6	5.5
6.	गोवा	14.7	2.2	16.9	0.1
7.	लक्षद्वीप	0.9	0.1	1.0	**
8.	मिजोरम	2.0	0.3	2.2	—
9.	पांडिचेरी	10.0	2.7	12.7	0.2
	अखिल भारत योग	4555.0	1179.6	5734.6	94.5अ

नोट : 1. *सिक्किम राज्य और अरुणाचल प्रदेश और दादरा और नागर हवेली के संघ शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. अ० अनंतिम

3. यह जरूरी नहीं है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वाले सभी व्यक्ति बेरोजगार हों।

4. पंजीकरण स्वैच्छिक होने के कारण यह जरूरी नहीं है कि सभी बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करवाएं।

5. पूर्णांकन के कारण आंकड़े कुल योग से मेल नहीं खाते।

6. **50 से कम आंकड़े।

हिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत

1613. **श्री ओम प्रकाश त्यागी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमको लेबोरेटरीज सोनीपत (हरियाणा) द्वारा वर्ष 1975–76 से आज तक बनाई गयी औषधियों के बारे में हरियाणा सरकार के विश्लेषणकर्ता द्वारा औषधि नियंत्रक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को नकली और/अथवा घटिया औषधियों के कितने मामलों की रिपोर्ट की गई है;

(ख) ऐसे मामलों का विवरण क्या है, और

(ग) लोकोपयोग के लिये नकली और/अथवा घटिया औषधियां बनाने के लिये उक्त फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव):

(क) और (ख) सरकारी विश्लेषक हरियाणा ने औषध नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली को जो प्रतिकूल जांच रिपोर्ट भेजी है, उनके ब्यौरे का एक विवरण अनुबंध पर संलग्न है।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

पहले अप्रैल, 1975 से अब तक मैसर्स हिम्को लेबोरेटरीज, सोनीपत द्वारा निर्मित जिन औषधियों के नमूनों को सरकारी विश्लेषक, हरियाणा द्वारा स्टैण्डर्ड क्वालिटी का नहीं बताया गया है, उनका ब्यौरा:

जांच रिपोर्ट संख्या व तारीख	औषधि का नाम व बैच सं०	जिन कारणों से इन नमूनों को स्टैण्डर्ड क्वालिटी का नहीं बताया गया है।
1	2	3
1. जी० ए० एच०/75/3535, दिनांक 11-8-75	ए०पी०सी० गोलियां, आई० पी० बैच सं० 35	(i) वजन की घटा-बढ़ी सीमा के अंदर नहीं थी। (ii) एस्परीन की मात्रा 90 प्रतिशत।
2. जी०ए०एच०–75/3955, दि० 26-8-75	हाई-काटाब गोलियां : बैच नम्बर 144	एस्परीन की मात्रा 91.7 प्रतिशत।
3. जी०ए०एच० 77/3736, दि० 12-2-77	क्लोरोक्विन फास्फेट गोलियां आर० पी० बैच नं० 694	वजन की घटा-बढ़ी सीमा के अंदर नहीं थी।
4. जी०ए०एच०–77/5808, दि० 17-10-77	प्रेडनीसलोन गोलियां आई० पी० बैच नं० 1037/आर०	प्रेडनीसलोन की मात्रा 20.6 प्रतिशत है।

1	2	3
5. जी०ए०एच०–78/406, दि० 27-1-78	प्रेडनीसलोन गोलियां, आई० पी० बैच नं० 1037/आर०	प्रेडनीसलोन की मात्रा 57.0 प्रतिशत है।
6. जी०ए०एच०–78/72, दि० 9-1-78	क्लोरोक्विन फास्फेट गोलियां आई० पी० बैच नं० 508	क्लोरोक्विन फास्फेट की मात्रा 73.2 प्रतिशत है।
7. जी०ए०एच०–78/215, दि० 18-1-78	क्लोरोक्विन फास्फेट गोलियां आई०पी०बैच नं० 670	क्लोरोक्विन फास्फेट की मात्रा 85.6 प्रतिशत है।
8. जी०ए०एच०–78/230, दि० 18-1-78	क्लोरोक्विन फास्फेट गोलियां नं० 670	क्लोरोक्विन फास्फेट की मात्रा 85.6 प्रतिशत है।
9. जी०ए०एच०–78/3231, दि० 22-5-78	पेरासिटामोल की गोलियां आई० सी० बैच नं० 762	पेरासिटामोल की मात्रा 85.4 प्रतिशत है।

BORAX AND SULPHUR ROCKS IN LADAKH

1614. SHRIMATI PARVATI DEVI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that crude borax and sulphur rocks have been found in some parts of Ladakh; and

(b) if so, the details thereof and the scheme being formulated for the exploitation thereof on commercial level ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) and (b). Occurrences of native sulphur and borax have been found in different areas of Ladakh district. Reserves of about 5400 tonnes of borax have been estimated in the district. Besides about 1250 tonnes of borax are getting replenished every year as surface encrustations. About 210.700 tonnes of crude sulphur with 8.65 to 25.45 per cent purity are estimated in Puga valley.

At present Government have no scheme for commercial exploitation of these deposits. The J & K Minerals Ltd. a State Government undertaking is, however, extracting borax on a pilot plant scale.

AIR CONDITIONING OF ALIGARH EXCHANGE

†1615. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the telephone services at Aligarh telephone exchange remained disrupted due to severe heat this year particularly and remain disrupted during summer seasons generally as it is not air-conditioned; and

(b) if so, whether Government have any proposal to air condition it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) There was a slight increase in number of faults in the exchange, this summer as compared to previous years.

(b) An air-conditioning plant is under installation and is expected to be commissioned shortly.

बन्दरगाहों पर स्थित तीन नगरों में इस्पात संयंत्र

1616. **श्री सी० के० चन्द्रपन:**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बन्दरगाहों पर स्थित तीन नगरों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया [मुण्डा): (क) और (ख) सरकार विशाखापत्तनम्, मंगलौर और पारादीप की बन्दरगाहों पर तीन निर्यातोन्मुख कारखाने लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। इन कारखानों को लगाने की समय-अनुसूची, उनके प्राडक्ट-मिक्स, क्षमता आदि, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि और इस्पात की आन्तरिक और वाह्य मांगों में वृद्धि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करेगी।

आल इंडिया आर० एम० एस० एण्ड एम० एस० एस० एम्पलाईज को डिवीजनल यूनियन द्वारा बायकल्ला सार्टिंग कार्यालय के बारे में मंत्री महोदय को पेश किया गया पत्र

1617. **श्री समर-मुखर्जी**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया आर० एम० एस० एंड एम० एस० एस० एम्प्लाईज यूनियन क्लास III बम्बई सार्टिंग डिवीजन की डिवीजनल यूनियन ने 15 अक्तूबर, 1977 को बायकल्ला सार्टिंग कार्यालय के बारे में मंत्री महोदय को उनकी बंबई यात्रा के समय एक पत्र प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो बायकल्ला सार्टिंग कार्यालय की इमारत की हालत सुधारने के लिये क्या कदम उठाए जाने हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) जी हां

(ख) मौजूदा इमारत में वार्षिक रख-रखाव और मरम्मत का काम मई, 1978 में किया गया था। यह भी प्रस्ताव है कि बाईकुला छंटाई कार्यालय के लिये बजदी में ही विभाग के अपने प्लाट पर एक नई इमारत का निर्माण किया जाए। इस इमारत के खाके तैयार किये जा रहे हैं और आशा है कि चालू वर्ष (1978–79) के दौरान निर्माण कार्य चालू हो जाएगा।

हावड़ा मुख्य डाक घर में जल संकट

1618. **श्री रोबिन सेन:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाबड़ा मुख्य डाकघर तथा आर० एम० एस० इमारत का गहरा नलकूप जनवरी 1977 से निष्क्रिय हो गया है जिसके कारण जल संकट पैदा हो गया है एवं नालियां बन्द हो गई हैं; और

(ख) पोस्ट मास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल द्वारा टेंडर आमन्त्रित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी नहीं। हावड़ा मुख्य डाकघर और रेल डाक सेवा की इमारत का ट्यूब वैल 24 जनवरी, 1978 से समाप्त हो चुका है। सामान्य पानी की सप्लाई काशी विश्वनाथ सेवा समिति, कलकत्ता से पानी खरीद कर बरकरार रखी गई है।

(ख) पहला टेंडर 28-3-1978 को खोला गया था लेकिन संविदात्मक जटिलताओं और स्थान की व्यावहारिक समस्याओं के कारण ठेका नहीं दिया जा सका। दूसरा टेंडर 7-6-1978 को खोला गया था। आशा है कि यह काम शीघ्र ही ठेके पर दे दिया जाएगा।

विदेश सचिव द्वारा अफगानिस्तान का दौरा

1619. **श्री माधवराव सिंधिया** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून 1978 के अंतिम सप्ताह में विदेश सचिव द्वारा अफगानिस्तान के दौरे से निकले निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पर मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) (क) और (ख) इस यात्रा से भारत सरकार तथा अफगानिस्तान की नई सरकार के बीच सीधे संपर्क स्थापित करने में सहायता मिली। हमने दोनों देशों के बीच विद्यमान परम्परागत मैत्रीपूर्ण संबंध तथा आर्थिक सहयोग सुरक्षित रखने की अपनी इच्छा दोहरायी। अफगान के नेताओं ने दोनों देशों के बीच परम्परागत मित्रता और तकनीकी सहयोग को बनाए रखने की सराहना की। इस यात्रा से भारत और अफगानिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण और परस्पर लाभदायक संबंधों को बनाए रखने और संवर्धित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता मिली।

मैजिकल डायलर अथवा आटोमैटिक डायलर पर प्रतिबन्ध

1620. **श्री अहमद हुसैन**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोनों पर मैजिकल डायलर तथा आटोमेटिक डायलर क्या होते हैं और टेलीफोन उपभोक्ताओं को इनका आवंटन किस प्रकार किया जाता है;

(ख) क्या इस बारे में कोई प्रतीक्षा सूची बनाई गई है, यदि हां, तो सर्किलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन उपभोक्ताओं के लिये इस पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिबन्ध का विस्तार से औचित्य क्या है और स्थिति में किस प्रकार सुधार करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) मैजिकल डायलर या आटोमेटिक डायलर टेलीफोन उपकरण में एक ऐसा यंत्र है जिससे डायल किये गए अंकों को संक्षिप्त करने से उपभोक्ता को तीव्र गति से किसी अंक को दुबारा डायल करने में सुविधा होती है। इस यंत्र का न तो विभाग में मानकीकरण किया गया है और न ही उपभोक्ताओं को यह यंत्र दिया जाता है।

(ख) जी नहीं। चूंकि विभाग उपभोक्ताओं को यह यंत्र सप्लाई नहीं करता, इस प्रकार की मांगों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाती।

(ग) जी हां।

(घ) डाक-तार विभाग कुछ नाजुक यंत्रों के मालिकों को यह यंत्र डाक तार लाइन पर संलग्न उपकरण के बतौर प्रयोग करने की अनुमति निर्धारित शुल्क की अदायगी करने के बाद उस अवस्था में देता है जब कि डाक तार लाइन पर उस यंत्र के उपयोगी होने की स्वीकृति दे दी गई हो। मैजिकल डायलर या आटोमेटिक डायलर जैसे यंत्रों से काल के लिये दुबारा प्रयास करने में सुविधा होती है जिससे टेलीफोन प्रणाली में कृत्रिम और अलाभकर परियात बढ़ता है। स्विचिंग उपस्कर में मौजूदा अधिक भार की स्थिति में इन यंत्रों का प्रयोग करने से टेलीफोन प्रणाली की कार्यकुशलता पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिये डाक तार लाइनों पर इस प्रकार के यंत्रों के प्रयोग की स्वीकृति नहीं दी जाती।

संयंत्रों और शिपयार्डों से इस्पात की सप्लाई हेतु एक समान मूल्य

1621. **श्री जी० एस० रेड्डी**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा कि:

(क) क्या देश भर के इस्पात संयंत्रों तथा स्टाकयार्डों से इस्पात की सप्लाई के समान मूल्य करने का कोई प्रस्ताव स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के पास आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) स्टाकयार्ड से सप्लाई किये गये माल के मूल्य इस्पात कारखाने से सप्लाई किए गए माल के मूल्यों से अनिवार्यत: अधिक होते हैं क्योंकि स्टाकयार्ड से सप्लाई किए गए माल में हैंडलिंग खर्चे आदि भी शामिल होते हैं, इसलिये कारखाने से सप्लाई किये गये माल के मूल्य स्टाकयार्ड से सप्लाई किये गये माल के मूल्यों के समान नहीं हो सकते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नशीली दवा का व्यसन रोकने के लिये कानून

1622. **श्री धर्मवीर शास्त्री**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री दवाइयों के व्यसनी व्यक्तियों के लिये केन्द्रीय कानून के बारे में 2 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 1351 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस मामले पर इस बीच विचार कर लिया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या एल० एस० डी० तथा मेनड्रेक्स जैसी तेज दवाओं पर उक्त कानून लागू होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयदम्बी प्रसाद यादव): (क) और (ख) स्वापक औषधियों और मनो अनुवर्ती (साइको ट्रापिक) पदार्थों के दुरुपयोग और उनके व्यसन के खतरे से लोगों के स्वास्थ्य और हित की रक्षा करने तथा इसके लिये कारगर और संगठित उपाय करने के प्रयोजन से मनो-अनुवर्ती (साइको-

ट्रापिक) पदार्थों पर समुचित नियंत्रण रखने हेतु व्यापक औषधि संबंधी कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिये वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अन्य उपायों के साथ साथ विधेयक का एक मसौदा तैयार किया है। चूंकि इस विषय से राज्य सरकारें और राज्य प्रवर्तन एजेन्सियां भी संबंधित हैं और उन्हें मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत कुछ शक्तियां मिली हुई हैं, इसलिये इस विधेयक के मसौदे के उपबन्धों के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से भी परामर्श लिया जा रहा है।

DELAY IN DELIVERY OF TELEGRAM SENT BY PRESIDENT OF INDIA

†1623. SHRI RAMJI LAL SUMAN
SHRI P. G. MAVALANKAR } : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether he is aware that a telegram sent on 28th May, 1978 by the President of India, on the occasion of the birth-day of 90-year old, Dr. Ramesh Chandra Mazumdar, the famous historian, was received after four days;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken by him to enquire into the matter and action taken against the officers responsible therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) Mutilation in the address and lapses on the part of operative staff.

(c) Enquiries have been done and responsibility for the lapses fixed on 7 officials at Calcutta. Disciplinary action has been initiated. Explanation of 3 officials at New Delhi has also been called for in the matter.

कर्मचारी संघों को बोनस का आश्वासन

1624. **श्री के० ए० राजन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी संघों को यह आश्वासन दिया है कि "बोनस के प्रश्न पर सरकार शीघ्र ही निर्णय करेगी" ; और

(ख) यदि हां तो क्या इस सम्बन्ध में उद्घोषणाएं अगस्त /सितम्बर में ओणम से पहले कर दी जाएंगी जबकि केरल में बोनस की अदायगी शुरू होती है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) 26 जून 1978 को हुई बैठक में ट्रेड यूनियन संगठनों को सूचित कर दिया गया था कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा ।

हिमालय के क्षेत्र में औषधि बनाने के काम आने वाले पौधों के संरक्षण पर नियंत्रण

1625. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के क्षेत्र तथा अन्य स्थानों पर औषधियां बनाने के काम आने वाले बहुमूल्य पौधों के संरक्षण एवं उपयोग पर सरकार का कोई नियंत्रण है ;

(ख) क्या बेईमानी सत्यनाश करने वाले लोगों द्वारा निर्यात करने अथवा चोरी-छिपे बेचने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध सर्पगंधा (दीवोलफिया), दारु हल्दी (वरवेरीस),

पुणरणवा (वोयरहेविया), इमंकाई (ऐमेटिन), सिंचोना (कुनीन) जैसी औषधियां बनाने वाली जड़ी-बूटियों को बिना सोचे समझे काटा जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान पुणे में 25 मई को महात्मा फूले संग्रहालय में ग्रीष्म ऋतु शृंखला के अन्तर्गत भारतीय औषध अनुसन्धान प्रयोगशाला में प्रोफेसर श्री मोहन राव द्वारा दिए गए भाषण की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वन में औषध बनाने के काम आने वाली जड़ी बूटियों और पौधों तथा देश में देशी औषधियों के उचित उपयोग के सम्बन्ध में सरकार (वन विभाग) की नीति क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'धीरे काम करो' और 'घेराव' को गैर-कानूनी घोषित करने संबंधी प्रस्ताव

1626. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'धीरे काम करो' और 'घेराव' को गैर-कानूनी घोषित करने सम्बन्ध कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रारूप का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इसे चालू सत्र के दौरान पेश करने के लिए तैयार है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के संदर्भ में समग्र विषय विचाराधीन है । यह विधेयक शीघ्र ही संसद में पेश किया जाएगा ।

बम्बई में स्वास्थ्य और बीमा योजना में मिल मजदूरों के अंशदान की बकाया राशि

1627. **श्री बी० सी० काम्बले** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से बम्बई नगर (ग्रेटर बम्बई) में प्रत्येक मिल में मिल मालिकों ने स्वास्थ्य और बीमा योजना के लिए मिल मजदूरों के अंशदान की कुल कितनी राशि अभी तक अपने पास रखी है तथा उसे योजना की निधि में अन्तरित नहीं किया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उससे मिल मजदूरों को क्या असुविधा हुई है ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि बकाया राशियां निम्नानुसार है :—

31-3-76 तक	1,94,55,220 रुपए
31-3-77 तक	2,18,42,986 रुपए
31-3-78 तक	2,56,55,538 रुपए

नियोजकों और कर्मचारियों के अंशदान का हिस्सा मोटे तौर पर 2 : 1 के अनुपात में है ।

2. आम तौर पर चूक मिल द्वारा देय राशियों के भुगतान न करने के कारण होती है । तथापि, नियोजकों से कर्मचारियों के वेतन में हुई कटौतियों के ब्यौरे प्राप्त होने के बाद, बीमा शुदा व्यक्तियों को नकद और चिकित्सा लाभ मिलते रहते हैं।

(ग) बकाया राशि को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(i) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45-ख के अधीन बकाया राशि को भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल करने के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है । ऐसी वसूलियों की प्रक्रिया में सुधार कर दिया गया है और क्षेत्रीय निदेशक इस सम्बन्ध में एक सुपरिभाषित प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं।

(ii) दोषी नियोजकों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 85, 85-क, 85-ख, 85-ग के अधीन अभियोजन भी चलाए जाते हैं।

(iii) बकाया राशि को शीघ्र वसूल करने के लिए अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उपलब्ध कानूनी उपचारों के अतिरिक्त प्रशासनिक तथा अनुनयात्मक उपाय भी प्रयोग में लाए जाते हैं।

एल्यूमिनियम के लिये दुहरी मूल्य नीति समाप्त करना

1628. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम के बारे में दुहरी मूल्य नीति समाप्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां

(ख) मामले पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।

ALLEGED IRREGULARITIES IN FORWARDING NAMES FOR CLASS IV POST BY CURZON ROAD EMPLOYMENT EXCHANGE

1630. SHRI MANOHAR LAL
SHRI RAMJI LAL SUMAN
SHRI SARAT KAR } : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the total number of persons who got their names registered with the employment exchange, Curzon Road, New Delhi for Class IV posts of Peon during, 1977-78;

(b) the number of persons, out of them, provided with employment and the number of those who have not been provided with employment so far;

(c) whether names of the persons registered with the employment exchange are sent without any recommendation by the employment exchange for selection;

(d) if not, whether the names of the persons registered before 1977-78 have not been sent for employment purpose while the names of the persons registered thereafter have been sent immediately; and

(e) if so, the main reasons therefor and also the reasons why the persons registered with the employment exchange for the last about 3 years or more have not been provided with employment so far ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) to (e) A total number of 15845 persons got their names registered with the Employment Exchange, Curzon Road, New Delhi for Class IV posts of peons during 1977-78. Due to ban on recruitment to the post of Peons under Central Government, the job opportunities intimated to the employment exchange are very few as compared with the number of candidates registered. However 11 persons (all belonging to Scheduled Tribes) were provided with employment during 1977-78. The names of persons registered with the Employment Exchange are sent without any recommendation by the Employment Exchange for selection. The Employment Exchange only sends a panel of names out of whom the employer selects according to his own choice which may not be necessarily in order of seniority of registration.

POST OFFICE BETWEEN GAUTAMPURI AND BRAHMPURI SHAHDARA

†1631. SHRI MANOHAR LAL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to open a new Post Office between Gautampuri and Berhmpuri, Delhi; and

(b) if so, when and if not the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) and (b) A Departmental Sub Post Office has been opened in Brahmpuri on 24th June 1977.

COAL MINES LABOUR WELFARE CESS

1632. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the steps taken for the welfare of the colliery workers under the Coal Mines Labour Welfare Cess;

(b) the names of the mines where such steps are being taken; and

(c) the total amount accrued to the said fund during 1976-77 and 1977-78;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI) : (a) The Coal Mines Welfare Organisation, Dhanbad, set up in 1944, is implementing a number of Schemes for providing welfare facilities in the field of Medical care, Water supply, Housing, Education, Co-operatives etc., to coal miners and their dependents. Financial assistance is also provided to dependents of colliery workers involved in serious/fatal accidents in mines.

(b) The activities of the Organisation are extended to practically all the coal mining areas in the country.

(c) 1976-77 ..... Rs. 619.54 lakhs.

1977-78 ..... Rs. 695.80 lakhs (Porvisional).

DECLINE IN PRODUCTION OF STEEL

1633. SHRI YUVRAJ
SHRI AHMED M. PATEL
SHRI AMARSINH V. RATHAWA } : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the steel production declined considerably during the first two months of the current financial year;

(b) whether the steel production has declined in Bokaro, Burumpur, Durgapur and Bhilai steel plants considerably;

(c) whether the other industries have also been affected adversely due to fall in steel production; and

(d) if so, the time by which remedial measures will be taken in this regard and if no measures are to be taken, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Yes, Sir. The total production of saleable steel from the integrated steel plants in April-May, 1978 was 9,70,000 tonnes which fell short of the production in the corresponding period in 1977-78 by 1,51,000 tonnes.

(b) The short-fall in production at these plants was as under:

Bokaro Steel Plant	30,000 tonnes
Indian Iron and Steel Co.	3,000 tonnes
Durgapur Steel Plant	15,000 tonnes
Bhilai Steel Plant	42,000 tonnes

(c) The other industries are not likely to have been affected adversely by this short-fall.

(d) Does not arise.

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाक तथा तारघर खोलने पर प्रतिबन्ध

1634. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने पर कोई प्रतिबन्ध है ; और

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) **शाखा डाकघर :** देहाती इलाकों में डाकघर निर्धारित मानदंडों के आधार पर खोले जाते हैं। इन मानदंडों के ब्यौरे अनुबन्ध 'क' में दिए गए हैं।

सार्वजनिक टेलीफोन घर :

विभाग की नीति जिसमें देहाती इलाकों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के बारे में दिशा निर्देशों और शर्तों का सारांश दिया गया है, अनुबन्ध 'ख' [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—2501/78] में दी गई है ।

(ख) साज-सामान के लिए आर्डर मार्च/अप्रैल, 1978 में दिए गए थे । आशा है कि इसकी सप्लाई उत्तरोत्तर प्राप्त होगी ।

नसबन्दी

1635. **डा० बापू कालदाते** : } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने
श्री आर० के० महालगी }

की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले डेढ़ वर्ष में कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई है ;

(ख) इस अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ग) क्या लक्ष्य पूरा कर लिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव)

(क) पिछले डेढ़ वर्ष में अर्थात् जनवरी, 1977 से जून, 1978 तक 2235 लाख (अनन्तिम) नसबन्दी आपरेशन किए गए ।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल से मार्च तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए नसबन्दी आपरेशनों के लक्ष्य (प्रत्याशित निष्पादन के स्तर) इस प्रकार निर्धारित किए गए थे :—

1976-77	.	.	.	43 लाख
1977-78	.	.	.	40 लाख
1978-79				40 लाख

राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसार राज्यों को सूचित कर दिया गया था कि 1977-78 में स्वच्छिक नसबन्दियों के लिए निर्धारित किए गए निष्पादन के स्तरों को पूरा करने का आग्रह न किया जाए ।

(ग) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए पिछले डेढ़ वर्ष में इन लक्ष्यों को पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता । जनवरी, 1977 से जून, 1978 की अवधि में किए गए नसबन्दी आपरेशनों की संख्या पहले ही इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में अंकित कर दी गई है ।

(घ) आपातकाल के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में बरती गई जोर जबरदस्ती की व्यापक शिकायतों से इस कार्यक्रम को, विशेषकर आपातकाल के पश्चात् नसबन्दी कार्यक्रम को, बड़ा धक्का पहुंचा है । लोगों के दिलों में जो डर घर कर गया है, उसे दूर करने के लिए भारत सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है और आशा है कि निकट भविष्य में इस कार्यक्रम में फिर से गति आ जाएगी ।

दिल्ली में टेलीफोनों का स्थानान्तरण

1636. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में टेलीफोनों के स्थानान्तरण के लिए कुछ आवेदन पत्र टेलीफोन विभाग में लगभग एक वर्ष से अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं के पत्रों के उत्तर टेलीफोन विभाग द्वारा कई महीने तक नहीं दिए जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) इस समय गाजियाबाद एक्सचेंज को टेलीफोनों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित ऐसे 27 मामले हैं जो कि अगस्त 1977 से पहले से बकाया पड़े हैं।

(ख) उपभोक्ताओं के पत्रों के उत्तर बिना अपवाद के यथाशीघ्र दे दिए जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सम्बन्धी त्रिपक्षीय बैठक का स्थगित होना

1637. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री पी० के० कोडियन } क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्री द्वारा 28 जून, 1978 को बुलाई गई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सम्बन्धी त्रिपक्षीय बैठक स्थगित कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रविन्द्र वर्मा) (क) जी हां । :

(ख) कुछ आमंत्रित व्यक्तियों के आग्रह पर बैठक स्थगित कर दी गई थी ।

SELECTION OF EMPLOYEES IN DEPARTMENTS UNDER THE MINISTRY

†1638. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether selection of employees in the Departments under the Ministry is made on the basis of a competitive examination besides merit basis;

(b) if so, the name of the institution which conducts this examination and if not, the reasons why competitive examination is not held; and

(c) whether Government propose to set up a Posts and Telegraph Commssion like those in Railways and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) Such examinations are either conducted by the P&T Services Selection Board or by the Heads of Circles concerned.

(c) There is no such proposal under consideration at present, as the present system of recruitment by P&T Services Selection Board as well as by Hads of Circles concerned has been found to be working satisfactorily.

CONSTRUCTION OF BUILDING FOR KASGANJ TELEPHONE EXCHANGE

†1639. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the funds allocated for construction of building for telephone exchange in Kasganj and whether the work has been completed according to the estimate;

(b) whether formalities in regard to construction of the above building have been completed only on papers and thousands of rupees have been misappropriated; and

(c) if so, whether some inquiry was made in this regard and if so the outcome thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Rs. 19,334/- were allocated for construction of a room for expansion of telephone exchange. In addition Rs. 6,926/- were allocated for construction of an office room. Work has been completed according to the estimates.

(b) Work was taken up after observing usual departmental formalities. There has been no misappropriation.

(c) Does not arise.

परिवार स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता देने के लिए प्रायोगिक परियोजना

1640. **श्री टी० ए० पई**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 13 राज्यों के दुर्गम और अलाभप्रद क्षेत्रों में 203 सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों और पैरा-मैडिकल अधिकारियों को भेजने का प्रस्ताव त्याग दिया है ;

(ख) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा में 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सहायता देने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) देश में कितने स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के असुविधाजनक अथवा कठिन इलाकों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की बुनियादी सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक योजना स्वीकृत की थी । इस योजना के दो भाग थे । पहले भाग में इन इलाकों के केवल चार सौ प्राइमरी हैल्थ सैंटरों के चिकित्सा अधिकारियों को प्रलोभन देने के विशेष वेतन मंजूर करना था तथा दूसरे भाग में इन इलाकों के एक सौ ब्लाकों के प्राइमरी हैल्थ सैन्टरों तथा परिवार कल्याण केन्द्रों को बिजली, पानी और सड़कों जैसी बुनियादी सुविए प्रदान करना था ।

अन्ततः इस योजना के पहले भाग के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारियों को विशेष वेतन देने के लिए 13 राज्यों के 203 प्राइमरी हैल्थ सैन्टरों को अनुमोदित किया गया था और इसके दूसरे भाग के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान , त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों के 42 प्राइमरी हैल्थ सैन्टरों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के सुझाव पर चुना गया था । वैसे, यह योजना पांचवीं पंचवर्षी योजना में बंद कर दी गई है । बिजली, पानी और सड़कों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था अब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंग के रूप में की जा रही है । यह कार्यक्रम राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

(ग) मार्च, 1978 के अन्त में देश में चल रहे 5400 प्राइमरी हैल्थ सैन्टरों में से केवल 61 प्राइमरी हैल्थ सैन्टरों में डाक्टर नहीं थे ।

अनुसूचित जनजातीय लोगों के लिये कल्याण कार्यक्रम

1641. **श्री हितेन्द्र देसाई** । क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष रूप से अनुसूचित जनजातीय लोगों के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस करती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अनुसूचित जनजातीय लोगों के लिए क्या विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जनजातीय क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि वहां पर जनसंख्या नियंत्रण की अपेक्षा जच्च बच्चा स्वास्थ्य गतिविधियों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि जनजातीय लोगों के बीच परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यान्वयन सही भावना से किया जाए तथा जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को इन लोगों पर तब तक थोपा न जाए जब तक वे स्वयं इनकी मांग न करें । अतः परिवार कल्याण एवं जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के ढांचे के अन्दर ही जनजाति लोगों के कल्याण की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

बरेली टेलीफोन एक्सचेंज को वातानुकूलित करना

1642. श्री सुरेन्द्र बिक्रम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बरेली में आरम्भ किय गया नया टेलीफोन एक्सचेंज उपभोक्ताओं को कुशल सेवा क्यों प्रदान नहीं कर रहा है ;

(ख) सरकार इस टेलीफोन एक्सचेंज में, जिसमें नाजूक उपकरण लगे हैं, वातानुकूलन की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है ; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि कुशल सेवाओं के लिए ऐसे संवेदी टेलीफोन एक्सचेंजों को वातानुकूलित करना आवश्यक है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : बरेली में आटोमैटिक टेलीफौन एक्सचेंज 27-3-77 को खोला गया था । तीन मैनुअल एक्सचेंजों की लाइनों को एक आटोमैटिक एक्सचेंज में बदलने में केबलों को व्यवस्थित करने में कुछ कठिनाइयां आई थीं ।

(ख) एक वातानुकूलन संयंत्र के लिए आर्डर दे दिया गया था । यह संयंत्र अब वास्तविक रूप में संस्थापित कर दिया गया है । परीक्षण के तौर पर इसे चालू किया गया है । आशा है कि यह संयंत्र कार्यकरण के सफल परीक्षणों के बाद शीघ्र ही नियमित सेवा देने के लिए चालू कर दिया जाएगा ।

(ग) जी हां । बड़े आटोमैटिक एक्सचेंजों के कुशल कार्यकरण के लिए आवश्यक तत्वों में वातानुकूलन एक आवश्यक तत्व है ।

UPGRADING OF CERTAIN POST OFFICES IN HOSHIARPUR DISTRICT

†1643. CHOWDHRY BALBIR SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased state :

(a) whether it is a fact that Goverment propose to upgrade some Post Offices in Hoshiarpur District during 1977-78; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) and (b) No post office was upgraded into Departmental Sub Office in Hoshiarpur District during 1977-78. No target for upgradation of post offices is fixed. Offices which satisfy the departmental norms prescribed in this behalf are considered for upgradation.

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन केन्द्र स्थापित किया जाना

1644. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नए टेलीफोन केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितने टेलीफौन केन्द्र खोले जाने हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) जी हां ।

(ख) करीब 400 ।

हिन्द महासागर में अमरीकी बेड़े को मजबूत करना

1645. **श्री पी० के० कोडियन:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1978 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में "हाक्स वांट यू० एस० फलीट इन ओशन स्ट्रेग्यन्ड" शीर्षक समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) जी हां । सरकार ने यह खबर देखी है ।

(ख) अमरीकी सरकार आन्तरिक रूप से क्या सोच रही है इसके बारे में हमें आगे कोई जानकारी नहीं है । जहां तक भारत सरकार की नीति का सम्बन्ध है, हम हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र घोषित करने की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और चाहते हैं कि हिन्द महासागर के अधिकांश तटवर्ती तथा पश्च राज्यों तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्यों/राज्यों की भावनाओं के अनुरूप जितनी जल्दी हो सके इसे कार्यरूप दिया जाए ।

इजराइल को शास्त्र देने पर रोक

1646. **श्री ज्योतिमय बसु:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के 25 देशों ने 5 जून 1978 को औपचारिक रूप से इस आशय का एक प्रस्ताव प्रायोजित किया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद् को इजराइल को शस्त्र देने पर रोक लगाने की एक सांविधिक घोषणा करे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) और (ख) 23 मई से 30 जून, 1978 तक न्यूयार्क में संयुक्तराष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण सम्बन्धी विशेष अधिवेशन के दौरान महासभा ने विशेष अधिवेशन की एक तदर्थ समिति गठित की थी । 7 जून 1978 को इराक ने इजराइल के खिलाफ शस्त्र प्रतिबन्ध से सम्बद्ध एक प्रस्ताव का मसौदा पेश किया । प्रस्ताव पेश किए जाने के समय इसके कुल मिला कर 27 अन्य सहप्रस्तावक थे ;

इसे संशोधित करके 23 जून, 1978 को जब पुनः पेश किया तब इसके सहप्रस्तावकों की संख्या 33 हो गई थी । तदर्थ समिति के अध्यक्ष की अपील कर 29 जून 1978 को प्रस्ताव का मसौदा पेश करने वाले देश इस बात पर सहमत हो गए कि वे इस बात के लिए जोर नहीं देंगे कि इस प्रस्ताव के मसौदे पर वोट लिया जाए । बहरहाल, इस प्रस्ताव के मसौदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 33वें अधिवेशन के लिए भेज दिया गया है जहां इस पर विचार होगा । इजराइल को शस्त्रों की सप्लाई का सरकार ने बराबर विरोध किया है और यह बात सर्व-विदित है :

मध्य प्रदेश में रायगढ़ में स्वर्ण निक्षेप

1647. **श्री एफ० एच० मोहिसिन**
श्री अमर राय प्रधान } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिले में जशपुर क्षेत्र में स्वर्ण निक्षेप पाए गए हैं ;

(ख) क्या सर्वेक्षण कराया गया है और वहां निक्षेप में स्वर्ण की कितनी मात्रा का अनुमान है ; और

(ग) क्या स्वर्ण निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले की जसपुर नगर तहसील में सोने के छिटपुट निक्षेप पाए जाने की सूचना मिली है । मध्य प्रदेश के भूतत्व और खनन निदेशालय ने उसमें अन्वेषण किए हैं । ये निक्षेप आर्थिक दृष्टि से उपादेय नहीं हैं ।

ISSUE OF PASSPORTS

†1648. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no inquiry is made before the issue of passports;

(b) if so, the number of cases detected during the last 15 months where persons have been issued passports on the basis of wrong information furnished by them; and

(c) the action proposed to be taken by Government against them and the officers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU): (a) No, Sir. In all the cases of applications submitted with verification certificates signed by competent authorities or with sworn affidavits, verification from the security angle is carried out before issue of passports. Detailed police enquiry is also made but issue of the passports is not held up on this account.

In the cases of applications without verification certificates or sworn affidavits, detailed police/security enquiry is made before issue of passport. Whenever there is a genuine emergency like death or serious illness of a near relative or if the applicant si to attend a conference at short notice, a passport restricted in validity to six months is issued at the discretion of the passport officer. Full validity is restored on receipt of verification reports.

If the post-police/security verification reveals anything adverse about the application, suitable action is taken in accordance with the Passports Act, 1967.

(b) and (c) Necessary information is being collected and will be laid on the table of the House.

शोलापुर मानव चालित टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित केन्द्र में बदलना

1649. श्री एस० आर० दामाणी: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोलापुर मानव चालित टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित टेलीफोन केन्द्र में बदलने के बारे में प्रथम अनुरोध विभाग को कब प्राप्त हुआ था ;

(ख) विभाग द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई थी और इमारत के लिए जमीन का अधिग्रहण कब किया गया था ;

(ग) निर्माणकार्य कब प्रारम्भ हुआ था और आवश्यक उपकरणों के लिए आदेश कब दिए गए थे ; और

(घ) टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करने एवं उसे चालू करने में और कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) विभाग शोलापुर मैनुअल एक्सचेंज को आटोमैटिक बनाने के लिए स्वयं इच्छुक है । इस उद्देश्य के लिए इमारत के निर्माण के हेतु एक उपयुक्त भू-खण्ड का अधिग्रहण करने के लिए बहुत पहले वर्ष 1960 में प्रयास शुरु किए गए थे । इस अवधि के दौरान अनेक पार्टियों से प्रतिवेदन उक्त एक्सचेंज को आटोमैटिक बनाने के लिए प्राप्त हुए हैं।

(ख) भूमि का अधिग्रहण अन्त में 1974 में किया जा सका । आटो एक्सचेंज स्थापित करने की योजना को जनवरी, 1975 में स्वीकृति दी गई ।

(ग) इमारत का निर्माण दिसम्बर 1976 में शुरू कर दिया गया था । एक्सचेंज उपस्कर की सप्लाई के आर्डर मैसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग को मार्च, 1976 में दे दिए गए थे ताकि इमारत पूरी होने के साथ-साथ उपस्कर को सप्लाई प्राप्त हो जाए ।

(ग) बिजली की कटौती, कच्चे माल की कमी आदि जैसी अनेक समस्याओं के कारण उपस्कर के उत्पादन और सप्लाई में विलम्ब हुआ है । आशा है कि उपस्कर की सप्लाई ने इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक शुरू हो जाएगी । सामान्य सप्लाई और संस्थापना में लगने वाले समय को दृष्टि में रखते हुए आशा है कि आटोमैटिक एक्सचेंज 1981 में चालू किया जा सकेगा ।

महाराष्ट्र के जिला मुख्यालयों के बीच सीधे स्वचालित डायल व्यवस्था

1650. श्री विजय कुमार एन० पाटिल: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अनेक जिला मुख्यालयों में स्वचालित डायल व्यवस्था उपलब्ध की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन स्थानों में स्वचालित डायल व्यवस्था का प्रबन्ध करने के बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं और कितने समय में यह व्यवस्था कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां ।

(ख) देश को टेलीफोनों की मांग को पूरा करने के लिए आटोमैटिक एक्सचेंज उपस्कर काफी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमैटिक बनाने का काम विभिन्न चरणों में पूरा किया जा रहा है ।

(ग) महाराष्ट्र में जिला मुख्यालयों में सिर्फ 7 मैनुअल एक्सचेंजों को अभी आटोमैटिक बनाना बाकी है । इन एक्सचेंजों में से 5 के लिए पहले ही योजना बना ली गई है और आशा है कि ये एक्सचेंज आगामी 4 वर्षों में आटोमैटिक बना दिए जाएंगे । बाकी 3 एक्सचेंजों को 7 वीं योजना में लिया जाएगा ।

पुरुलिया डाक डिवीजन

1651. श्री सी० आर० महाटा: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुरूलिया को डाक डिवीजन के रूप में घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क)और (ख) जी हां । एक नया डाक डिवीजन खोलने के लिए कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल को 19 जुलाई, 1978 को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं । इसका मुख्यालय पुरूलिया में होगा ।

COUNTRIES WHERE INDIANS LIVE IN LARGE NUMBERS

†1652. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of the countries besides the U.K., Africa and Mauritious where the people of Indian origin are living in a large number;

(b) the countries among them where these people do not enjoy freedom of civil rights and have not been included in voters lists;

(c) the other fundamental rights besides the above rights which have been denied to the said people; and

(d) the efforts being made by the Government of India in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) Sri Lanka, Burma, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thailand, Fiji, Australia, New Zealand, Guyana, Trinidad and Tobago, Surinam, Jamaica, USA, Canada and Honk Kong.

(b) to (d) People of Indian origin who have taken up the nationality of the concerned country enjoy the same legal rights as other citizens. Government on its part, through efforts of its missions abroad and maintenance of close contacts with the governments of the countries concerned, tries to ensure that there is no discrimination against persons of Indian origin.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में रिक्त पद

1653. श्री राज कृष्ण डान: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हजारों मंजूरशुदा पद रिक्त पड़े हैं, जबकि हजारों बेरोजगार नवयुवक समूचित रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अन्याय को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो आगे अपेक्षित कार्यवाही के लिए सही दृष्टिकोण जानने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) 1-6-1978 को दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 16 लाख टन पिण्ड वार्षिक उत्पादन के आधार पर स्वीकृत पद, भरे गए पद और रिक्त पद इस प्रकार थे :—

	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद
अधिकारी . .	2125	1987	138
कर्मचारी . .	32,856	29,907	2,949

(ख) और (ग) पदों के भरे जाने में किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया गया है । स्वीकृत पद 16 लाख टन पिण्ड वार्षिक उत्पादन के लिए हैं, लेकिन अभी तक अधिकाधिक उत्पादन केवल 10·92 लाख टन हुआ है । रिक्त स्थान परिचालन आवश्यकताओं तथा सरकारी उपक्रमों की समिति द्वारा की गई निम्नलिखित सिफारिशों के आधार पर भरे जाते हैं :—

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० को चाहिए कि वह विभिन्न इकाइयों को चलाने और विभिन्न कार्यकलापों के लिए कर्मचारियों की संख्या के मानक निश्चित करे और सुनिश्चित करे कि पर्यवेक्षी तथा अन्य कार्यों के लिए कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक न हो ,

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वे अपनी उत्पादिता प्रतिवर्ष लगभग 125 टन पिण्ड प्रति व्यक्ति कर सकें ; और

(ग) जहां तक भारत का सम्बन्ध है उत्पादिता में कमी हुई है । स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० को चाहिए कि वह इस कमी के कारणों पर गम्भीर रूप से विचार करे और उत्पादन को बढ़ाने और प्रतिवर्ष 125 टन पिण्ड का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने सरकारी उपक्रमों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर श्रम-उत्पादिता में सुधार करने के उद्देश्य से जनशक्ति को निर्धारित सीमा के अन्दर रखने के लिए मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। पर्याप्त परिचालन आवश्यकताओं के बिना जन-शक्ति में वृद्धि करने से श्रम-उत्पादिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

वर्ष 1977-78 के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादिता के आंकड़े केवल 39 हैं जबकि भिलाई इस्पात कारखाने और राउरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादिता के आंकड़े क्रमश: 76 और 51 हैं।

जनसंख्या वृद्धि

1654. **श्री के० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इन समाचारों की जानकारी है कि भारत की जन संख्या 62 करोड़ से अधिक हो गई है ; और

(ख) वर्ष 1971 की जनगणना के बाद जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का जनसंख्या की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) योजना आयोग द्वारा गठित की गई एक विशेष समिति द्वारा किए गए जनसंख्या प्रोजेक्शन के अनुसार भारत की जनसंख्या अब 63 करोड़ से भी अधिक है ।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप जन्म-दर, जो 1971 की जनगणना पर आधारित अनुमानों के अनुसार 41 प्रति हजार जनसंख्या से भी उपर थी, नमूना पंजीकरण पद्धति पर आधारित महापंजीयक के अनुमान के अनुसार 1976 में कम होकर 34.4 रह गई थी और आशा है कि तब से और कम होकर लगभग 33 प्रति हजार तक हो गई होगी । वार्षिक वृद्धि-दर जो 1961-71 की अवधि में 2.2 प्रतिशत के करीब थी, नमूना पंजीकरण पद्धति के अनुसार 1976 में 1.94 प्रतिशत थी ।

गर्वनमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपो मद्रास के कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना

1655. **श्री ए० मरुगेसन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपो, मद्रास-3 में ग्रुप 'सी' और 'डी' के पात्र कर्मचारियों को स्थायी बनाए जाने के आदेश वर्ष 1973–78 से जारी नहीं किए गए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपो, मद्रास के अधिकारियों ने नैमित्तिक श्रमिकों को दूसरे वेतन आयोक की सिफारिशों में निर्धारित वेतनमान नहीं दिए हैं जिन्होंने 240 दिनों से अधिक तक नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में काम किया है और बाद में गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपो, मद्रास में नियमित श्रमिकों के रूप में नियमित कर दिए गए हैं ; और

(ग) क्या गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपो, मद्रास के भूतपूर्व नैमित्तिक श्रमिकों को इस बात के बावजूद सेवा प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हैं कि श्रम मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपो, मद्रास के स्थानीय अधिकारियों को सेवा प्रमाणपत्र जारी करने के अनुदेश जारी कर रखे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी नहीं, 23 मई, 1966 से बाद अब तक उन 32 नैमित्तिक मजदूरों को जो 1961 से काम कर रहे थे, मई 1966 में स्वीकृत किए गए पैकरों के नए आपरेटिड पदों तथा

फैक्टरी हैण्ड्स के विरुद्ध खपाया जा चुका है । उन्हें द्वितीय वेतन आयोग द्वारा संशोधित वेतनमानों में निर्धारित वेतन और भत्तों का भुगतान किया जा चुका है और उन्हें वेतन आदि का कोई बकाया देय नहीं है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

PRINTING OF PASSPORT FORMS IN REGIONAL LANGUAGES

†1656. SHRI S. S. SOMANI
SHRI K. MALLANNA } Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to print passport application forms in all the Indian languages for facility of the people; and

(b) if so, by what time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) and (b) The matter is under consideration and a decision will be taken as early as possible.

वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली में जूनियर रेजिडेन्ट डाक्टर

1657. श्री के० मलन्ना : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वल्लभभाई पटेल वैस्ट इंस्टीट्यूट के द्वितीय वर्ष के जूनियर रेजिडेंट डाक्टरों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य स्नातकोत्तर चिकित्सा शास्त्र केन्द्रों में प्रचलित रेजिडेंसी योजना की जैसी योजना के अधीन एम० डी० तथा डी० सी० टी० डी० एक्स० पाठ्यक्रमों को शामिल करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रों ने 650 रुपए मासिक छात्रवृत्ति की मांग की है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य चिकित्सा स्नातकोत्तर छात्रों को मिल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री) जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली में (क्षयरोग और वक्ष रोगों में एम० डी० तथा डी० टी० सी० डी० कोर्सों) स्नातकोत्तर छात्रों ने रेजीडेंसी योजना के अन्तर्गत इन कोर्सों को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन दिया है । चूंकि यह संस्थान रेजीडेंसी योजना शुरु करने के लिए निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं करता है इसलिए इन छात्रों की मांगों को नहीं माना जा सका ।

इन छात्रों को 1977-78 में चार सौ रुपए प्रतिमास कर दर से छात्रवत्तियां स्वीकृत की गई थी । चूंकि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान उन संस्थानों में से एक है जो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाते हैं इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय को 1978-79 के दौरान छात्रवृत्तियां देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निवेदन करने के लिए कह दिया गया है । दिल्ली विश्वबिद्यालय को यह भी सूचित कर दिया गया है कि भारत सरकार जूनियर रेजीडेंटों के केवल छः पद स्वीकृत करने की बात पर केवल तभी सहमत हो सकती है यदि इस संस्थान में स्नातकोत्तर छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उक्त संख्या तक सीमित कर दिया जाता है ।

SETTING UP OF TELEPHONE EXCHANGE IN AMGAON AND DEWARI

†1658. SHRI LAXMAN RAO MANKAR : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration a proposal to set up telephone exchanges in Amgaon and Dewari in Bhandara District;

(b) the time by which work on these exchanges will be completed; and

(c) whether telephone connections will not be provided in Adivasi areas unless these exchanges are ready ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) to (c) Small automatic exchange of 50 lines is already working at Amgaon. There is no village by name Dewari in Bhandara District. However, there is a village by name Deori in Bhandara District which is already served by a 25 lines exchange. Expansion of these exchanges is also planned.

KALA AZAR

1659. SHRI RAM VILAS PASWAN
SHI RAJENDRA KUMAR SHARMA
SHRI SURENDRA JHA SUMAN } : Will the Minister of HEALTH AND WELFARE be pleased to state :

(a) whether despite the efforts made by the Central Government Kala-Azar has not been checked and it is again breaking out in Vaishali and other Districts of Bihar; and

(b) the number of persons died of Kala-Azar so far and the steps being taken by Government to eradicate it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) In the districts affected by Kala-azar during 1977 where DDT spray was undertaken, the incidence has been checked, but increased number of cases have been reported from the districts where DDT spray was not undertaken last year. Such spray has now been undertaken in all the affected districts.

(b) During 1977, 229 deaths were reported. During 1978, upto 8th July, 1978, thirty one deaths have been reported. Steps taken to control the disease include :

1. Spraying of DDT is the houses and roof structures;
2. Early detecion and complete treatment of cases;
3. Spreading health education amongst the public; and
4. Training of block medical officers in controlling Kala-azar.

सांविधिक समितियों तथा बोर्डों में सी० आई० टी० यू० को प्रतिनिधित्व

1660. **श्री भगत राय :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले श्रमिक सम्मेलन में ऐसा निर्णय हुआ था कि सांविधिक समितियों तथा बोर्डों में सी० आई० टी० यू० को प्रतिनिधित्व दिया जाए ;

(ख) ऐसे सांविधिक निकायों के नाम क्या हैं जिनमें सी० आई० टी० यू० को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और जिनमें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है ;

(ग) सम्मेलन के इस निर्णय को क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार इस निर्णय को कब क्रियान्वित करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 6 और 7 मई, 1977 को हुए पिछले त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

LAYING OF TELEPHONE LINES IN ADIVASI AREAS

†1661. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is proposed to undertake the work of laying telephone lines in Adivasi areas on priority basis; and

(b) if so, the names of the backward areas where telephone lines will be laid during the next year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) It is proposed to provide long distance P.C.Os in Adivasi areas declared as backward, at places with a population not less than 2500 irrespective of financial viability. Since the number of such stations are large, provision of this facility will be done progressively during the plan period 1978—1983.

(b) A list of backward areas of the country where such facility is proposed to be extended during 1979-80 and subsequent years of the plan are given in the annexures. [Placed in Library. See No. LT-2502/78]. All the areas may not be covered in any particular year.

LAYING OF NEW TELEPHONE LINES IN STATES

†1662. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the state where new telephone lines were laid during the past one year;

(b) the total expenditure incurred theron; and

(c) whether the principle of according priority to backward areas was followed in laying above lines?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) The States and the Union territories where the telephone lines (PCOs) were opened during 1977-78 are given below :—

1. Andhra
2. Arunachal
3. Assam
4. Andaman & Nicobar Islands
5. Bihar
6. Gujarat
7. Haryana
8. Himachal Pradesh
9. Jammu & Kashmir
10. Karnataka
11. Kerala
12. Meghalaya
13. Manipur
14. Mizoram
15. Madhya Pradesh
16. Maharashtra
17. Nagaland
18. Orissa.
19. Pondicherry
20. Punjab
21. Rajasthan
22. Sikkim
23. Tamil Nadu
24. Uttar Pradesh
25. West Bengal

(b) The total expenditure incurred on the P.C.O. programme was Rs. 6.61 crores approximately.

(c) Yes, Sir. Out of 2790 P.C.Os. opened during 1977-78, 2180 P.C.Os. were in backward and hilly areas.

CRITERIA FOR LAYING TELEPHONE LINES ON PRIORITY BASIS

†1663 SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government have decided to lay telephone lines on priority basis during coming years; and

(b) if so, the criteria to be followed thereof and the areas where telephone lines are proposed to be laid during the next year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Telephone lines will be provided with within the allocations that may be approved by the Parliament.

(b) Telephone exchanges are provided on the basis of financial viability. Long distance P.C.Os. are proposed to be installed progresisvely in ordinary as well as backward and hilly areas of the country. Places of administrative importance like District Headquarters, Tehsil and Sub Tehsil Headquarters, Sub Divisional Headquarters and Block Headquarters will be provided with P.C.Os. irrespective of revenue considerations. Similarly, places with a population not less than 5000 in ordinary areas and not less than 2,500 in backward and hilly areas will also be provided with P.C.Os. irrespective of revenues considerations. Most of such stations are planned to be provided with P.C.O. facilities progressively during the next year and subsequent years of the sixth plan period.

PROPOSAL TO LAY TELEPHONE LINES NEXT YEAR

†1664. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to lay telephone lines during the next year;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether backward and Adivasi areas and border States will be given priority in the matter;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) if so, the names of such places as will be given telephone facility during the coming year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) and (b) Yes, Sir. It is proposed to provide telephone facilities at 2,500 new villages during 1979-80.

(c) and (d) Telephone facilities in the backward areas including adivasi areas included in backward areas and border stations will be provided with telephone facility on priority along with stations of administrative importance under the terms of concessional policy. The programme will be carried out progressively within the limits of financial allocation during the Sixth Plan.

(e) The names of the places proposed to be provided with telephone facilities during 1979-80 have not yet been listed, but it is proposed to provide telephone facilities in a number of stations in backward and hilly areas as well as tribal areas.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण

1665. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस समय दिया जा रहा प्रशिक्षण न तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता और न ही लघु उद्योगों की तकनीकी जानकारी की आवश्यकताओं को पूरा करता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूर्ति नहीं करता है। इस का कारण यह है कि इस योजना का उद्देश्य अब तक निम्नलिखित रहा है :—

(1) उद्योग के लिये विभिन्न व्यवसायों में कुशल श्रमिकों का लगातार प्रवाह सुनिश्चित करना;

(2) श्रमिकों के नियमित प्रशिक्षण द्वारा औद्योगिक उत्पादन के दर्जे और मात्रा को बढ़ाना; और

(3) शिक्षित नवयुवकों को उचित औद्योगिक नियोजन के लिये तैयार कर के उनकी बेरोजगारी को कम करना।

चूंकि औद्योगिक वृद्धि अधिकतर शहरी क्षेत्र में हुई है, इसलिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी अधिकतर ऐसे शहरी क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं, जहां औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या अधिक है, या जहां उद्योग के विकसित होने की संभावना है। तथापि, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाने वाला प्रशिक्षण, लघु उद्योगों में ऐसे संबंधित दक्षता क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है जिनके लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ख) सरकार ने संकल्प संख्या डी० जी० ई० टी०-3(4)/78-टी० सी०, दिनांक 25 अप्रैल, 1978 द्वारा एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है, जिस के विचारार्थ विषयों में से एक विषय निम्नलिखित है :—

'देश के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के लिये और ऐसे क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के कौशल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने के लिये अध्ययन करना और उपायों की सिफारिश करना।'

इस के अतिरिक्त, उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट दक्षता सम्बन्धी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिये सर्वेक्षणों का आयोजन करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

IMPROVING TELEPHONE SERVICE IN SAMASTIPUR AND ROSRA

†1666. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government are considering any proposal to operate properly the telephone system in Samastipur and Rosra in Bihar district, and

(b) if so, by what time it is expected to be done ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) and (b) The telephone systems at Rosra and Samastipur are working satisfactorily. Any defect as and when it occurs is attended to promptly.

DISTRICTS/AREAS DECLARED BACKWARD FROM POSTAL FACILITIES ANGLE

†1667. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether in some States some Districts and some parts thereof have been declared backward from the angle of development of postal facilities and it was also decided to provide communication facilities in these areas even if it resulted in loss and; if so, when this decision was taken; and

(b) whether Government wll make a fresh assessment of these Districts/areas from postal facilities point of view and if so, when and if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) Yes, Sir. From time to time since 1953, certain districts/areas in different States have been declared 'backward' for development of postal facilities even if it resulted in loss.

(b) The matter is under consideration.

1668. श्री पी० वेंकट सुब्बया
श्री राम विलास पासवान
श्री शरद यादव } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की नवीनतम संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अर्हताप्राप्त नवयुवकों को रोजगार देने के अवसर उत्पन्न कर रही है;

(ग) क्या रोजगार के अवसर पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं; जैसा कि रोजगार दफ्तरों में नाम दर्ज कराने वाले व्यक्तियों और रोजगार दफ्तरों के माध्यम से रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात से स्पष्ट है; और

(घ) क्या रोजगार की पहले से चिन्ताजनक स्थिति से निपटने के लिये सरकार एक द्रुत कार्यक्रम प्रारम्भ करने की इच्छुक है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ग) 31 दिसम्बर, 1977 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर राज्य-वार रोजगार चाहने वालों की संख्या (यह आवश्यक नहीं है कि उनमें सभी बेरोजगार हों) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । 1975, 1976 और 1977 वर्षों के दौरान पंजीकरणों की तुलना में नौकरी दिलाने की प्रतिशतता क्रमश: 7.4, 8.8 और 8.7 थी, जो जहां तक रोजगार कार्यालयों का सम्बन्ध है, कार्य अवसरों के सृजन में कोई कमी नहीं दर्शाते ।

(ख) औ (घ) इस समय रोजगार सृजित करने का कोई द्रुत कार्यक्रम परिकल्पित नहीं है । तथापि, योजना आयोग ने अधिक रोजगार वाली मसोदा पंच वर्षीय योजना (1978—83) तैयार की है । योजना की रोजगार नीति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोज़गार की अधिकता वाली क्षेत्रक आयोजना को अपनाना, प्रौद्योगिक परिवर्तन का उपयोग करना और उसे विनियमित करना है, जिस से रोजगार बढ़े और पूर्ण रोजगार के लिये क्षेत्रीय आयोजना को बढ़ावा मिले ।

विवरण

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिसम्बर 1977 के अंत में चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	801.4
2. असम	221.4
3. बिहार	1065.3
4. गुजरात	386.3
5. हरियाणा	274.8
6. हिमाचल प्रदेश	92.5
7. जम्मू और कश्मीर	44.2
8. कर्नाटक	497.9
9. केरल	846.5
10. मध्य प्रदेश	668.8
11. महाराष्ट्र	922.5
12. मणिपुर	60.4
13. मेघालय	10.9
14. नागालैंड	2.7
15. उड़ीसा	355.1
16. पंजाब	355.0
17. राजस्थान	283.6
18. सिक्किम*	*
19. तमिलनाडु	923.0
20. त्रिपुरा	59.2
21. उत्तर प्रदेश	1309.7
22. पश्चिम बंगाल	1403.9
संघ शासित क्षेत्र	
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5.6
2. अरूणा चल प्रदेश*	*

3. चण्डीगढ़ .	43.2
4. दादरा और नागर हवेली* .	*
5. दिल्ली .	225.4
6. गोवा .	31.4
4. लक्षद्वीप	2.8
8. मिजोरम	7.3
9. पांडिचेरी	22.8
अखिल भारतीय योग:—	10924.0

नोट: 1. *इन राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं होते हैं।

3. पंजीकरण स्वैच्छिक होने के कारण यह जरूरी नहीं है कि सभी बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करवायें।

4. पूर्णांकन के कारण ऊपर दिये गये आंकड़े योग से मेल नहीं खाते हैं।

श्रम कानूनों का सरलीकरण

1669. श्री प्रसन्न भाई मेहता: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में श्रम कानूनों का सरलीकरण करने के लिये कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसा कब किया जायेगा; और

(घ) श्रमिकों को इससे कहां तक लाभ होगा?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) अनुमानत: आशय विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत छोटे यूनिटों द्वारा रखे जाने वाले फार्मों और रजिस्टरों के सरलीकरण के बारे में हैं। इस प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध कानून पर निर्भर करती है।

नई इस्पात नीति और इस्पात ट्यूब उद्योग पर इसका प्रभाव

1670. **श्री निहार लास्कर:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात ट्यूब उद्योग को एच० आर० कोयलों और स्केल्प की सप्लाई के बारे में बनी अन्तमंत्रालय समिति द्वारा तैयार की गई नई इस्पात नीति का देश के इस्पात ट्यूब बनाने वाले 50 से अधिक एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो नई नीति से ट्यूब उद्योग को किस रूप से हानि होगी;

(ग) क्या सरकार ने इस्पात नीति पर पुनः विचार करना स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ट्यूब उद्योग को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) गर्म बेलित क्वायलों और स्केल्प की देशीय उपलब्धि में अस्थाई कमी के कारण उपलब्ध मात्रा को ट्यूब निर्माताओं और अन्य उपभोक्ताओं में उनके निर्यात वायदों, भूत में की गई खरीद और उनकी क्षमता के आधार पर वितरित करने का फैसला किया गया है। इससे वितरण में समानता लाई गई है और ट्यूब उद्योग को भी कोई हानि नहीं हुई है।

(ग), (घ) और (ङ) आशा है आगामी महीनों में गर्म बेलित क्वायलों और स्केलप के उत्पादन में वृद्धि होगी और ट्यूब उद्योग को अधिक माल मिलेगा। देशीय उत्पादन में वृद्धि करने के लिये इन क्वायलों का आयात करने के लिये भी प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

भर्ती करने वाले एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

1671. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन फर्मों तथा एजेंटों के नाम क्या हैं जिनके विरूद्ध विदेशों को, फारस की खाड़ी तथा अरब देशों के लिये भारतीय मजदूर भर्ती करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क और (ख) जब से भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने भर्ती एजेंटों का पंजीकरण आरम्भ किया है, तब से कुल 34 पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई हैं, जैसे कि व्यक्तियों, राजदूतावासों विदेश मंत्रालयों, इत्यादि से। इन शिकायतों की जांच पड़ताल हेतु उपयुक्त प्राधिकारियों को भेज दिया गया था। जांच पड़ताल के परिणाम स्वरूप, 8 फर्मों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को निराधार पाया गया था। ऐसी फर्मों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट –1) [ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 2503/78]

जांच पड़ताल से यह पता चला है कि 5 फर्मों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों में कुछ तथ्य था। ऐसी फर्मों की सूची, उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप तथा की गई कार्रवाई परिशिष्ट-II [ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 2503/78] में दी गई है।

21 पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरूद्ध शिकायतों की जांच पड़ताल उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है। जांच पड़ताल के कार्य की दृष्टि से यह उचित नहीं होगा अगर ऐसे भर्ती एजेंटों के नाम बता दिये जायें जब तक कि जांच पड़ताल पूरी न हो जाये।

PERSONS PROVIDED WITH EMPLOYMENT

1672. SHRI SHARAD YADAV : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state the number of unemployed persons provided with employment during 1977 and 1978 in the country ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : Available information to the number of job-seekers placed in employment through the Employment Exchanges, which was 461.6 thousands during the year 1977 and 146.7 thousands during the period January to April, 1978.

E.D.A. EMPLOYEES IN P&T DEPTT.

†1673. SHRI GANGADHAR APPA BURANDE : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the total number of EDA employees in the P&T Department throughout the country and the years for which they have been working;

(b) whether Government propose to absorb them in the Department ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SKHDEO SAI): (a) 2,22,418 as on 31st March 1977. Collection of information about the years of service rendered by each E.D.A. employee will take quite some time from the various units. The minimum age limit for appointment of an Extra Departmental Agent is however 18 years and the maximum age limit upto which he can be retained in service is 65 years.

(b) There is no such proposal. However, avenues are available for them for their absorption in the Departmental candre like Class IV (Group 'D'), Postmen and clerks. Extra departmental agents having not less than 3 years service can be absorbed in Group 'D' and Group 'C' (Postmen) posts through written tests, and the maximum age limit of 25 years prescribed for outside candidates is relaxed to 40 years in their case. Matriculate agents with one year's service also get age concession upto 40 years for direct recruitment on basis of marks in Matriculation Examination.

पारादीप पत्तन में यूनियनों की सदस्यता की जाँच

1674. **श्री सौसत राय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन में यूनियनों की सदस्यता की जांच के बारे में उड़ीसा के संसद सदस्यों से मंत्रालय में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) ने उक्त शिकायतों के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार इन शिकायतों की जांच कर रही है और आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

हिन्दुस्तान स्टील लि० स्टाकयार्ड, गोहाटी, द्वारा उपभोक्ताओं को इस्पात की सप्लाई ।

1675. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान हिंदुस्तान स्टील लि०, स्टाकयार्ड, गोहाटी द्वारा बेचे गये इस्पात के सामान की कुल मात्रा का (माहवार) ब्यौरा क्या है ;

(ख) मेघालय के इस्पात उपभोक्ताओं को बेची गई कुल मात्रा का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिंदुस्तान स्टील लि० ने गोहाटी स्थित अपने स्टाकयार्ड से उपभोक्ताओं को सीधे ही अपने उत्पादों की बिक्री करने का अभी हाल में निर्णय किया है जिससे मेघालय के उपभोक्ताओं विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी जिलों के उपभोक्ताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गोहाटी पहुंचने के लिए उन्हें 200 और 500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है; और

(घ) यदि हां तो क्या उपभोक्ताओं को स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से इस्पात का सामान सप्लाई करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) पिछले वित्त वर्ष में सेल के गोहाटी स्थित स्टाकयार्ड द्वारा इस्पात सामग्री की बिक्री का महीनावार विवरण नीचे दिया गया है :—

मास	बेची गई मात्रा
अप्रैल, 77	4442 टन
मई, 77	2384 टन
जून, 77	3655 टन
जुलाई, 77	3321 टन
अगस्त, 77	2500 टन
सितम्बर, 77	1970 टन
अक्टूबर, 77	2851 टन
नवम्बर, 77	3246 टन
दिसम्बर 77	2652 टन
जनवरी, 78	4530 टन
फरवरी, 78	6031 टन
मार्च, 78	6304 टन
जोड़ :	43886 टन

(ख) जिलानुसार बिक्री का ब्यौरा नहीं रखा जाता है । वर्ष 1977–78 में गौहाटी स्थित स्टाकयार्ड द्वारा मेघालय के उपभोक्ताओं को 1311 टन इस्पात बेचा गया ।

(ग) और (घ) इस्पात सामग्री की बिक्री में वास्तविक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है । फिर भी कुछ माल व्यापारियों को देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

COAL IMPORTED FOR STEEL PLANTS

1676. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state the names of the countries from which coal was imported for steel plants indicating the quantity of coal imported and the names of the countries which submitted tenders, the rates quoted therein by each of the countries and the basis on which tender was accepted ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : There have been no imports of coking coal so far for use in the Steel Plants.

भारतीय हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों की जांच

1677. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सान्ता क्रज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों की जांच कराने के लिए यात्रियों को लंबी लाइनों लगानी पड़ती हैं और उन्हें टर्मिनल बिल्डिग के बाहर खड़ा रहना पड़ता है जिससे प्रवेश द्वार रुक जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे और न्यूयार्क के जे० एफ० के० हवाई अड्डे पर अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की जाती है, जिससे यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके ; और

(ग) भारतीय हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों की जांच करने की व्यवस्था को क्यों नहीं समाप्त किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) कभी कभी सान्ताक्रुज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थान की कमी तथा एक दम बड़े बड़े जहाजों में बहुत से यात्री इकठे आ जाने के कारण स्वास्थ्य केंद्रों पर यात्रियों की एक लम्बी कतार लग जाती है । हाल ही में स्वास्थ्य जांच करने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दिए जाने के कारण काउंटरों पर देरी होने की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पीत ज्वर, चेचक, हैजा इत्यादि जैसे भयानक रोग विदेशों से न आएं इसके लिए भारतीय हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य संबंधी जांच करने की व्यवस्था जारी रखी जा रही है । जब तक इन बीमारियों के आने और भारत में फैलने का खतरा बना रहता है तब तक ऐसी जांचें करनी ही होंगी ।

DELEGATION SENT TO MOSCOW

1678. SHRI RAJKESHAR SINGH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a high level delegation has been sent to Moscow on the 10th July, 1978;

(b) the subjects discussed by the delegation; and

(c) whether Government propose to send such delegations to any other country also to have talks on economic cooperation and trade?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) Yes, Sir, the delegation in question is the Indian part of the Working Group set up by the fourth meeting of Indo-Soviet Joint Commission.

(b) The two delegations drew up a model of the draft of a long-term programme on economic, trade, scientific and technical cooperation. It was also decided to set up joint sub-groups of experts for making specific proposals for inclusion in the long-term programme of cooperation in various fields. The second session of the Working Group is likely to take place in Delhi in December, 1978 for finalisation of the draft long-term programme for its submission to the Joint Commission at its next session.

(c) Government has institutional arrangements with a number of countries to promote our trade, economic, scientific and technological cooperation. Under such Joint Commissions/Committees various groups and sub-committees are formed. Their composition, spheres of responsibilities etc. vary from country to country and depend upon the content and level of our respective bilateral cooperation. As such, delegations and group meetings are arranged as and when considered appropriate and necessary by us and the foreign Governments concerned.

स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव

1679. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री जी० एम० बनतवाला } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्पूर्ण देश में यह योजना कब तक आरंभ हो जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार नहीं कर रही है ।

PER CAPITA MEDICAL EXPENDITURE

1680. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 626 on the 6th April, 1978 regarding per capita Medical Expenditure and state :

(a) whether per capita expenditure incurred by the Central and State Governments in Gujarat for medical treatment was Rs. 8.56;

(b) whether Government had proposed to increase that expenditure in 1976-77 and 1977-78 and if so, the extent thereof;

(c) whether Government are satisfied with the per capita expenditure being incurred at present and if not, whether Government propose to seek foreign assistance for the purpose; and

(d) if so, the names of the countries with which negotiation are going on for the assistance ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The per capita expenditure was Rs. 8.56 based on plan and non plan expenditure increased by both the State and Central Governments.

(b) The Per Capita Expenditure on Health in Gujarat increased from Rs. 10.68 in 1975-76 to Rs. 12.48 in 1976-77. The expenditure figures for the year 1977-78 have yet to be compiled.

(c) and (d) The Central and State Governments are trying their best to improve the delivery of Health Services in Gujarat and the State Government is being provided assistance for implementing various State and Centrally Sponsored Schemes in accordance with the outlays approved by the Planning Commission.

The Plan ependiture on Health programmes in Gujaart improved from Rs. 128.57 lakhs in 1976-77 to Rs. 270.29 lakhs in 1977-78.

The Governmnt is not seeking foreign assistance for any specific State. However, foreign countries have provided assistance for some of our National Schemes such as Malaria control, prevention of visual blindness, reorientation of medical education etc. The sum total of internal inputs and external inputs are both reflected in the overall plan outlays determined for Health Sector programme of a particular State.

PER CAPITA MEDICAL EXPENDITURE IN BIHAR

1981. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 626 on the 6th April, 1978 regarding Per Capita Medical Expenditure and state :

(a) whether per capita Central and State expenditure in Bihar during 1974-75 was Rs. 4.09;

(b) if so, whether it was proposed to increase this amount during 1976-77 and 1977-78;

(c) if so, the extent thereof and whether Government are satisfied with the per capita expenditure made so far;

(d) if not, whether it is proposed to seek assistance from other countries; and

(c) if so, the names of the countries with which talks are being held in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The per capita expenditure was Rs. 4.09 based on plan and non plan expenditure incurred by both the State and Central Governments.

(b) The Per Capita Expenditure on Health programmes in Bihar increased from Rs. 4.46 in 1975-76 to Rs. 4.57 in 1976-77. The expenditure figures for the year 1977-78 have yet to be compiled.

(c) The Central and State Governments are trying their best to improve the delivery of Health Services in Bihar and the State Government is being provided assistance for implementing various State and Centrally Sponsored schemes in accordance with the outlays approved by the Planning Commission.

The plan expenditure on Health Programmes in Bihar improved from Rs. 603.50 lakhs in 1976-77 to Rs. 643.00 lakhs in 1977-78.

(d) and (c) The Government is not seeking foreign assistance for any specific State. However, foreign countries have provided assistance for some of our National Schemes such as Malaria contorl, prevention of visual blindness, reorientation of medical education etc. The sum total of internal inputs and external inputs are both reflected in the overall plan outlays determined for Health Sector programme of a particular State.

PER CAPITA EXPENDITURE IN HARYANA

1682. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 626 on the 6th April, 1978 regarding per capita medical expenditure and state ·

(a) whether the per capita Central and State expenditure in Haryana during 1974-75 was Rs. 9.99;

(b) if so, whether it was proposed to increase this amount during 1976-77 and 1977-78 and if so, the extent thereof;

(c) whether Government are satisfied with the per capita expenditure incurred so far;

(d) if not, whether it is proposed to seek assistance from other countries; and

(c) if so, the names of the countries with which talks are being held in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The per capita expenditure was Rs. 9.99 based on plan and non plan expenditure incurred by both the State and Central Governments.

(b) The per capita expenditure on Health programmes in Haryana increased from Rs. 11.19 in 1975-76 to Rs. 12.45 in 1976-77. The expenditure figures for the year 1977-78 have yet to be compiled.

(c) The Central and State Governments are trying their best to improve the delivery of Health Services in Haryana and the State Government is being provided assistance for implementing various State and Centrally Sponsored Schemes in accordance with the outlays approved by the Planning Commission.

The expenditure on Health Plan Programmes in Haryana improved from Rs. 326.71 lakhs in 1976-77 to Rs. 366.00 lakhs in 1977-78.

(d) and (e) The Government is not seeking foreign assistance for any specific State. However, foreign countries have provided assistance for some of our National Schemes such as Malaria control, prevention of visual blindness, reorientation of medical education etc. The sum total of internal inputs and external inputs are both reflected in the overall plan outlays determined for Health Sector programmes of particular State.

औद्योगिक संबंधों पर विचार के लिये त्रिपक्षीय बैठक

1683. **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक संबंध खराब हो गये हैं अथवा खराब होने के चिह्न दिखाई दे रहे हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार का विचार इस मामले पर विचार करने के लिये एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) पिछले कुछ महीनों के दौरान सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक संबंध बहुत अधिक खराब नहीं हुए हैं । 28 जून, 1978 को हड़ताल की धमकी दी गई थी लेकिन ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्शों के परिणाम स्वरूप यह हड़ताल टल गई । इन विचार-विमर्शों से सरकारी क्षेत्र में सामूहिक सौदेकारी और मजदूरी पुनरीक्षा के संबंध में ट्रेड यूनियनों की आशंकाओं को दूर करने में सहायता मिली है ।

कल्याण नगरपालिका को सड़क क्षति प्रभार का भुगतान

1684. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग ने कुछ वर्ष पूर्व भूमिगत टेलीफोन लाइनें बिछाए जाने के कारण सड़क क्षति प्रभार के रूप में कोई धनराशि कल्याण नगरपालिका (जिला थाना, महाराष्ट्र) को दी थी;

(ख) क्या कल्याण नगर परिषद् से टेलीफोन विभाग के कल्याण डिवीजनल इंजीनियरों को हाल ही में कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें डायल प्रणाली आरंभ किए जाने

के परिणामस्वरूप नगर के दोनों और भूमिगत केबल बिछाए जाने के कारण सड़क क्षति प्रभार की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां तो संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) कल्याण नगरपालिका ने पुनः स्थापना शुल्क संबंधी 3,41,872 रुपए का एक बिल सं० पी० डब्ल्यू० बी०/105 दिनांक 20-4-78 भेजा था । लेकिन इस बिल में पुनः स्थापना के बारे में पूरी सूचना नहीं है ।

(ग) मुख्य अधिकारी कल्याण नगरपालिका से आवश्यक ब्यौरे देने के लिए निवेदन किया गया है । जैसे ही आवश्यक ब्यौरे प्राप्त हो जाएंगे दावे का निपटारा कर दिया जाएगा।

डाक तार विभाग द्वारा सेवा शुल्क की अदायगी

1685. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र सं० 4(7)पी/65 दिनांक 29 मार्च, 1967 द्वारा केंद्रीय सरकार को सम्पत्तियों के सेवा शुल्क की अदायगी के बारे में मात्रा तथा प्रक्रिया निर्धारित की थी, इसकी जानकारी सभी स्थानीय निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली केंद्रीय सरकारी सम्पदाओं के बारे में दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक तार विभाग ने 1-4-1937 के पश्चात कल्याण नगरपालिका (जिला थाना, महाराष्ट्र) की नगर सीमा में तीन भवन बनाए हैं परन्तु गत आठ वर्षों से सेवा शुल्क को 1,48,050 रुपए की राशि का भुगतान निरन्तर स्मरण पत्र भेजते रहने के उपरान्त भी उक्त नगरपालिका को अभी तक नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नगरपालिका को उक्त राशि का भुगतान अब कब तक कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कल्याण हेतु मंडल इंजीनियर तार के पास कल्याण नगरपालिका की तरफ से सिर्फ 4-3-78 को सेवा प्रभार के तौर पर, 1,38,348 रुपए की मांग प्राप्त हुई है। इस रकम की अदायगी नहीं की जा सकी क्योंकि उनके पास इसके लिये उनको कोई निधि नहीं दी गई थी। उन्होंने आवश्यक निधि की व्यवस्था करने के लिए आवेदन किया है । वास्तविक रूप में देय और अपेक्षित रकम का सत्यापन करने के बाद आशा है कि बिलों की अदाचगी अगस्त 1978 तक कर दी जाएगी ।

LAND FOR POST OFFICE BUILDING IN TALALA-GIR IN JUNAGARH

†1686. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether land has been provided for constructing a building for the post office at some central place in Talala-Gir city of District Junagarh in Saurashtra, Gujarat and if so, when and on what terms the land has been provided indicating the area of the land provided;

(b) whether there is resentment among the people and the employees against providing only cement sheets on the building of the said Post Office;

(c) the date on which the Post Office has been opened in Talala-Gir and whether the Post Office is at present functioning in its own building or in a rented building;

(d) if the said building has been constructed by the Postal Department, when it was constructed and at what cost;

(e) the action taken so far to provide better amenities to the postal employees or the action proposed to be taken in this regard indicating the nature of the action to be taken and the time by which it is proposed to be taken; and

(f) the number of villages being served at present by the Post and Telegraph office of Talala-Gir ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) A plot measuring 1076 sq. yds. was acquired on 1-66 on terms that the department shall construct the building within two years.

(b) No, Sir.

(c) The post office at Talala-Gir was opened on 15-7-1953 and is functioning in a rented building.

(d) and (e) A departmental building is now under construction. Basic amenities are available in the rented building. These will also be available in the new building.

(f) The Posts and Telegraph Office at Talala-Gir serves 22 villages.

भुसावल में रेल डाक सेवा डिवीजन कार्यालय भवन का निर्माण

1687. **श्री भगत राम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुसावल के रेल डाक सेवा डिवीजनल कार्यालय के लिए भवन बनाने के, 1933–74 में मंजूर हुए प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ निहित स्वार्थों के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है; और

(ग) क्या सरकार इस भवन को अविलम्ब बनाने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : भुसावल के रेल डाक सेवा मंडल के कार्यालय की इमारत के निर्माण की स्वीकृति भारतीय रेलवे ने वर्ष 1973–74 के दौरान दी थी । निधि की कमी के कारण यह प्रस्ताव कियान्वित नहीं किया जा सका ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऐसा प्रस्ताव है कि प्राथमिकता वाली कुछ रेल डाक सेवा की इमारतों के निर्माण का काम भारतीय रेलवे से वर्ष 1978–79 के दौरान करवा लिया जाए और इसके लिए निधि की स्वीकृति पहले से ही दे दी गई है । तथापि, इस इमारत के निर्माण के बारे में वर्ष 1979–80 के दौरान विचार किया जाएगा ।

रेल डाक-सेवा का दो भागों में विभाजन

1688. **श्री भगत राम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल डाक सेवा के 'एन' डिवीजन को दो भागों में विभाजित करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि डाक सेवा विस्तार के बिना रेल डाक सेवा डिवीजन को दो भागों में विभाजित करने से किसी क्षेत्र का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता; और

(ग) इस विभाजन पर कितना व्यय हुआ है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) उड़ीसा के पिछड़े इलाकों में, जहां अधिकांश रूप में आदिवासी रहते हैं, कुशल डाक सेवा प्रदान करने के लिये रेल डाक सेवा के 'एन' डिवीजन को दो भागों में विभक्त कर दिया गया था ।

(ख) 'एन' डिवीजन को दो भागों में विभक्त कर देने से नये डिवीजन के पिछड़े इलाके के डाक कार्यालयों और रेल डाक सेवा सैक्शनों की ओर अब ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है जिससे कि डाक का पारेषण और वितरण तुरन्त हो सके।

डाक-कार्यपाल के विस्तार के संबंध में स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है।

(ग) इस प्रस्ताव पर स्थापना का कुल अतिरिक्त खर्च 16,325/-- रुपए प्रतिवर्ष है ।

TELEPHONE REMAINING OUT OF ORDER IN ALIGARH

†1689. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of telephone connections of the Aligarh Telephone Exchange remained out of order during this summer and how many times they developed defects;

(b) whether several, telephones remained out of order for more than 24 hours; and

(c) if so, the number of such telephones ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) During this summer i.e. April, May and June 1978, the number of telephone faults in Aligarsh were 2808 in April, 2840 in May, and 2943 in June. The number of repeat faults per month during those months were about 42.

(b) and (c) The number of telephones remaining out of order for more than 24 hours were 51 in April, 60 in May and 165 in June.

नई दिल्ली में रेल डाक सेवा कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह

1690. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य सर्किलों से कार्य पर आने वाले रेल डाक सेवा कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली में विश्राम गृह की व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या कर्मचारी संघ ने यह सुझाव दिया है कि आज जहां पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय स्थित है उस भवन को विश्राम गृह बना दिया जाए और पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय को अशोक रोड स्थित बहुमंजिले डाक तार भवन में भेज दिया जाए;

(ग) क्या सरकार इस सुझाव के पक्ष में विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी नहीं । रेल डाक सेवा के जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान रेल डाक सेवा के अनुभागों के साथ दिल्ली आते हैं वे रेल डाक सेवा भवन, कश्मीरी गेड के विश्राम गृह में विश्राम करते हैं । यह भवन दिल्ली जी० पी० ओ० के बराबर है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेल डाक सेवा 'डी० 3' अनुभाग में कर्मचारियों की कमी

1691. **श्री समर मुखर्जी :** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डाक सेवा 'डी 3' अनुभाग में दिल्ली-फिरोजपुर-दिल्ली के बीच भारी कार्यभार होने पर भी कार्य के लिये बहुत कम कर्मचारी हैं;

(ख) क्या अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये पोस्टमास्टर जनरल उत्तर पश्चिम सर्किल को आंकड़े और प्रस्ताव भेजे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अतिरिक्त कर्मचारियों को दिये मंजरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) से (ग) : निर्धारित छान-बीन के बाद आंकड़ों के आधार पर टाइम स्केल सार्टरों के चार अतिरिक्त पदों का औचित्य पाया गया और उनकी मंज़री दे दी गई है ।

बिजली की सप्लाई बन्द होने का इस्पात उत्पादन पर प्रभाव

1692. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने के फलस्वरुप भारत के विशेष कर पूर्वी भाग में इस्पात के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा था, और

(ख) यदि हां, तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) : जी, हां । अनमान है कि बिजली की कमी, जिसमें बिजली की सप्लाई में प्राय: घट-बढ़/रुकावट भी शामिल है, के कारण सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के विक्रेय इस्पात के उत्पादन में लगभग 99,880 टन की कमी हुई है । इसमें से बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कुल मिलाकर लगभग 78,460 टन की हानि हुई है ।

(ख) इस बात को देखते हुए कि माध्यम अभिकरणों की मार्फत इस्पात की मदों का आयात किया गया है, भाग(क) में उल्लिखित उत्पादन में हुई हानि से अर्थव्यवस्था पर कोई सीधा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

1693. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त देश में अनेक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरम्भ की गई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का ग्रामवासियों ने स्वागत नहीं किया; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्थिक विकास संस्थान तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान्, नई दिल्ली एवं अन्य पांच संस्थाओं ने जो अध्ययन किये हैं, उनके अनुसार ग्रामीण लोगों ने सम्पूर्ण देश के अनेक प्राइमरी हैल्थ सैंटरों में आरम्भ की गई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का स्वागत किया है।

डाक तथा तार विभाग की मोटर गाड़ियों को निजी उपयोग के लिये किराये पर लेने/उपयोग कर सकने वाले डाक तथा तार कर्मचारी

1684. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के कौन से वर्ग के कर्मचारी स्थान बदलने और गैर सरकारी यात्रा जैसे अपने निजी कार्यों के लिये सामान्य दरों पर डाक तथा विभाग की मोटर गाड़ियां किराए पर ले सकते हैं अथवा उपयोग कर सकते हैं; और

(ख) क्या कारण है कि विभागीय मोटर गाड़ियों का प्रयोग अन्य लोग अपने निजी कार्यों के लिये नहीं कर सकते ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) ग्रुप 'ए' और 'बी' के अधिकारी अपना निजी समान लाने ले जाने और अपने प्राइवेट दौरों के दौरान निर्धारित प्रभारों की अदायगी करके डाक-तार वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं ।

(ख) चूंकि डाक-तार वाहन मूल रूप से प्रचालन कार्यों के लिये होते हैं, उन पर प्राइवेट तौर पर प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त बचत की दृष्टि ईंधन को खपत कम करने के लिये वाहनों के प्राइवेट तौर पर प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है ।

तथापि, डाक-तार प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर के प्रशिक्षणार्थियों के मामले में यह सुविधा रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड और प्रशिक्षण केंद्र के बीच आने जाने के लिये गैर राजपत्रित प्रशिक्षणार्थियों के लिये भी दे दी गई है क्योंकि वहां यातायात के सार्वजनिक साधन सुविधा पूर्वक उपलब्ध नहीं हैं ।

एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये सीटों की संख्या बढ़ाना

1695. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू और आगामी शैक्षिक वर्ष में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तैयार किये गये ऐसे प्रस्तावों और विभिन्न राज्य सरकारों से सीटों में वृद्धि किये जाने के बारे में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में मौजूदा मेडिकल कालेजों की प्रवेश क्षमता कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार असम राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों की कुल सीटों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : 10+2 योजना शुरू हो जाने के कारण गुजरात सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से शैक्षणिक वर्ष 1978–79 के दौरान गुजरात के विभिन्न मेडिकल कालेजों में एक साथ 305 सीटें बढ़ाने का अनुरोध किया है । इस विषय पर विचार कर लेने के पश्चात परिषद ने गुजरात सरकार को मेडिकल कालेजों में नवम्बर, 1978 के दौरान अनन्तिम रूप से एक साथ 258 सीटें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। बशर्ते कि उनकी कार्यकारी समिति द्वारा इसकी पुष्टि की जाए । तत्पश्चात इन अतिरिक्त सीटों के लिए गुजरात के विभिन्न कालेजों में उपलब्ध अतिरिक्त सुविधाओं तथा स्टाफ की जांच करने के लिए इस परिषद द्वारा निरीक्षण किया जाएगा ।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा यथा स्वीकृत वर्तमान मेडिकल कालेजों की प्रवेश क्षमता लगभग 11,000 सीटें हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

DEVELOPMENT OF GUJARAT AYURVEDA UNIVERSITY, JAMNAGAR

1696. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether a scheme costing Rs. 1 crore 15 lakhs has been submitted to the Government of India on behalf of the Gujarat Ayurveda University, Jamnagar for the development of University during the Sixth Five Year Plan;

(b) if so, when and the details thereof ?

(c) whether Government have approved the scheme and if so, when; and

(d) if not the reasons therefor indicating the time by which the same will be approved ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Yes.

(b) The Gujarat Ayurved University had forwarded, in October, 1977, proposals amounting to Rs. 151.70 lakhs for the development of the University during the Sixth five Year Plan, the details of which are as under :—

Name of Scheme	Provision proposed by the University
	(Rs. in lakhs)
(i) Strengthening of existing Teaching Departments	48·51
(ii) Development of Hospitals and Research Labs.	56·64
(iii) Establishment of Department of Panchkarma, Yoga and Nature Cure	13·28
(iv) Construction of quarters	23·62
(v) Establishment of Medical Plants Gardens	9·65
	151·70

(c) and (d) The allocations for the various schemes are being finalised in consultation with the Planning Commission and the Ministry of Finance.

एशियाई साज बाजार

1697. **श्री चित्त बसु:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के शाह द्वारा अपनी पिछली भारत यात्रा के दौरान प्रस्तुत एशियाई साझा बाजार स्थापित करने के प्रस्ताव के राजनैतिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सरकार ने अपने सम्बद्ध विभाग में विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) और (ख) : ईरान के शाह की यात्रा के दौरान इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के सम्भावित लाभ के बारे में सामान्य रूप से विचार-विमर्श हुआ । एशियाई साझा बाजार स्थापित करने के बारे में कोई विस्तृत विचार विमर्श नहीं हुआ ।

इस क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग के लाभों को हम समझते हैं । परन्तु हमारी मान्यता यह है कि प्रगति तभी होगी जबकि सम्बद्ध सभी देश मन से इसके लिए तैयार हों।

हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखना

1698. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने अमरीका के अपने दौरे के समय राष्ट्रपति कार्टर को हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रपति ने हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की सैन्य उपस्थिति के स्थिरीकरण के बारे में दोनों देशों के बीच बातचीत की स्थिति के संबंध में बताया था । प्रधान मन्त्री ने यह आशा व्यक्त की है कि ये बातचीत जारी रहेगी और इसके परिणामस्वरूप इस महासागर में बड़ी शक्तियों के सैनिक अड्डे अन्ततः हटाये जा सकेंगे ।

विकसित तथा विकासशील देशों के बीच वार्ता

1699. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमन्त्री ने अपनी हाल की विदेश यात्रा के दौरान एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिये विकसित तथा विकासशील देशों के बीच वार्ता पुनः आरम्भ कराने के लिए विशेष प्रयास किये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू० : (क) और (ख) : एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्य मंचों पर बातचीत चलती रही है । अपनी हाल की विदेश यात्रा के दौरान प्रधान

मंत्री ने इस बातचीत के कतिपय प्रमुख मसलों की चर्चा भी की । इस सिलसिले में 21 जुलाई 1978 को संसद में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का भी अवलोकन किया जा सकता है ।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों की सेवा की शर्तें

1700. **श्री भगत राम :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय तथा विदेशी कंपनियों द्वारा नियुक्त भारतीय श्रमिकों पर लागू वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के नियम क्या हैं;

(ख) क्या विदेशों में काम कर रहे इन श्रमिकों को श्रम संघ के कोई अधिकार प्राप्त हैं :

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इन कपनियों द्वारा इन श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है और उन्हें वहां के स्थानीय श्रमिकों की तुलना में बहुत ही कम मजूरी दी जा रही है; और

(घ) इन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ग), (घ) विदेशों में रोज़गार के लिए भारतीय श्रमिकों की भर्ती अब इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और इसके पास पंजीकृत ऐजेन्सियों के माध्यम से विनियमित की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय श्रमिकों की रोजगार की शर्तें सन्तोषजनक हों, अपने विदेशी नियोजकों की ओर से भर्ती एजेंसियों को एक रोजगार करार करना पड़ता है जिसमें श्रम मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित रोजगार के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख होता है। विदेशों में परामर्श दाता/निष्पादन के कार्य में मुख्य या उप-ठेकेदार के रूप में व्यस्त भारतीय फर्मों/संगठनों को विदेशों में अपने ठेकों को पूरा करने के लिए कामगरों की सीधी भर्ती करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि वास्तविक नियुक्ति से पूर्व, ऐसे कामगरों के नियोजन की शर्तों को श्रम मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया हो । नियुक्ति के लिए भर्ती एजेंटों को विशेष अनुमति देने से पहले श्रम मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है कि कामगरों को दी जाने वाली मजदूरी की दरें उचित हों और ये उन मानकों के अनुसार हों, जिनके लिए भारतीय मिशनों द्वारा सिफारिश की गई है ।

ऐसे कामगर जो बिना उचित रोजगार करार के विदेश में जाते हैं या श्रम मंत्रालय के पास गैर पंजीकृत भर्ती ऐजेंटों के माध्यम से विदेशों में जाते हैं, उनके शोषण की संभावना रहती है, जैसा कि कम मजदूरी की अदायगी, इत्यादि ।

सरकार देश के निकासी स्थानों पर यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि उत्प्रवासियों को तब तक न जाने दिया जाए जब तक कि वे उत्प्रवासन अधिनियम, 1922 के अन्तर्गत अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर लेते । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पासपोर्ट के आवेदन-पत्र के साथ एक सतर्कता नोटिस संलग्न किया जाता है जिसमें अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि यदि वह विदेश में लाभकारी रोजगार के लिए जा

रहे हैं, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह केवल श्रम मंत्रालय के पास पंजीकृत किसी प्राधिकृत भर्ती अभिकरण के द्वारा ही नियोजित किया गया है । और श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पक्के रोजगार ठेके पर उत्प्रवास संरक्षक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हों।

एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है जिसमें विदेश में रोजगार चाहने वालों को यह सलाह दी गई है कि (क) केवल श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तथा उसके पास पंजीकृत भर्ती अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करें, जिन्हें रोजगार समाचार और प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, (ख) भर्ती अभिकरणों को किसी किस्म की कोई फीस न दें और यदि कोई अभिकरण इस प्रकार की कोई फीस मांगें, तो ऐसे मामले को श्रम मंत्रालय के ध्यान में लाएं, और (ग) जो व्यक्ति अनाधिकृत भर्ती एजेंटों के माध्यम से लाभकारी रोजगार के लिए विदेश जाते हैं या उत्प्रवास संरक्षक के समक्ष अनुमोदित रोजगार ठेके पर हस्ताक्षर किए बिना विदेश जाते हैं, वे ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे ।

यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उनकी समुचित प्राधिकारियों के माध्यम से जांच करवाई जाती है और जांच पड़ताल के नतीजों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

(ख) श्रमिक संघ अधिकारों के सम्बन्ध में, विदेश में नियोजित भारतीय श्रमिक संबंधित कानून द्वारा शासित होंगे।

इंडोनेशिया के विदेश मन्त्री का दौरा

1701. प्रो० पी० जी० मावलंकर: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने हाल ही में सरकारी निमंत्रण पर भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके ठहरने की अवधि क्या थी और भारत आने वाले अतिथि के साथ विदेश मंत्री और भारत के अन्य नेताओं तथा अधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श किये गये विषयों का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त यात्रा और बातचीत के परिणामस्वरूप कोई समझौते हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) : जी हां । इंडोनेशिया गणराज्य के विदेश मंत्री, डा० मोख्तार कुसुमातमद्जा 19 जून, से 23 जून 1978 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आये थे । उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत-इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच अंडमान सागर में अपनी-अपनी सागर-तल सीमाओं का त्रि-संगम निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर करना था । लेकिन, इस यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री से औपचारिक स्तर पर बातचीत की और वे राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री से भी मिले । इस विचार-विनियम में बेलग्राद में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की आगामी बैठक के विशेष संदर्भ में सामान्य हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न शामिल थे ।

(ख) और (घ) संदर्भगत करार पर 22-6-1978 को हस्ताक्षर किये गये थे । कोई अन्य औपचारिक करार नहीं हुआ लेकिन इस बात पर सहमति हुई कि भारत और इंडोनेशिया को सामान्य हित के मामलों पर विचारों और परामर्शों के आदान प्रदान के प्रत्येक अवसर का उपयोग करना चाहिए ।

इस्पात की मांग के लिए अनुमान

1702. श्री जनार्दन पुजारी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में इस्पात की मांग के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल मांग कितनी है, देश के अन्दर कितना उत्पादन होता है और कमी पूरी करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) लोहे और इस्पात के कार्यकारी दल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार चालू वर्ष में विक्रेय इस्पात की देशीय मांग 76.1 लाख टन होने का अनुमान है । लेकिन स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने चालू वर्ष के लिए बिक्री के वर्तमान रुख के आधार पर 82 लाख टन की "आन्तरिक बिक्री योजना" तैयार की है।

चालू वर्ष में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा विद्युत चाप भट्टियों में कुल देशीय उत्पादन 90 लाख टन होने की सम्भावना है ।

यद्यपि इस्पात की समग्र उपलब्धि मांग से अधिक होने की सम्भावना है तथापि कुछ श्रेणियों में कमी रहेगी जिसे आयात करके पूरा किया जाएगा।

पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्ड

1703. श्री चित बसु: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड द्वारा कार्य का पूरा किया जाना और अन्तरिम पंचाट के कार्यान्वयन के बारे में 23 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 396 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजकों के प्रतिनिधियों का एकपक्षीय ढंग से बाहर हो जाना 'त्रि-पक्षीय, मजूरी निर्धारण, जो सरकार की स्पष्ट नीति है, के मूल सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां तो एकपक्षीय ढंग से बोर्ड से बाहर हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा होने को रोकने के लिये कोई ऐहितियाती उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) वर्तमान गतिरोध को हल करने के लिये और क्या कार्यवाही की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सरकार नियोजकों के प्रतिनिधियों के अलग हो जाने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चिन्तित है और गतिरोध को दूर करने के लिए उत्सुक है। इस मामले में समाचार-पत्रों के नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है और इस संबंध में गत बैठक हाल ही में 22 जुलाई, 1978 को हुई। आशा है कि वर्तमान गतिरोध को दूर करने का कोई हल शीघ्र निकल आयेगा।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यदि नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि परस्पर स्वीकार्य समाधान के सम्बन्ध में सहमत नहीं होते, तो सरकार का कुछ दिनों के बाद आगे कार्यवाही करने का विचार है।

NEW PRIMARY HEALTH CENTRES IN GUJARAT

1704. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of new Primary Health Centres to be opened in Gujarat during the Sixth Five Year Plan and the details thereof;

(b) the number of Primary Health Centres to be opened in Surat and Balsar districts and the locations thereof; and

(c) the details of the amount of grant to be provided by the Government of India for meeting the expenditure on these Primary Health Centres ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No new Primary Health Centres is proposed to set up in Gujarat during the Five Year Plan period 1978-83.

(b) and (c) Does not arise.

जड़ी बूटियों के बारे में अनुसंधान

1705. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जड़ी बूटियों के औषध के रूप में उपयोग के बारे में गत तीन वर्षों में कोई अनुसंधान कार्य किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने जीवनदायी औषधियों के रूप में जड़ी बूटियों का उपयोग करने के लिए कोई कार्यक्रम आरंभ किया है या करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (घ) विभिन्न अनुसंधान परिषदों तथा राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद

इस परिषद में प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों तथा समकालीन वैज्ञानिक पद्धतियों के दृष्टिकोण से औषधीय पौधों की जांच-पड़ताल की जाती है। निम्नलिखित औषधीय पादपों की विशेष

चुनी हुई क्लिनिकल स्थितियों के अंतर्गत गुणधर्म का पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए गए हैं :—

औषधि का नाम	क्लिनिकल स्थिति	औषधि का नाम	क्लिनिकल स्थिति
अश्वगंधा	आमवात	पिपशी	क्षय और रसायन की तरह भी
कारवीरा	हृदयरोग	मंलूकपर्णी	बुद्धि मंदी
गुग्गुलु	मेदोरोग	कंटकारी	स्वासा
हरिद्रा	स्वास और अष्टमंजन्य रोग	प्रसर्णी	ग्रिध्रासी और संधी गाटा वाटा
यष्टीमधु	उदरशूल/विकार	चंगेरी	अम्लपित्त
लशुना	मेदोविकार	भल्लातका	कृमि
सादापुष्पी	अर्वुद	पुनर्नवा	शोथ
शतावरी	स्थान्यालपाटा	शिरिशा	अष्टम्यजन्य रोग तमका स्वासा
शिग्रू	स्वासा	ममज्जका	मधुमेह
सप्तरंगी	मधुमेह	वरुणा	अश्मरी और परिनाम शूला
हरिद्रा	शोफा (एकदेशीय)	अर्गवधा	त्वकरोग
स्वासग्नी	स्वासा	काकोदुम्बारा	सवित्रा
बिम्बी	मधुमेह	कारोवेल्लाका	मधुमेह
अमलकी	अस रसायन	माशा	अस व्रीश्या

देश के प्राकृतिक स्त्रोतों का पता लगाने के लिए इस परिषद के विभिन्न राज्यों में स्थित "औषधीय पादप सर्वेक्षण परियोजनाओं" ने पादपों के औषधीय गुणों और उसके परिणाम की खोज के लिए भिन्न भिन्न 145 वनों तथा पहाड़ी इलाकों में सर्वेक्षण किए। परिषद के संग्रहालय में 37,900 हर्वेश्यिम शीटें और लगभग 3000 असली औषधियां रखी गई हैं जो पशुओं, खनिज पदार्थों तथा पौधों से प्राप्त की गयी हैं। प्रयोगात्मक कृषि फार्मों में लगभग 1600 पादपों की खेती-बाड़ी की जा रही है। इसका उद्देश्य जानी पहचानी परिस्थितियों में पादपों की वृद्धि दर और पैदावार संबंधी प्रतिशतता का पता लगाना है। इस परिषद ने लेह-लदाख, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और नीलगिरी के जन जातीय क्षेत्रों में औषधीय पादपों के गुणधर्म का पता लगाने के लिए इन इलाकों में विशेष सर्वेक्षण किए।

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

रियोमेटायड आर्थ्रीटीज के लिए आयवेादक इलाज कितना प्रभावकारी है, इसका पता लगाने के लिए इस परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर 1976-77 मे एक

अध्ययन शुरु किया था क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में इस बीमारी का इलाज करने के लिए कोई खास प्रभावकारी दवा नहीं है । इसके बावजूद आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जड़ी बूटियां से तैयार की गई औषधियों के उपयोग से तथा कार्य चिकित्सा के माध्यम से इस बीमारी का इलाज करने का दावा करती है । इस पद्धति के अनुसार इन औषधियों से इस रोग के काफी रोगियों को लाभ हो सकता है । आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की औषधियों की गुणकारिता की जांच करने के लिए कोयम्बटूर में यह अदभुत परियोजना चलाई गई है जिसमें आयुर्वेदिक न्यास, कोयम्बटूर के आयुर्वेदिक चिकित्सकों और जी० के० एम०, अस्पताल, कोयम्बटूर के आधुनिक चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञों का सक्रिय रूप से सहयोग प्राप्त किया गया है । इस परियोजना के प्रथम वर्ष में रियोमेटायड आर्थ्राटीज से पीड़ित भिन्न-भिन्न स्टेजों के रोगियों को यह जानने के लिए भर्ती किया जाना था कि इन रोगियों का उपचार करने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को कहां तक सफलता मिली थी। जहां तक दवा देने का संबंध है यह कार्य आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा किया जाता है, जबकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डाक्टर रियोमेटायड आर्थ्राटीज के रोगियों का निदान करते हैं और ये डाक्टर स्वतंत्र रूप से इस बात का भी मूल्यांकन करते हैं कि उपचार से रोगी कहां तक ठीक हो सकते हैं । यह परियोजना अब तक 73 रोगियों की जांच कर सकी है और इन रोगियों के बारे में जो प्रारम्भिक जांच की गई है उनके परिणाम काफी उत्साहजनक निकले हैं । तथापि किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले रोग पुरानी किस्म का होने के कारण रोगी का बाद में भी कई वर्ष तक इलाज जारी रखना होगा । आशा है कि परियोजना के समाप्त होने पर प्राप्त किए गए परिणाम काफी विश्वसनीय होंगे जिनका आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल किया जा सकता है ।

परिषद ने पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं पर 15 तदर्थ अनुसंधान योजनाओं और शिक्षावृत्तियों में सहायता प्रदान की । ये अध्ययन अपनी ही किस्म के हैं प्रारम्भिक तथा समय-बद्ध हैं ।

औषधीय पादपों पर अब तक किए गए उस कार्य की क्रमबद्ध रुप से तथा पूरी पूरी समीक्षा करने के लिए जिसका उल्लेख भिन्न-भिन्न पत्रिकाओं तथा अन्य लेखों में किया गया है, परिषद ने उस सारे कार्य पर उपलब्ध सामग्री का संकलित करने तथा उस पर सुचारु रुप से रोशनी डालने का निर्णय किया है जो भारत के भिन्न-भिन्न भागों में कार्यकर्ताओं ने औषधीय पादपों पर किया है ताकि इस संबंध में पूरे परिणामों की सही तसवीर सामने आ सके । तदनुसार, 1960 से 1972 तक उपलब्ध आंकडों की परिषद द्वारा छानबीन की गयी और भारत के औषधीय पादपों के मोनोग्राफ का प्रथम संकरण 1976 में प्रकाशित किया गया । भारत तथा विदेश के वैज्ञानिकों ने इस पुस्तक का स्वागत किया है । इस मोनोग्राफ का दूसरा संस्करण तैयार किया जा रहा है । परिषद की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान पत्रिका में औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान 35 लेख छाप चुकी है ।

(3) केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लुखनऊ (वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक यूनिट)

इस संस्थान की एक अनवरत परियोजना है जो औषधीय पौधों पर अनुसंधान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जीव विज्ञान संबंधी गतिविधियों के लिए लगभग 800 पौधों की

जांच की गई है । प्राथमिक जांच के दौरान 60 पौधों ने मुख्य रूप से कैंसर-निरोधी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दिखलाई । 70 पौधों पर रसायनिक और/अथवा फार्माकोलाजी संबंधी विस्तृत जांच की गई ।

(4) **राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ :**

औषधीय पौधों पर अनुसंधान और विकास कार्य करना राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के नियमित अनुसंधान और विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है । पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल में लाई जाने वाली औषधियों पर तथा निम्नलिखित पौधों पर अनुसंधान कार्य किया गया था :—

(1) डायोस्कोरिया
(2) कूठ (कासट्स)
(3) टिमोनेल्ला
(4) सोलेनम
(5) ओपियम पूपी
(6) मेंड्रीकेरिया केमोमिल्ला

इन पौधों पर अनुसंधान कार्य का जो उद्देश्य है वह है अधिक उपजाऊ किस्मों का विकास करना, ऊतक और अवयव संवर्धन तथा शीघ्र अधिक पुनरुत्पादन के लिए उपज के माध्यम का मानकीकरण करना, और अपने वाणिज्यिक खेती के लिए कृषि तकनीकों का मानकीकरण करना । देशी जड़ी-बूटि औषधियों पर अनुसंधान का उद्देश्य मिलावटी और एबजी दवाइयों की रोकथाम करने के लिए वनस्पति संबंधी सही पहचान करना है ।

राज्यों में किए गए परिवार कल्याण कार्य

1706. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में किये गये परिवार कल्याण कार्य का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों में किये किये कार्य की तुलना में यह कितना था, और

(ख) वर्ष 1977—78 में प्रत्येक राज्य में केंद्र शासित क्षेत्र को परिवार कल्याण के लिये कितनी-कितनी राशि दी गई

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबंध एक और दो [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2504/78] में दे दी गई है ।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1977-78 में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को नकद और सामान के रुप में दी गई सहायता का ब्यौरा अनुबंध तीन [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2504/78] में दिया गया है ।

धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में सूक्ष्म तरंग प्रणाली आरम्भ करना

1707. **श्री दुर्गा चन्द:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में सूक्ष्म-तरंग प्रणाली के लिये स्वचालित एक्सचेंज की इमारत तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो वहां उक्त प्रणाली कब से आरम्भ हो जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) जी नहीं। इस समय धर्मशाला से माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, धर्मशाला को जालन्धर से जोड़ने के लिए डाक-तार विभाग ने एक मल्टी-चैनल यू० एच० एफ० प्रणाली की मंजूरी दे दी है। दृष्टि की लाइन को ध्यान में रखते हुए धर्मशाला में यू० एच० एफ० उपस्कर टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक अलग इमारत में स्थापित किया जाएगा।

(ख) ऐसी संभावना है कि जालंधर धर्मशाला यू० एच० एफ० लिंक की व्यवस्था वर्ष 1980-81 के दौरान हो जाएगी।

मंत्री के वक्तव्य के विरुद्ध बोकारों में रूसी विशेषज्ञों का पुन: उपयोग में लाया जाना

1708. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो के विस्तार कार्य में रूसी विशेषज्ञों का पुन: उपयोग किया जाने लगा है, जो मंत्री के इस आशय के वक्तव्यों के प्रतिकूल है कि भारतीय इंजीनियर ही काम करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो भारत में कितने इस्पात विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और इस्पात कारखानों की डिजाइन तैयार करने का कार्य करने के लिए उन्हें किस स्तर का अनुभव प्राप्त करना चाहिए ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

UTILISATION OF TOBACCO CESS WELFARE FUND

1709. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Tobacco Cess Welfare Fund is realised by Tobacco Board for the Welfare of the labourers of this industry;

(b) if so, the amount so realised during the year 1976-77 and 1977-78;

(c) the amount spent on the welfare of labourers out of the amount so collected and also the details of heads under which this amount was spent; and

(d) the States in which the hospitals financed out of this amount are being run or are proposed to be opened ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI) : (a) No such welfare cess is realised by the Tobacco Board. A cess is however realised on the tobacco issued from a warehouse for the manufacture of bidis and the Fund thus collected is intended for providing welfare facilities to bidi workers and their dependants.

(b) The following amount was collected as cess for the Beedi workers Welfare Fund in these two years :

(a) 1976-77 .. Rs. 33.68 lakh.

(b) 1977-78 .. Rs. 226.70 lakh

(c) The year-wise expenditure was as follows :—

		(Rs.)
1976-77	..	25,000.00
1977-78	..	3,67,688.00

The expenditure had been incurred under the heads Administration & Medical.

(d) (a) One 10 bedded hospital is functioning at Mysore.

(b) Administrative approval for setting up a 50 bedded Hospital at Tirunelveli (Tamil Nadu) has been given.

(c) Nine Dispensaries/Mobile Medical Units have also been sanctioned so far in the States of Karnataka, Orissa, West Bengal, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat.

OPENING OF DISPENSARIES FOR TOBACCO WORKERS

1710. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of hospitals and dispensaries opened in different states for the welfare of labourers of Tobacco industry out of the amount collected as Tobacco Cess;

(b) the states in which said hospitals or dispensaries have been opened and the procedure or basis adopted for opening them; and

(c) the names of places where no doctors are available after their appointment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI) : (a) There is no welfare cess collected on Tobacco for the labourers of the Tobacco industry as a whole. A cess is, however, realised on the tobacco issued from a warehouse for the manufacture of bidis and the Fund thus collected is intended for providing welfare facilities to bidi workers and their dependants. So far ten medical units have been sanctioned from the Beedi Workers Welfare Fund.

(b) The above medical units have been sanctioned in the States of Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Orissa, West Bengal, Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat on the basis of proposals received from the concerned Welfare Commissioners.

(c) No such instance has come to notice where doctors are not available after their appointment.

RESTORATION OF TELEPHONE LINK BETWEEN DELHI AND NAINI TAL

†1711. SHRI PUVRAJ : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether telephone link between Delhi and Nainital has remained cut off for five days in the first week of June, 1978; and

(b) if so, the action taken to restore the telephone link at that time and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अखिल भारतीय अस्पतालों का विस्तार

1712. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए अखिल भारतीय अस्पतालों के "पोस्ट मार्टम" कार्यक्रम को जारी रखने और उसका विस्तार करने के लिए भारत और नार्वे के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) इस समझौते का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) जी हां ।

(ख) करार का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

विवरण

अस्पताल (प्रसवोत्तर) परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार तथा नार्वे सरकार के बीच हुए करार का संक्षिप्त ब्यौरा

प्रसवोत्तर कार्यक्रम अस्पतालों में आने वाले प्रसूति रोगियों का कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत प्रसव के उपरान्त उन्हें परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने की सलाह दी जाती है। यह कार्यक्रम सब से पहले सन् 1969 में मंजूर किया गया था और इस समय यह 508 संस्थाओं में चल रहा है। चालू वर्ष के दौरान 16 और संस्थाओं में इस कार्यक्रम को लागू करने का इरादा है जिस से इन संस्थाओं की कुल संख्या 524 हो जाएगी, इन संस्थाओं की इमारतों के निर्माण को कार्य को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक और प्रसूति तथा गर्भपात के मामलों का विशेष ध्यान देकर और दूसरी ओर अन्य किस्म के रोगियों की ओर ध्यान देकर समाज के अधिकाधिक लोगों को गर्भरोधन के तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ताकि जनसंख्या को घटाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

मार्च, 1977 तक इस कार्यक्रम के संचालन के लिए नार्वे सरकार ने 5 करोड़ नार्वे क्रोनर (लगभग 8 करोड़ रुपये) की सहायता प्रदान की है। इस कार्यक्रम को वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक जारी रखने के लिए निष्पादित नए करार के अन्तर्गत नार्वे सरकार और अधिक वित्तीय अनुदान देगी जिसकी राशि 164,000,000 नार्वे क्रोनर (लगभग 26 करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगी । इस करार के अन्तर्गत उपलब्ध की गई धनराशि का कुछ भाग इस अवधि के दौरान प्रसवोत्तर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में होने वाली कुल पूंजी लागत पर लगाया जाना है। शेष धनराशि का उपयोग आवर्ती खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा। पूंजीगत व्यय में नसबंदी आपरेशन वार्डों, नसबंदी थियेटरों और नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों के निर्माण तथा सर्जिकल उपकरणों और श्रव्य-दृश्य उपकरणों की खरीद आदि पर होने वाला व्यय शामिल है। आवर्ती खर्च में स्टाफ के वेतन आदि पर होने वाला व्यय आएगा। भारत उस सारे खर्च को वहन करेगा जो इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उपर्युक्त लागत से अधिक आएगा जिसमें करार की प्रचालन अवधि (1977–1982) के दौरान कुल आवर्ती खर्च की 25% धनराशि भी शामिल है।

करार की प्रचालन अवधि के दौरान नार्वे सरकार निम्नलिखित अनुदान देगी :—

नार्वेजियन क्रोनर
(10 लाखों में)

वर्ष	योग	
1977-78	14	(2.2 करोड़ रुपये के लगभग)
1978-79	38	(लगभग 6.1 करोड़ रुपये)
1979-80	37	(लगभग 5.9 करोड़ रुपये)
1980-81	37.5	(लगभग 6.00 करोड़ रुपये)
1981-82	37.5	(लगभग 6.00 करोड़ रुपये)

योजना आयोग द्वारा विज़ाग इस्पात कारखाने की समीक्षा

1713. **श्री पी० राजगोपाल नायडू:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज़ाग इस्पात कारखाने के आरम्भ होने के बारे में योजना आयोग द्वारा समीक्षा की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डया): (क) और (ख) विशाखापत्तनम में प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम के अनुसार एक इस्पात कारखाना लगाने के लिये पूंजी-निवेश के बारे में निर्णय लेने सम्बन्धी ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। पूंजी-निवेश के बारे में निर्णय लेते समय सभी मूल्यांकन अभिकरणों के, जिनमें योजना आयोग भी शामिल है, विचार ध्यान में रखे जायेंगे ।

बम्बई में टेलीफोन का कार्य न करना

1714. **डा० बापू कालदाते:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में 20,000 से ऊपर टेलीफोन बंबई में काम नहीं कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने बंबई में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को दोष रहित सेवा प्रदान करने के लिये क्या विशेष प्रयास किये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) जी हां ।

(ख) जून, 1978 के तीसरे सप्ताह में लगातार भारी वर्षा के कारण बहुत बड़ी संख्या में भूमिगत केबुल खराब हो गये थे जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में टेलीफोन खराब हो गये। इन केबुलों में पिछले सूखे मौसम में विभिन्न नागरिक प्राधिकारियों द्वारा खुदाई का काम कराने से कई प्रकार के दोष पैदा हो गये थे और उन पर वर्षा का बुरा असर पड़ा ।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(i) नागरिक प्राधिकारियों के साथ तालमेल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब टेलीफोन केबुलों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खुदाई का काम हो तो डाक-तार विभाग के कार्मिक भी वहां मौजूद हों।

(ii) भूमिगत केबुलों को गैस के दबाव में रखने का काम धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है जिसमें एक निश्चित समय के कार्यक्रम के आधार पर जंक्शन केबुलों और उपभोक्ताओं के केबुलों को गैस दबाव में रखने का काम शामिल हैं ।

(iii) उपभोक्ताओं के वितरण कार्य-जाल में जेली भरे केबुलों का प्रयोग करना ।

(iv) दोष नियंत्रण और मरम्मत के केन्द्र स्थापित करना जो कर्मचारियों, वाहनों, औजारों, भंडार सामग्री और परीक्षण यंत्रों से सुसज्जित हों, ताकि दोष निवारण का काम रात दिन चल सके ।

NO. OF TRADE UNIONS IN THE P&T DEPARTMENT

†1715. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of trade unions in Posts and Telegraphs Department at present and the number, out of them recognised by the Ministry;

(b) the names of the unions which have not been recognised till June, 1978 and the time by which Government will grant them recognition; and

(c) the points taken into consideration by Government for grant of recognition to various unions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) and (b) A list of recognised Unions is attached at Annexure 'A'.

The Department does not maintain a list of unrecognised Unions. A list of Unions which recently came up for recognition and whose request was not accepted is attached at Annexure 'B'.

(c) Under the existing policy, Unions formed by employees having common service interests and spread all over India are accorded recognition at Central level, if justified. The recognition is granted subject to Unions/Associations concerned fulfilling certain terms and conditions of recognition listed at Annexure 'C'. The branches formed by recognised All India Unions/Associations in accordance with their constitution are granted certain prescribed facilities. New Unions/Associations are not generally recognised if the employees concerned already have recognised Unions/Associations for representing their cause to the authority concerned.

STATEMENT

List of Recognised Federations/Unions/Associations in the P&T Department

A. *NATIONAL FEDERATION OF P&T EMPLOYEES AND THE UNIONS FEDERATED WITH IT* :

1. National Federation of P&T Employees, C-1/2, Baird Road, New Delhi-110001.
2. All India Postal Employees Union Class III, C-1/2, Baird Road, New Delhi-110001.
3. All India Postal Employees Union Postmen and Class IV, No. 13, Vithal Bhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
4. All India R.M.S. & M.M.H. Employees Union Class III, P&T House, 9 Pusa Road, New Delhi-110005.
5. All India R.M.S. Employees Union Mailguards and Class IV, Dada Ghosh Bhavan, 1, Patel Road, New Delhi-110008.
6. All India Telegraph Engineering Employees Union Class III, Dada Ghosh Bhavan, 1, Patel Road, New Delhi-110008.
7. All India Telegraph Engineering Employees Union, Linestaff and Class IV, Dada Ghosh Bhavan, 1, Patel Road, New Delhi-110008.
8. All India Telegraph Traffic Employees Union Class III, 4/28 W.E.A., Karol Bagh, New Delhi-110005.
9. All India Telegraph Traffic Employees Union Class IV, Dada Ghosh Bhavan, 1, Patel Road, New Delhi-110008.
10. All India (P&T) Administrative Offices Employees Union Class III & IV, 173, North Avenue, New Delhi-110001.

B. *FEDERATION OF NATIONAL P&T ORGANISATIONS AND THE UNIONS/ ASSOCIATIONS FEDERATED WITH IT* :

1. Federation of National P&T Organisations, T-6, Atul Grove, New Delhi-110001.
2. National Union of Postal Employees Class III, T-6, Atul Gorve, New Delhi.
3. National Union of Extra Departmental Agents, T-6, Atul Grove, New Delhi-110001.
4. National Union of Postal Employees Postmen and Class IV, No. 21, P&T Colony, Civil Line, Delhi-110054.

5. All India Telecom. Junior Accounts Officers Association, C-16, Bajaj Nagar, Jaipur-302004.
6. All India Telegraph Traffic Ministerial Employees Union, T-8, Atul Grove, New Delhi-110001.
7. National Union of R.M.S. Employees Class III, House No. 212/A, Nagina Bagh, Ajmer (Rajasthan)-305001.
8. National Union of Telegraph Engineering Employees Linestaff and Class IV, 32-A, Kamaluddin Hussain Street, Tiruchirapalli-620001.
9. National Union of Telegraph Traffic Employees Class IV, T-14, Atul Grove, New Delhi-110001.
10. All India R.M.S. Asstt. Supdts. and Inspectors Association, No. UD-6, Dev Nagar, New Delhi-110005.
11. All India P&T Administrative Offices Association, 110/75, Naya Gaon, Lucknow-226001.
12. National Union of Telegraph Engineering Employees Class III, T-14, Atul Grove, New Delhi-110001.
13. Junior Engineers Telecommunication Association (India), Sector-V, Quarter No. 892 R. K. Puram, New Delhi-110022.
14. National Union of R. M. S. Employees Mailguards and Class IV, T-6, Atul Grove, New Delhi-110001.
15. National Union of Telegraph Traffic Employees Class III, (Except Ministerial Employees and officials belonging to Telegraph Traffic Supervisers Cadre), Prem Bhavan, Kehrli Road, Kota-832001.
16. All India Telegraph Traffic Supervisors Association, T-10, Atul Grove, New Delhi-110001.
17. All India Telephone Traffic Employees Association, Serabhaiah Temple Street, Durgapuram, Vijayawada-520003.

C. NOTFEDERATED UNIONS/ASSOCIATIONS :

1. All India Postal Accountants Association, Ambattur, Madras-600058.
2. All India Association of Inspectors and Asstt. Supdts. of Post Offices, T-20/3, Atul Grove, New Delhi-110001.
3. All India Saving Bank Control Employees Union, C/o. S.B.C.O., Chandni Chowk H. P. O., Cuttack, Orissa.
4. All India P&T Civil Wing Non-Gazetted Employees Union, Flat No. 42, C-2/C, Pocket No. 12, Janakpur, New Delhi-110058.
5. All India Association of Postal Supervisors (General Line), ,32, Kamraj Salai, Saligramam P.O., Madras-600093.
6. All India Postal Accounts Employees Association, 4/B/6, Ganga Ram Hospital Marg, New Delhi-110060.

D. *UNIONS OF INDUSTRIAL WORKERS* :

1. P&T Mazdoor Union, No. 173-B, Acharya Jagadish Bose Road, Sarmik Bhavan, Calcutta-700014.
2. P&T Industrial Workers Union, 7, Hazi Mohsin Road, Calcutta-700026.

E. *COMPOSITE UNION REPRESENTING BOTH INDUSTRIAL AND NON-INDUSTRIAL STAFF.*

1. Telephone Workers Union (District & Workshops), 82, Mukund Nivas, Sakharam Kir Road, Mahim Bombay-400016. DD (Representing Both Industrial and Non-Industrial Employees).

F. *ASSOCIATION OF GAZETTED OFFICERS* :

1. Telegraph Engineers Association, Room No. 342, Dak Tar Bhavan, Parliament Street, New Delhi-110001.
2. Postal Officers Association, C/o. A. D. G. (SB), P&T Directorate, Parliament Street, New Delhi-110001.

3. All India Association of Postmasters (Gazetted and H.S.G.), 15, Balmukund Mukkar Road, Calcutta-700007 (Represents both gazetted and non-gazetted officers).
4. Telegraph Communications Engineers Association (India), Post Box No. 285, New Delhi-110001.
5. Telegraphic and Traffic Officers Association, 64 Sant Nagar, New Delhi-110024.
6. All India P&T Accounts and Finance Service Officers Association Sector No. VII Quarter No. 1087, R. K. Puram, New Delh-110022.
7. Telecom. Factories Engineers Association C/o the Asstt. General Manager, Office of the General Manager, P&T Workshops, 57A, Chowringhee Place, Calcutta-700013.
8. Telecommunication Engineering Officers Association, D-II/68, Pandara Road, New Delhi-110003.
9. Indian Postal Service Association, C/o. Director (PLI), P&T Directorate, New Delhi-110001.
10. TRC Scientific Office (Cl. I) Association, TRC Khurshid Lal Bhavan, Janpath, New Delhi-110050.
11. P&T Civil Eng. Direct Rect. Engineers Association C/o., Asstt. Surveyor of Works No. 1, P&T Civil Circle No. 1, New Delhi-110001.
12. All India P&T Engineers Association, Class II, Civil Wing, P&T Civil Circle No. 1, Dak-Tar Bhavan, New Delhi-110001.
13. All India P&T Architects Association, 22-A DDA Flats Katwaria Road, New Qutab Patel, New Delhi-110029.
14. Electrical Engineers Association, P&T Civil Wing (India) 6th Floor, 20 Ashoka Road, New Delhi-110001.

LIST OF UNRECOGNISED UNIONS

1. Bharatiya P&T Employees Federation.
   (a) Bharatiya Postal Employees Union Class III (C Group).
   (b) Bharatiya Postal Employees Postmen & Class IV (D-Group).
   (c) Bharatiya Telephone Employees Union Cl. III (C-Group).
   (d) Bharatiya Telephone Employees Union Linemen & Cl. IV (D-Group).
   (e) Bharatiya Telegraphs Employees Union Class III (C-Group).
   (f) Bharatiya Telegraph Employees Union Class IV (D-Group).
   (g) Bharatiya P&T Administrative Employees Union (C & D Group) Class III and IV.
   (h) Bharatiya RMS and MMS Employees Union Mailguards and Class IV (Group-D).
   (i) Bharatiya RMS and MMS Employees Union Class III (C-Group).
   (j) Bharatiya E. D. Employees Union.
   (k) Bharatiya Telegraph Ministerial Employees Union Class III (E- Group).
   (l) Bharatiya P&T Mazdoor Manch.
   (m) Bharatiya Telecom. Technicians Union; and
   (n) Bharatiya P&T Civil Wing Employees Association.
2. Federation of Bharatiya Khaki Vardi Employees and LDAs.
3. All India P&T Stenographers Association.
4. Postal Accounts Employees Union, Kerala Circle.

(a) an application for recognition of the Service Association is made with all the information relevant for such recognition;

(b) the service Association is formed primarily with the object of promoting the common service interests of its members.

(c) membership of the Service Association is restricted to a distinct category of Government servants having interests, all such Government servants being eligible for membership of the Service Association.

(d) the Service Association is not formed on the basis of any Caste, Tribe or religious denomination or of any group within Section of such caste, Tribe or religious denomination.

(e) no person, who is not a Government servant, is connected with the affairs of the Service Association.

(f) the executive of the Service Association is appointed from amongst the members only.

(g) the funds of the Service Association consist exclusively of subscriptions from members and grants, if any, made by the Government and are applied only for the furtherance of the objects of the Service Association.

2. (a) the Service Association shall not send any representation or deputation except in connection with a matter which is of common interest to members of the Service Association.

(b) the Service Association shall not expouse or support the cause of individual Government servants relating to service matters;

(c) the Service Association shall not maintain any political fund or lend itself to the propagation of the views of any political party or politician.

(d) all representations by the Service Association shall be submitted through proper channel. and shall, as a normal practice, be addressed to the Secretary or Head of the Department or Office.

(e) a list of members and office bearers, an uptodate copy of the rules and an audited statement of accounts of the Service Association shall be furnished to the Government annually through proper channel after the general annual meeting so as to reach the Government before the 1st day of July each year.

(f) any amendment of substantial character in the rules of the Service Association shall be made only with the previous approval of the Government and any other amendment of minor importance shall be communicated through proper channel for transmission to the Government for information.

(g) the previous permission of the Government shall be taken before the Service Association seeks affiliation with any other Union, Service Association or Federation.

(h) The Service Association shall cease to be affiliated to a Federation or Confederation or Service Association whose recognition is withdrawn by Government.

(i) The Service Association shall not start or publish any periodical magazine or bulletin without the previous approval of the Government.

(j) the Service Association shall cease to publish any periodical magazine or bulletin, if directed by Government to do so on the ground that the publication thereof is prejudical to the interests of the Central Government, the Government of any State or any Government authority or to good relations between Government servants and the Government or any Government authority.

(k) the Service Association shall not do any act or assist in the doing of any act which, if done by a Government servant, would contravene the provisions of rules, 8, 9, 11, 12, 16 and 20 of the Central Civil (Conduct) Rules, 1964.

(l) the Service Association shall not address any communication to a Foreign Authority except through the Government which shall have the right to withhold it; and

(m) communications addressed by the Associations or by any office bearer on its behalf to the Government or a Government authority shall not contain any disrespectful or improper language.

3. If in the opinion of Government, the Service Association recognised fails to comply with the conditions set up in paras 1 and 2 above, the Government, may withdraw the recognition accorded to the Association.

STRIKES AND LOCK-OUTS AND INCREASE IN WORKING HOURS

1716. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether there have been greater incidents of strikes and lock-outs in various institutions, bodies and companies during 1977-78 as compared to those of 1976-77;

(b) if so, the extent of financial loss suffered by Government as a result thereof; and

(c) whether it is proposed to increase the working hours or adopt some other measures to make up the above loss and if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b) A statement prepared on the basis of available information for the years 1971 to 1977 is attached showing also the value of production lost in the public sector and the private sector.

(c) Government have no such proposal.

STATEMENT

Total number of disputes and value of production lost during the years 1971 *to* 1977

Year	No. of disputes			Value of Production lost (in crores of Rs.)			
	Strikes	Lookouts	Total	Public Sector		Private Sector	
1	2	3	4	5	6	7	8
1971	2,478	274	2,752	9·47	(147)	81·07	(1,512)
1972	2,857	386	3,243	17·25	(187)	80·76	(1,527)
1973	2,958	412	3,370	18·54	(420)	135·35	(1,737)
1974	2,510	428	2,938	24·69	(372)	184·92	(1,431)
1975	1,644	299	1,943	8·30	(271)	169·56	(1,075)
1976	1,241	218	1,459	4·00	(130)	88·31	(1,004)
1977(P) . .	2,574	413	2,987	22·43	(441)	175·73	(1,353)

(P) Figures are provisional and based on returns/information received in the Bureau till 30.6.78.

N.B. Figures in brackets give the number of disputes to which production lost relate.

विकास शुल्क का उपयोग

1717. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रमुख इस्पात निर्माताओं ने सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि नये विकास शुल्क को किस प्रकार से उपयोग में लाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किड़या मुण्डा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात संबंधी विश्व दृष्टिकोण

1718. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तराष्ट्रीय निर्यात ग्रुप ने इस्पात सम्बन्धी विश्व दृष्टिकोण को आशाजनक पाया है, और

(ख) यदि हां तो विकासशील देशों विशेष रूप से भारत ने इस्पात उत्पादन के बारे में निर्यात ग्रुप के निष्कर्ष क्या हैं और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) संभवत: अभिप्राय अन्तर्राष्ट्रीय लोहा और इस्पात संस्थान, ब्रसेल्स की आर्थिक अध्ययन समिति द्वारा किए गए "प्रोजेक्शन-90" नामक अध्ययन से है। इस अध्ययन का सारांश संस्थान के निदेशक मंडल की रि-ओ-डी-जेनेरु में अप्रैल, 1978 में हुई विशेष बैठक में प्रस्तुत किया गया था। अध्ययन में इस्पात की विश्व मांग में निरन्तर वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। इसके अनुसार अपरिष्कृत इस्पात की मांग, जो वर्ष 1970 में 594 मिलियन टन थी, बढ़कर वर्ष 1985 में लगभग 1.0 बिलियन टन और वर्ष 1990 में 1.2 बिलियन टन की जायेगी।

(ख) इस अध्ययन के अनुसार विश्व में इस्पात की खपत में विकासशील देशों का भाग जो वर्ष 1970 में 7.1% था बढ़कर 1990 तक 15.6% हो जायेगा। भारत में मांग में वृद्धि की दर का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है :—

1978-79 से 1982-83	10%
1983-84 से 1987-88	9%

DIFFICULTY FOR SENDING TELEGRMS FROM BARAUT, U.P.

†1719. SHRI RAMJILAL SUMAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether people are feeling difficulty for sending telegrams from the post office situated at Baraut, Meerut. U.P.;

(b) whether this post office remains closed from 10.00 P.M. to 7.00 A.M. and as a result of which people cannot send telegrams;

(c) whether attention of Senior Superintendent, Meerut Division has been drawn towards the complaint of post office; and

(d) if not, the reasons therefor and if so, the action taken by the Senior Superintendent, Post Offices, Meerut Division ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) No Sir.

(b) The working hours of the Telegraph Branch are from 7.00 A.M. to 10.00 P.M. Late Fee facility for booking of telegrams is available from 10.00 P.M. to 7.00 A.M.

(c) Yes Sir. A complaint about Telegraph Service was brought to notice.

(d) Action was initiated to get occasional disturbance on the Telegraph circuit attened to.

TELEPHONE OF AGRA FIRE BRIGADE REMAINING OUT OF ORDER

†1720. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) how many times the telephone of the Agra Fire Brigade service remained out of order during 1977;

(b) the number of hours for which this telephone No. 73333 remained out of order during the same year; and

(c) whether it is proposed to make some alternative arrangement on Fire Brigade's telephone if not working ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) 24 times during the calendar year 1977.

(b) 140 hours (1.59 per cent time in the year).

(c) To reduce fault liability arising out of movement of the telephone from place to place by use of long cords, Fire Brigade is being advised to have the telephone eliminating long cord. To reduce faults due to overhead lines, the cable is being extended to a point nearer to the Fire Brigade.

BRANCH POST OFFICES IN HOSHIARPUR, PUNJAB

†1721. CHOWDHRY BALBIR SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state that out of 200 Branch Post Offices to be opened in Punjab during 1978-79 how many Post Offices will be opened in Hoshiarpur District indicating the locations thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : Out of a total of 175 for the whole North Western Circle, it is proposed to open 40 post offices in the State of Punjab during 1978-79. No target has been fixed for opening of post offices in Hoshiarpur District.

Proposals for opening of post offices at villages Nikkuchak and Jojewal in Hoshiarpur District under the Integrated Tribal Development Programme of the State have been received from Punjab Government and are under consideration.

न्यूनतम निर्वाह मजूरी

1722. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का सदस्य होने के नाते, भारत उसके द्वारा बनाए गए सिद्धान्तों के पालन के लिए वचन-बद्ध है;

(ख) यदि, हां तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के संविधान की प्रस्तावना में पर्याप्त निर्वाह मजदूरी उपबन्ध की आवश्यकता पर बल दिया गया और इसकी 1944 की पिलेडेलपिया घोषणा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन में 'सबको न्यूनतम निर्वाह निधि मंजूरी देना' सुनिश्चित करने की महत्वता का उल्लेख किया था; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की उक्त घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का सदस्य होने के नाते इसके संविधान का समर्थन करता है ।

2. इस संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्य पलेट लपिया घोषणा में अपनाए गये थे जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन से यह अपेक्षा करते हैं कि संसार के देशों में उन कार्यक्रमों को बढ़ावा दें, जो मजदूरी एवं

आय, कार्य-घंटों और अन्य कार्य-दशाओं के सम्बन्ध में ऐसी नीतियां तैयार करेंगे, जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को प्रगति के लाभों का उचित हिस्सा मिले, और सभी नियोजित व्यक्तियों को तथा उन व्यक्तियों को जिन्हें ऐसे संरक्षण की आवश्यकता है, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी मिले ।

3. भारत के संविधान में निर्दिष्ट राज्य नीति संबंधी निर्देशनात्मक सिद्धान्तों में एक सिद्धांन्त यह भी है कि सभी राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी अन्य ढंग द्वारा श्रमिकों (कृषि औद्योगिक या अन्य श्रमिक) को निर्वाह मजदूरी दिलाने का प्रयास करेगा ।

4. आर्थिक विकास की क्रमिक योजनाओं और कानूत द्वारा भारत सरकार का यह लगातार प्रयास रहा है कि जीवन-स्तर को ऊंचा किया जाए और सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान किया जाय । इस बीच न्यूतन मजदूरी अधिनियम 1948 के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें सुनिश्चित की जा रही हैं ।

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री को पासपोर्ट दिया जाना

1723. श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती इंदिरा को पासपोर्ट देने के बारे में विदेश मंत्रालय द्वारा उन्हें लिखे गए पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने पत्र का उत्तर दे दिया है; और

(ग) सरकार के पत्र का पूर्ण पाठ क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) :

(क), (ख) और (ग) : श्रीमती इंदिरा गाँधी ने विदेश मत्री को दो पत्र लिखे हैं जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्या वे एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए स्विटजरलेंड जाने का पासपोर्ट उन्हें मिल सकता है; उन्होंने यह भी बताया कि अदालत से उन्होंने स्वयं हाजिर होने की छूट ले ली है । इन दोंनो पत्रों का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री ने अपने दूसरे पत्र में यह बताया है कि पासपोर्ट जारी किए जाने से पहले, उन्हें पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 22 के अन्तर्गत सरकार की 14 अप्रैल की अधिसूचना जी एसआर-293 (ङ) की शर्तों के अनुसार अदालत से अनुमती लेना आवश्यक होगा । उन्होंने यह भी बता दिया कि अदालत से अनुमती ले लेने पर उन्हें पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा ।

LIBERALISING PASSPORT POLICY

1724. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4214 on the 23rd March, 1978 regarding number of education Unemployed/Technicians/ Businessment went abroad and state whether he proposes to the Ministry of External Affairs to liberalise the passport policy so that more and more unemployed educated, semi-educated and unskilled persons and businessmen may be able to get permission for going abroad and the pressure of increasing unemployment in India may be reduced ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : The Ministry of Labour is concerned with regulating recruitment of skilled workers for employment abroad. Considerable liberalisation has already been made by the Government in its policy on the issue of Passports. Any person going abroad in accordance with the provisions of the Emigration Act is issued a passport liberally.

सुरक्षा एवं औषध पुनरीक्षण समिति

1725. श्री डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध नीति तैयार करते समय नशीली, अनुचित एवं अनावश्यक दवाओं का विपणन करने वाली फार्मास्यूटिकल फर्मों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण पर विचार किया है;

(ख) क्या हैल्थ विजिलेंस एसोसियेशन, महाराष्ट्र ने बेची जाने वाली एवं बहुत अधिक प्रचार, जिसके कारण उपभोक्ताओं में संभ्रांति पैदा होती है, की जाने वाली औषधियों की (1) उपयोगिता (2) सुरक्षा (3) प्रभावोत्पादकता (4) नशीले प्रभाव की जांच के लिये केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर "सुरक्षा एवं औषध पुनरीक्षण समिति" गठित करने का सुझाव दिया था; और

(ग) बड़ी फार्मास्यूटिकल एवं औषध कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क), से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भर्ती करने वाले एजेन्टों और आप्रवासी अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतें

1726. **डा० बसन्त कुमार पंडित**
श्री अमर राय प्रधान
श्री ओम प्रकाश त्यागी } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आप्रवासी मजदूरों की भर्ती करने वाले एजेन्टों तथा आप्रवास अधिकारियों द्वारा की जाने वाली देरी और कठिनाइयों के विरुद्ध बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आप्रवास प्रक्रिया म सुधार करने और पुराने पड़ गये आप्रवास अधिनियम, 1922 में प्रभावपूर्ण संशोधन करने का है;

(ग) गत तीन वर्षों में खाड़ी के देशों, पश्चिम एशिया के देशों और अफ्रीकी देशों में अनुमानतः कितने भारतीय आप्रवासी काम करते रहे हैं; और

(घ) आप्रवासी मजदूरों को भर्ती करने वाली एजेन्सियों की जालसाजी तथा विदेशी नियोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली परेशानियों से बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही करने की योजना बनाई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू): (क) जी, हां। सरकार को भर्ती करने वाले एजेन्टों के खिलाफ इस बात की शिकायतें मिली हैं कि वे कानून का उल्लंघन करके प्रव्रजन करने वाले भारतीय श्रमिकों की सहायता कर रहे हैं। यह भी बताया जाता है कि इस प्रकार के भर्ती-एजेन्टों ने इन प्रव्रजन करने वाले श्रमिकों से बहुत बड़ी-बड़ी धन-राशियां भी ली हैं । सरकार को इस बात की भी खबर मिली है कि प्रव्रजन करने वालों को आरोहण के स्थानों पर प्रव्रजन निरीक्षण के दौरान बहुत विलम्ब हो जाता है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ख) प्रव्रजन की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए सरकार पहले ही कदम उठा चुकी है। भावी प्रव्रजकों से कुछ वैध शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। भारतीय श्रमिकों की

विदेशों में भर्ती से सम्बद्ध मसलों पर गौर करने के लिए जो समिति बनाई गयी है वह भी भारतीय प्रव्रजन अधिनियम, 1922 में संशोधन के प्रश्न पर विचार कर रही है।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्ष में प्रव्रजन अधिनियम 1922 की अपेक्षा के अनुसार प्रव्रजन संरक्षकों के यहां पंजीकरण कराने के बाद 55,526 भारतीय श्रमिक खाड़ी, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों को गये हैं लेकिन विगत तीन वर्ष की अवधि में और भी भारतीय श्रमिक पंजीकरण के बिना बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में गये हैं और इस प्रकार के प्रव्रजकों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने पारपत्र या पासपोर्ट आवेदनों में अपनी यात्रा के उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया है। यह भी कोई जरूरी नही है कि जो लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन करें वे विदेश जायें ही।

(घ) सरकार ने भारतीय श्रमिकों के प्रव्रजन को पहले ही नियमित कर दिया है और सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रव्रजन की अनुमति देती है जिनके पास वैध संविदायें हों और जिनके नियोजन की शर्तों को श्रम मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हो। जो प्रव्रजक खुद अपने प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर लेते हैं उन्हें प्रव्रजन कर्मचारियों के इस ओर से आश्वस्त हो जाने के बाद जाने की अनुमति दे दी जाती है कि इन प्रव्रजकों के पास वैध संविदायें हैं और गन्तव्य पर पहुंचने पर उनके मित्रों और संबंधियों द्वारा उनकी देखभाल की जायेगी। जब कभी किसी भर्ती एजेन्सी के खिलाफ धोखादेही आदि की कोई शिकायत मिलती है तो विदेश मंत्रालय श्रम मंत्रालय से इस बात की सिफारिश करता है कि इस प्रकार के एजेन्टों को जो अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया गया है उसे रद्द कर दिया जाये और इस प्रकार की कुछ एजेंसियों का पंजीकरण रद्द किया भी गया है। राज्य सरकारों से भी समुचित कार्यवाही करने को कहा जाता है। भारतीय मिशनों से भी कहा गया है कि वे भी विदेशी नियोक्ताओं द्वारा परेशान किये जाने के मामलों पर गौर करें और अगर जरूरत हो तो इस प्रकार के नियोक्ताओं को भारत से और भर्ती करने की इजाजत न दें।

भारतीय आयुर्वेदिक औषधि के जांच किए गए फार्मूलेशन

1727. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आयुर्वेदिक औषधों के जांच किए गए फार्मूलेशनों को, यथा सर्पसिल, सार्पना, लिव-52 आदि को सरकारी अस्पतालों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना केंद्रों में रोगियों के लिए निर्धारित करने की अनुमति नहीं है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) आयुर्वेदिक तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के जो फार्मलेशन जगत प्रसिद्ध है तथा जिन्हें डाक्टर लोक विशिष्ट औषध मानते हैं उनको प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार की क्या नीति है, और

(घ) सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और देशी दवाओं को किस प्रकार तथा कितने समय में प्रतिष्ठित करेगी;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रदास यादव): (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विवरण"

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद, यनानी और सिद्ध) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का अंग मान लिया गया है।

444 योग सूत्रों की आयुर्वेदिक फार्मूलरी के प्रथम भाग को अंतिम रूप दे दिया गया है। सिद्ध और यूनानी की दोनों फार्मूलरीस के प्रथम भागों में 245 सिद्ध सूत्रों और 211 यूनानी सूत्रों को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है।

मोटापे तथा मायोकार्डियल इन्फार्कशन के रोगियों का इलाज करने के लिए गुगुलू (कोमिफोरा मुकुल) जैसी औषधियों पर विस्तृत अध्ययन क्योंकि इन रोगों पर अन्य किसी चिकित्सा का असर नहीं हुआ है। मानसिक विकार से पीड़ित रोगियों के लिए मन्दूकाप्रानी (सेन्टेलिया एसिथाटिका), सामान्य अनासारका के रोगियों को पुनरनवा (वोरहाविया डिफयूज) कतिपय डेमाटालोजकल स्थिति में कष्टकारी (सोलानम सेन्थोकारपम) मिली जुली बीमारियों के लिए अश्लगंधा (विथेनिया सीमनीफेरिया) और कतिपय हृदयरोगों के लिए करावीरा (नीरम इन्डकम) का इस्तेमाल करने के बारे में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान कार्य शुरू किया गया है और अब तक प्राप्त किए गए परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। परिषद ने आयुर्वेद की कुछ मूल औषधियों से कुछ घटक हटा कर और उनमें कुछ दूसरे घटक डालकर, ऐसी मूल औषधियों के बड़े पैमाने पर परीक्षण किए हैं।

भारतीय औषधियों पर औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण रखा जा रहा है।

पंच वर्षीय योजनाओं के नियतनों में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है अर्थात् प्रथम योजना में जो 37.50 लाख रुपये का नियतन किया गया था वह छठी योजना तक बढ़कर 60 लाख रुपये (अस्थायी) तक पहुंच गया है। विभिन्न विकास योजनाओं के उद्देश्य हैं (1) स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा का स्तर सुधार करना, (2) अनुसंधान कार्यकलापों का विकास करना और (3) बड़े पैमाने पर औषधीय पादकों का उत्पादन करना। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धमें स्नातकपूर्व अध्ययनों के लिए एक जैसी पाठ्यचर्या लागू की है।

वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर में आयुर्वेद के दो स्नातकोत्तर संस्थानों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध की विभिन्न विशिष्टताओं के 19 स्नातकोत्तर विभाग कार्य कर रहे हैं। राजस्थान

सरकार के सहयोग से 1976 में जयपुर में खोले गए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से आशा की जाती है कि वह आयुर्वेद शिक्षा के उच्च मानक स्थापित करने की दिशा में काफी कार्य प्रदान करेगा। तुगलकाबाद में एक राष्ट्रीय यूनानी संस्थान खोलने के प्रस्ताव पर काफी आगे तक कार्यवाही हो चुकी है।

चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों की तरफ पर्याप्त ध्यान देने के विचार से (1) आयुर्वेद और सिद्ध (2) यूनानी चिकित्सा पद्धति (3) होम्योपैथी (4) योग और प्राकृतिक उपचार में अनुसंधान के लिए अलग-अलग केन्द्रीय परिषदें स्थापित कर दी गई हैं। 1968 में गाजियाबाद में स्थापित की गई भारतीय चिकित्सा की भेषज संहिता प्रयोगशाला ने औषधियों और अन्य सप्पाकों के मानक तैयार करने का कार्य शुरु कर दिया है। रानीखेत में भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय फार्मेसी के प्रबंध के लिए एक निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन पद्धतियों के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों तथा दूसरे सरकारी संस्थानों को आयुर्वेदिक और यूनानी की पेटेंट तथा विशद्ध औषधियां यथोचित दामों पर उपलब्ध कराना है। बाद में ये औषधियां आम जनता को भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जड़ी-बूटियों के फार्म और फार्मेसियां स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता भी दे रही है।

केन्द्रीय सैक्टर के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के स्नातकपूर्व अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के स्नातकपूर्व कालेजों का विकास करना ग्रामों में कार्य कर रहे चिकित्सकों को भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में प्रशिक्षण देना, आदिवासी इलाकों में औषधालय खोलना तथा केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक चिकित्सा का विकास करना कुछेक अन्य नई योजनाएं हैं जिन्हें छठी योजना में सम्मिलित करने के बारे में विचार किया जा रहा है। अस्पतालों तथा औषधालयों की स्थापना करना राज्य सैक्टर के अधीन एक प्रमुख कार्यक्रम है।

वर्ष 1977-78 के लिए इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कार्यकरण के परिणाम

1728. **श्री एस० आर० दामानी**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री 2 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 1356 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977-78 में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कार्यकरण के अन्तिम परिणाम क्या हैं और वर्ष की तुलना में ये कितने न्यूनाधिक हैं;

(ख) क्या संयंत्र पुनस्थापन योजना के पूरे होने के बाद उत्पादन में कोई सुधार हुआ है और यदि हां, तो पुनःस्थापना के पहले और बाद की स्थितियों के लिए तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या बेहतर प्रबन्ध के लिए किये गये निर्णय को क्रियान्वित कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप कार्यकरण में क्या सुधार हुआ है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) इस्को का वर्ष 1977-78 का हिसाब-किताब अभी तैयार नहीं हुआ है। फिर भी, अनुमान है कि कंपनी को वर्ष 1976-77 के 16.31 करोड़ रुपए की हानि की तुलना में वर्ष 1977-78 में अधिक हानि होगी।

(ख) संयंत्र प्रतिस्थापन का लगभग 90% कार्य पूरा हो गया है। यह योजना जून, 1973 में आरम्भ की गई थी। जबसे संयंत्र प्रतिस्थापन योजना चालू की गई है उत्पादन में सुधार हुआ है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों को देखने से पता चलेगा :—

वर्ष	इस्पात पिण्ड	विक्रेय इस्पात
	(हजार टन)	(हजार टन)
1972-73	431	347
1973-74	439	358
1974-75	532	415
1975-76	630	501
1976-77	667	542
1977-78	651	505

लेकिन वर्ष 1977-78 में उत्पादन में कमी हुई है। कमी मुख्यतः या मालिक-मजदूर सम्बन्ध सन्तोषजनक न होने, बिजली की कमी और कोयले तथा लौह-अयस्क की घटिया किस्म के कारण हुई है।

(ग) 1 मई, 1978 से इस्को सेल की एक सहायक कंपनी बन गई है। हाल ही में कम्पनी के उच्च प्रबन्धकों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। आशा है कि इन परिवर्तनों से शीघ्र ही कंपनी के कार्यकरण में सुधार होने लगेगा।

आयातित इस्पात का मूल्य

1729. **श्री एस० आर०दामानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान आयातित इस्पात और इस्पात की सामग्री की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है और पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान इस्पात का बहुत बड़ी मात्रा में आयात करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा आयात करने के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) वर्ष 1975-76, 1976-77 और अप्रैल-जुलाई, 1977 में आयात किए गए इस्पात की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(मात्रा टनों में और मूल्य '000 रुपयों में)

श्रेणी	1975-76		1976-77		1977-78 अप्रैल-जुलाई, 1977	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
साधारण इस्पात/ *कार्बन स्टील	355306	1253507	245978	809672	*50648	191423
हाई कार्बन स्टील	66156	285224	30267	137703	9777	43652
मिश्र इस्पात	51777	438116	39030	346502	10930	85666
रेल की पटरी, ट्राम की पटरी, पहिए, धुरे, स्लीपर्स इत्यादि	1971	12617	3054	18602	188	1708
अन्य	—	—	—	—	1967	18182

*वर्ष 1977-78 से साधारण इस्पात के स्थान पर "कार्बन इस्पात" के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।

स्रोत : डी०जी०सी०आई०एस०

(ख) चालू वर्ष में आयात की जाने वाली इस्पात की मात्रा का इस समय ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि आयात नीति में यह भी व्यवस्था है कि वास्तविक उपभोक्ता पंजीकृत निर्यातक, ओपन जनरल लाइसेंस तथा सीधे आयात के लिए दिए गए लाइसेंसों के अधीन इस्पात का आयात कर सकते हैं। इसके अलावा माध्यम अभिकरणों की मार्फत भी इस्पात की कुछ मदों का आयात किया जाता है।

(ग) आयात उन वस्तुओं की मांग और उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक है जिनकी या तो कमी है या जिनका उत्पादन नहीं हो रहा है।

RESTORATION OF EIGHT TRUNK LINES BETWEEN BANTVA AND MANAVADAR

†1730. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there were eight trunk lines between Bantva and Manavadar in District Junagarh of Saurashtra region in Gujarat and if so, the duration thereof which these lines were in operation;

(b) the date on which two lines out of them were reduced indicating the reasons therefor and now when the two lines have been converted into hot lines, only four trunk lines have remained causing great hardship to the people of Bantva and Manavadar;

(c) if so, the time by which Government will restore all the eight lines; and

(d) the time by which separate operators will be appointed by Government as people in Bantva are experiencing great inconvenience at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) to (c) 8 Trunk lines were existing between Bantva and Manavdar prior to 1975. On conversion of Manavdar exchange into automatic working and installation of a trunk exchange at Manavdar, the traffic between Manavdar and Bantva justified only 4 circuits. The present traffic also justifies only 4 trunk circuits.

(d) Separate operators already exist for manual exchange at Bantwa.

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति

1731. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान ने गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के लिए "ईसवगोल" से बनी एक नई औषधि का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या प्रयोग किए गए और इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यालण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने "ईसफर्टे" नामक एक गर्भाशय-ग्रीवा विस्फारक का विकास किया है जिसमें ईसबगोल का प्रयोग किया जाता है। ईसबगोल म लैमीनोरिया टेंट के वही आर्द्रताग्राही गुणधर्म होते हैं जिसे विदेश से आयात किया जाता है और जो इस देश में सरलता से उपलब्ध नहीं है। गर्भ की समाप्ति के पूर्व इसका इस्तेमाल गर्भाशयग्रीवा नलिका के विस्फारण के लिए किया जाता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् तथा उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तत्वावधान में "ईसफर्टे" की बहुकेंद्रक लाक्षणिक परीक्षा की जा रही है। अब तक 8–22 सप्ताह के गर्भ वाली 237 महिलाओं पर ईसफर्टे का मूल्यांकन किया गया है जिनमें से 225 मामलों में इसके परिणाम संतोषजनक रहे। इन परीक्षाओं की अन्तिम रिपोर्ट जल्द मिल जाने की संभावना है। इस बीच, वाणिज्यिक स्तर पर इसके उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा एक्सचेंजों के माध्यम से भरे गए रिक्त पद और रिक्त पदों के भरने संबंधी तिमाही विवरण

1732. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1961 के बाद बेरोजगारी में प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत वृद्धि हो रही थी और बेरोजगारों की सूची में 7 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हुई थी;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित 25 अथवा इससे अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाले सब प्रतिष्ठानों के लिए रिक्त स्थानों और एक्सचेंजों के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त

पदों की तिमाही विवरण फाइल करना अनिवार्य है, लेकिन इसका गम्भीरता से पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) उक्त अनिवार्यता को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या (अवश्य ही ये सभी बेरोजगार नहीं हैं) से संबंधित है। 1961 से 1977 की अवधि के दौरान, चालू रजिस्टर में वार्षिक वृद्धि की प्रतिशतता घटती बढ़ती रही जो कि 1964 में 1:0 थी और 1972 में 35.2 थी। जहां तक वास्तविक संख्या का प्रश्न है, चालू रजिस्टर की संख्या दिसम्बर, 1961 में 18.3 लाख से बढ कर दिसम्बर, 1977 में 109.2 लाख हो गई।

(ख) और (ग) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन, 25 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के सभी गैर कृषि प्रतिष्ठानों के लिए यह आवश्यक है कि वे विहित प्रपत्र में खाली पदों और रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई रिक्तियों के बारे में सूचना दिखाने वाली तिमाही विवरणियां भेजें। अधिनियम के इस उपबंध का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए और उस का अनुपालन करने के लिए, अनेक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने प्रवर्तन तन्त्र की स्थापना की है।

अधिनियम के अन्तर्गत यह किसी प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे अपनी रिक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही भरें। तथापि, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत रिक्तियों को रोजगार कार्यालयों द्वारा ही भरा जाना आवश्यक है।

दूर संचार परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिये विश्व बैंक ऋण

1733. श्री के० राममूर्ति : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने दूर-संचार परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिये कोई भारी ऋण देना मंजूर किया है;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है तथा इस ऋण की शर्तें क्या होंगी; और

(ग) यह ऋण मंजूर करने के लिये विश्व बैंक ने किन विशिष्ट बातों पर जोर दिया है और मंत्रालय ने उन पर कहां तक अमल किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां। विश्व बैंक ने दूर संचार सुविधाओं के विकास के लिये और भारतीय टेलीफोन उद्योग हिन्दुस्तान केबुल्स और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स में दूर संचार उत्पादन सुविधाओं का अपग्रेड करने के लिये 12 करोड़ डालर के ऋण की मंजूरी दी है।

(ख) 12 करोड़ डालर के ऋण में से 4 करोड़ डालर डाक-तार विभाग द्वारा दूर संचार उपस्कर और साज सामान के सीधे आयात के लिये हैं। तीन सरकारी दूरसंचार कारखानों में मशीनरी, परीक्षण उपस्कर और अनुसंधान एवं विकास के लिये मंत्री के निमित्त 2 करोड़ डालर की व्यवस्था है। तीनों कारखानों द्वारा कच्चे माल और कल-पुर्जों के आयात के लिये 6 करोड़ डालर की व्यवस्था ह।

यह ऋण 17 वर्षों में बराबर छः माही किश्तों में अदा किया जाना है। ये किस्तें 15 जनवरी 1982 से चालू होंगी। इसकी ब्याज दर 7.5 प्रतिशत वार्षिक है।

(ग) विश्व बैंक ने यह ऋण "बैंक के ऋण और गारंटी-करार पर लागू होने वाली आम शर्तों" और "विश्व बैंक के ऋणों व आई० डी० ए० क्रेडिट के अन्तर्गत प्राप्त करने संबंधी दिशा निर्देशों" के अंतर्गत मंजूर किये हैं। दस्तावेजों के मुख्य प्रावधानों के अनुसार साज-सामान की प्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के आधार पर की जानी है और इसकी वसूली के लिए वित्त की व्यवस्था केवल विश्व बैंक के सदस्य देशों व स्विटजरलैंड से की जानी है।

जन दिवसों की हानि

1734. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1977 में तालाबन्दियों के कारण सब से अधिक जन दिवसों की हानि हुई है और यदि हां, तो इनको कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और वर्ष 1978 के पहले तीन महीनों में हड़तालों और तालाबन्दियों, दोनों के सम्बन्ध में तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : वर्ष 1977 के दौरान हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण कुल नष्ट हुये श्रम दिनों में से तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुये श्रम दिन 50.31 प्रतिशत थे। वर्ष 1976 में तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुये श्रम दिन 78.04 प्रतिशत थे और 1975 के उत्तरार्ध में नष्ट हुये श्रम दिन 64.66 प्रतिशत थे।

सरकार केन्द्र तथा राज्यों में स्थापित औद्योगिक संबंध तंत्र की सहायता से देश में औद्योगिक वातावरण में सुधार करने के प्रयास कर रही है। जब कभी आवश्यक होता है, सरकार समझौता कराने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र के विवादों में हस्तक्षेप कर रही है।

1978 के प्रथम तीन महीनों में अनंतिम आंकड़ों के अनुसार नष्ट हुये श्रम दिन इस प्रकार हैं :—

हड़तालों के कारण	16.8 लाख
तालाबन्दी के कारण	14.8 लाख ।

इस्पात की सप्लाई का विकेन्द्रीकरण

1735. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस्पात की सप्लाई का विकेन्द्रीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) वर्ष 1977-78 से पूर्व वितरण व्यवस्था बहुत हद तक स्टाकयार्डों की सप्लाई पर निर्भर थी। उपभोक्ताओं की मांग को तुरंत पूरा करने के उद्देश्य से वर्तमान नीति में यह व्यवस्था की गई है कि अधिकाधिक सप्लाई सभी सुस्थापित माध्यमों अर्थात् सीधे कारखानों से, स्टाक-यार्डों और राज्य लघु उद्योग निगमों की मार्फत की जाए।

COMPENSATION TO PERSONS KILLED IN ACCIDENTS

1736. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether a uniform policy is not followed by Government towards the persons killed in accidents; and

(b) the amount paid as compensation by Government to labourers killed in mines and factories and the persons killed in railway accidents and aircrashes, separately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : (a) and (b) Persons employed in mines are covered by the Workmen's Compensation Act, 1923 and those employed in factories are covered by the Workmen's Compensation Act or the Employees' State Insurance Act, 1948. Both the Acts apply to persons drawing wages upto Rs. 1,000/- per month and provide for payment of compensation in case of death or disablement as a result of accident (including occupational diseases) arising out of and in the course of employment. The rates of compensation for death under the Workmen's Compensation Act, 1923 range from 7,200/- to Rs. 30.000/- depending on the wage group to which the person concerned belongs. The rate for periodical payment of pension under ESI Act is roughly 62% of the wages. The dependents of persons killed in train accident are entitled to a compensation of Rs. 50,000/- and in the event of death of a passenger due to air accident, the carrier is liable to pay a compensation of Rs. 1 lakh to the family of the deceased passenger.

MANGANESE ORE PLANT IN BALAGHAT AND BHANDARA

1737. SHRI LAXMAN RAO MANKAR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many manganese mines in Balaghat and Bhandara Districts are being managed by Government;

(b) if so, the reasons why Government do not want to set up manganese ore plant in these areas; and

(c) if Government do not propose to set up this plant there, the reasons for not granting licences to others ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) and (b) Manganese Ore India Ltd., a public sector undertaking, is working three manganese mines in Balaghat district and two manganese mines in Bhandara district of Maharashtra. It has applied for an Industrial Licence to set up a Ferro Manganese Plant based on the utilisation of manganese ore from their mines. Their application is under consideration.

(c) Does not arise.

WAGES PAID TO MANGANESE MINERS

1738. SHRI LAXMAN RAO MANKAR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the minimum wage paid ot the workers of manganese mines is much less than the wage paid to workers of steel and coal industries;

(b) if so, the reasons for fixing lower rate of minimum wage for the above workers when they do equally difficult work; and

(c) whether Government propose to appoint a Wage Board for manganese workers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Yes, Sir.

(b) The minimum wages for workers in manganese mines has been fixed under the Minimum Wages Act, while wages of workers in coal mines and iron ore mines captive to the Steel Plants have been fixed under bipartite settlements.

(c) No, Sir.

मानव चलित टेलीफोन केन्द्रों को स्वचालित केन्द्र में बदलना

1739. श्री एस० आर० दामाणी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों में किस किस नगर के मान चालित टेलीफोन केन्द्रों को स्वचालित केन्द्रों में बदला गया, बदलने से पूर्व प्रत्येक नगर में कितने टेलीफोन कनेक्शन थे और बाद में प्रति वर्ष कितने नये कनेक्शन जोड़े गये;

(ख) प्रत्येक मामले में स्वीकृति की तारीख से लेकर टेलीफोन केन्द्र के चालू होने में कितना समय लगा; और

(ग) टेलीफोन एक्सचेंज स्वचालित बनाने के सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेई साय) : (क) और (ख) ऐसे मेनुअल एक्सचेंजों की कुल संख्या 124 है, जिन्हें गत पांच वर्षों में स्वचल एक्सचेंजों में बदला गया है। इनमें से 39 बड़े (एम० ए० एक्स टाइन के हैं। इन 39 एक्सचेंजों का ब्यौरा अनुबन्ध ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 2505/78) न दिया गया है।

(ग) 1 अप्रैल, 1978 को देश में 1203 मैनुअल एक्सचेंज थे। 1982 तक 23 बड़े और 50 छोटे मैनुअल एक्सचेजों को स्वचल एक्सचेजों में बदलने के बारे में अस्थाई योजनायें तैयार कर ली गई है।

RURAL HEALTH SCHEME

1740. SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased state :

(a) whether works are being undertaken in different parts of the country under Rural Health Scheme; and

(b) if so, the number of hospitals (major) dispensaries and health centres set up, thereunder in rural areas, areawise during 1977-78 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b) No construction work is envisaged under the Rural Health Scheme which is commonly known as Community Health Workers Scheme. As the name indicates, under the scheme the Community Health Workers are selected for serving their respective villages after due training. Setting up of hospitals, dispensaries and health centres in rural areas is covered under the Minimum Needs Programme and the same is under the State sector.

SETTING UP OF TELEPHONE EXCHANGE AT KUSHESHWAR STHAN AND BIROL, BIHAR

*1741. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether any proposal for setting up of a telephone exchange at Kusheshwar Sthan and Birol in Darbhanga District, Bihar was considered; and

(b) if so, the time by which the telephone exchange is likely to be set up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI) : (a) and (b) Small telephone exchanges were already working at Kusheshwar Sthan and Birol. However, due to disconnection of telephones and no now demands from the public, these exchanges have been converted into long distance Public Cell Offices.

Exchanges can be re-opened if adequate demand for private connection is registered.

विदेशों में भारतीयों की भर्त्ती पर प्रतिबन्ध

1742. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जहां रोजगार के लिये भारतीय की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा है तथा प्रतिबन्ध उठा लिया गया है, और

(ख) उन प्रतिबन्धों का ब्यौरा क्या है जो पहले लगाये गये थे/अब भी लगे हैं तथा उनके कारण क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) और (ख) मस्कट में एक विदेशी कम्पनी द्वारा बहुत से भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने तथा जनवरी, 1978 में लगभग 200 भारतीय श्रमिकों के प्रत्यावर्तन के कारण भारत सरकार ने भारतीय कम्पनियों द्वारा पूरी की जा रही परियोजनाओं के लिये अपेक्षित श्रमिकों को छोड़कर ओमान में सभी विदेशी नियोजकों द्वारा भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । ओमान के प्राधिकारियों के साथ विचार विमर्श हुआ है और उस देश में भारतीय श्रमिकों से सम्बन्ध समस्याओं के निराकरण के बारे में दोनों सरकारों के बीच सहमति हो गई है। ओमान से सम्बद्ध सामान्य प्रतिबन्ध 1-5-1978 को हटा दिया गया। लेकिन ओमान में नौकरी के लिये सम्बद्ध विदेशी कम्पनी द्वारा भर्ती के बारे में अभी भी प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

गत वर्ष के दौरान इस्पात का उत्पादन

1743. **श्री के० मालन्ना : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में देश में गत वर्ष के दौरान इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में इस्पात के उत्पादन में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी मात्रा में उत्पादन कम हुआ है; और

(घ) इस्पात उत्पादन सामान्य मात्रा में करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) वर्ष 1977-78 में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन 63.94 लाख टन था।

(ख) और (ग) वर्ष 1976-77 की तुलना में वर्ष 1977-78 के दौरान उत्पादन में 28,000 टन की मामूली कमी हुई है, जो 0.4 प्रतिशत के बराबर है। वर्ष 1975-76 की तुलना में वर्ष 1977-78 म उत्पादन 11.14 लाख टन अधिक हुआ है। वर्ष 1977-78 में निम्नलिखित कई कारणों से इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है :—

(1) बिजली की सप्लाई पर प्रायः प्रतिबन्ध/रुकावट, विशेषकर बोकारो और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों तथा इस्को में ।

(2) इस्पात कारखानों को सप्लाई किये जाने वाले कोककर कोयले की क्वालिटी और मात्रा सम्बन्धी कुछ समस्यायें ।

(3) अक्तूबर, 1977 में दुगदा तथा मौजूडीह कोयला शोधनशालाओं म हड़ताल तथा फरवरी/मार्च, 1973 में बोकारो में कुछ श्रमिकों द्वारा की गई आंशिक हड़ताल ।

(घ) ऊर्जा मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम और कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों से सतत सम्पर्क रखा जा रहा है जिससे बिजली और कोककर कोयले की सप्लाई में सुधार लाया जा सके। दुर्गापुर और बोकारो के इस्पात कारखानों में अन्तःसंयंत्र विद्युत उत्पादन करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है । घरेलू सप्लाई में वृद्धि करने के लिये लगभग 10 लाख टन कम राख वाले कोककर कोयले का आयात करने का भी प्रस्ताव है ।

केरल का हज यात्रा सम्बन्धी कोटा

1744. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केरल का हज यात्रा सम्बन्धी कोटा कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की गई है; और

(ग) क्या सरकार केरल से हज यात्रा के लिये आमतौर पर बड़ी संख्या में आवेदन पत्रों को ध्यान में रखते हुए इस कोटे में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क), (ख) और (ग) किसी भी राज्य अथवा प्रदेश के लिये हज यात्रियों का कोई निश्चित कोटा नहीं है । सामान्य प्रथा के अनुसार सरकार ने 1978 के हज के लिये 20 हजार यात्रियों के लिये (15 हजार समुद्री मार्ग से और 5 हजार विमान द्वारा) विदेशी मुद्रा देने का निर्णय किया है जबकि 1977 में 18 हजार के लिये व्यवस्था की गई थी । हज समिति ने विभिन्न राज्यों, राज्य समूहों, संघ शासित क्षेत्रों में उनकी मुस्लिम आबादी के अनुपात से उन्हें हज के लिये स्थान देने का निर्णय किया है जोकि इन स्थानों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुपात से स्थान देने की अपेक्षा अधिक युक्तिसंगत है जैसाकि 1977 में किया गया था । हज समिति ने 40 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों के लिये 75 फीसदी स्थान आरक्षित करने का भी निर्णय किया है जिससे कि अपेक्षाकृत अधिक आयु वाले लोगों को बेहतर मौका मिल सके ।

समुद्री मार्ग से हज के लिये जाने वाले आवेदकों में जिनकी संख्या 25000 है, लगभग 40% आवेदन केरल से प्राप्त हुए हैं जबकि केरल में मुसलमानों की आबादी भारत में मुस्लिम आबादी का सिर्फ 6.7% है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हज समिति द्वारा 1978 के हज के लिये आयोजित कुर्रा में केरल के आवेदकों को जगह क्यों नहीं मिल सकी । विमान द्वारा यात्रा के लिये हज समिति को अभी आवेदन मांगने हैं ।

केरल से यात्रा के लिये आवेदन करने वालों को इस स्थिति में और अतिरिक्त स्थान आबंटित करना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा करना दूसरे राज्यों के यात्रियों की कीमत पर होगा लेकिन अगर कोई स्थान खाली होते हैं तो उन्हें भरने के लिये केरल के आवेदकों के हितों पर यथोचित ध्यान दिया जायेगा ।

डा० मोहम्मद इकबाल के चित्र वाले डाक टिकट जारी करने का निर्णय

1745. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्दू कवि, डा० मोहम्मद इकबाल के चित्र वाले डाक टिकट जारी करने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब किया गया था और उक्त डाक टिकटें कब जारी की जायेंगी;

(ग) क्या बाद में उक्त डाक टिकटें जारी न करने का निर्णय किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो पहले निर्णय को रद्द करने का निर्णय कब किया गया और उसके क्या कारण थे;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रशन ही नहीं उठता ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में पाकिस्तान से आये शरणार्थी

1746. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री श्याम सुन्दर गुप्त } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1978 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू शेरगढ़ से राजस्थान में घुस आये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये कोई व्यवस्था की है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि मई में 10 हिन्दू परिवार जिन में 65 सदस्य थे, पाकिस्तान से भारत के राजस्थान क्षेत्र में आ गये हैं ।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह इन लोगों की पाकिस्तान वापसी का प्रबन्ध करे। पाकिस्तान सरकार ने इन 65 व्यक्तियों के व्यक्तिक विवरण मांगें हैं। ये विवरण भेज दिये गये हैं। चूंकि इन लोगों को पाकिस्तान वापस बुलाने के लिये पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया गया है, इसलिये उनके पुनर्वास के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किये गये हैं।

भारतीय प्रवासी श्रमिकों के बारें में डा० एस० जियाउद्दीन बुखारी की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मण्डल के निष्कर्ष

1747. **श्री सरत कार :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देश सरकार द्वारा उनके देश में नियोजकों और वहां भारतीय उत्प्रवासी श्रमिकों पर लगाये गये प्रतिबन्धों पर नाराज हैं;

(ख) क्या आल इण्डिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष श्री एस० जियाउद्दीन ने, जिसने सरकार द्वारा प्रायोजित बहराईन, दोहा, संयुक्त अरब, अमीरात, ओमन और कुवैत को जाने वाले पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल की अध्यक्षता की थी, यह कहा है कि अरब देशों ने भी भारत सरकार के अपने भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने के परामर्श पर अपनी नाराजगी प्रकट की है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अन्य तथ्य क्या हैं जिनको सरकार के ध्यान में लाया गया है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) खाड़ी के देशों में भारतीय कामगरों का उत्प्रवासन बढ़ाने के साथ इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि भारत में कुछ बेईमान भर्ती एजेन्ट कभी-कभी इन देशों के राष्ट्रिकों के साथ मिल कर भारतीय कामगरों का शोषण करते हैं। इस प्रकार की शिकायतों को दूर करने और इन देशों को भारतीय मनुष्यशक्ति के बढ़ते हुए प्रवाह को नियमित करने और सुचारू बनाने के लिये भारत सरकार ने बहुत से कदम उठाये हैं जिनमें भर्ती एजेन्टों का पंजीकरण भी शामिल है जो विदेशी नियोक्ताओं से अधिकार प्राप्त कर, उनकी ओर से भारतीय कामगरों की भर्ती करते हैं, श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संविदायें लेते हैं, 1922 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित प्रादेशात्मक उत्प्रवासन औपचारिकतायें पूरी करते हैं। अनुमोदित संविदा में वेतन भी बताया जाता है जो सम्बद्ध देश के प्रचलित वेतन और अन्य संगत तत्वों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई न्यूनतम राशि से कम नहीं होता ।

प्रारम्भ में, जब ये विनियम पहले पहल लागू किये गये तो कुछ विदेशी नियोक्ताओं ने इन पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की क्योंकि एक तो वे इस प्रक्रिया से परिचित नहीं थे दूसरा औपचारिकतायें पूरा करने में कुछ समय लगता था लेकिन मोटे तौर पर अधिकांश वास्तविक विदेशी नियोक्ताओं ने नये विनियमों की उपयोगिता को समझ लिया है जिनसे न सिर्फ कामगरों के हितों की रक्षा होती है बल्कि उन्हें योग्य और सक्षम कामगर भी मिलते हैं।

(ख) और (ग) श्री बुखारी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमण्डल गया था वह सरकार की ओर से प्रायोजित नहीं था हालांकि सम्बद्ध देशों में स्थित हमारे मिशनों ने इस प्रतिनिधि-मण्डल को पूरी सहायता और सहयोग प्रदान किया था जैसा कि सामान्यतः किया जाता है। सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस प्रतिनिधिमण्डल ने दूसरे पक्षों को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त यह प्रश्न भी उठाया था कि भारतीय कामगरों के लिये एक न्यूनतम वेतन स्थिर किया जाये। भारत सरकार यह महसूस करती है कि भारतीय कामगरों के हितों की रक्षा के लिये संविदा में वर्तमान प्रचलित वेतन और दूसरे तत्वों पर आधारित एक न्यूनतम वेतन का शामिल

किया जाना संविदा का एक अनिवार्य अंग होना चाहिये। इस प्रतिनिधिमण्डल ने मिशन के लिये अपेक्षाकृत बड़े आहाते के सम्बन्ध में तथा अमला बढ़ाने, भर्ती और उत्प्रवास सम्बन्धी औपचारिकताओं को सरल बनाने आदि के बारे में जो अन्य सिफारिशें की थीं वे सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

राजनयिक पार-पत्र जारी करने के लिए नियमों का पुनरीक्षण

1748. **श्री सरत कार :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर सरकारी कर्मचारियों को राजनयिक पार:पत्र जारी करने और संसद सदस्यों को राजनयिक दर्जा दिये जाने सम्बन्धी नियमों का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुंडू : (क) और (ख) अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों को राजनयिक पासपोर्ट प्रदान करने के इस सामान्य प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। बहरहाल, वर्तमान नियमों में पहले से ही इस बात की व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति को विदेश में उसके काम के स्वरूप के कारण अथवा उसके वर्तमान या अतीत की स्थिति के कारण उसे राजनयिक पासपोर्ट मिलना चाहिये तो उसे राजनयिक पासपोर्ट दिया जाये।

आन्ध्र प्रदेश में सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सुविधा वाले शहर

1750. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कितने शहर हैं जहां सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा है; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में ऐसे शहर कितने हैं जहां सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा नहीं है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में एक लाख या इससे अधिक की आबादी वाले 13 शहर हैं। इनमें से 6 शहरों में सीधी डायलिंग सुविधा उपलब्ध हैं और 7 शहरों में अभी तक सीधी डायलिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 1977-78 के दौरान बेराइटिस का खनन

1751. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेराइटिस का खनन किन-किन राज्यों में होता है;

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान देश में कितनी मात्रा में बेराइटिस का खनन किया गया; और

(ग) क्या इस समय बेराइटिस का सरकारी माध्यम से निर्यात की व्यवस्था है?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) बैराइट्स का खनन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में किया जाता है।

(ख) बैराइटस का उत्पादन 1977 में 3,24,000 टन तथा जनवरी से मई, 1978 के दौरान 1,23,000 टन हुआ।

(ग) जी नहीं। 31-3-1978 को पट्टाधारी खान मालिकों को बैराइट्स की उतनी ही मात्रा के निर्यात की अनुमति है जितना कि उनका निजी उत्पादन है। बैराइट्स का निर्यात निम्नतम मूल्य के आधार पर किया जाता है। बैराइटज का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा भी किया जाता है।

FACILITIES TO BIDI WORKERS

1752. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the steps taken by the Central Government to provide welfare facilities on priority basis for the bidi workers in various States;

(b) the States where houses, hospitals or other facilities have been provided; and

(c) the name of the State having the highest number of bidi workers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI) : (a) Schemes for the welfare of bidi workers which have already been formulated relate to :

(i) setting up of dispensaries/mobile medical units;

(ii) reservation of beds in T. B. Hospitals;

(iii) granting subsidy on construction of houses;

(iv) sanctioning scholarships to the children of workers;

(v) providing recreation through Audio Visual/Cinema Units etc.

Action to implement these schemes has already been initiated in several places.

(b) Following medical units have been sanctioned so far for the welfare of bidi workers and their dependants :

(i) One 10 bedded hospital in Karnataka.

(ii) A mobile dispensary each in the States of Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, West Bengal, Maharashtra and Gujarat and two such dispensaries in Madhya Pradesh.

Applications for grant of subsidy in housing and for providing scholarships to children have also been invited in several places.

(c) According to the information available, Madhya Pradesh is having the maximum concentration of bidi workers.

फासिस्टों का पंजीकरण

1753. **श्री अनन्त दवे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपने-अपने राज्यों में एक निश्चित समय में फार्मासिस्टों का पंजीकरण खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है;

(ख) प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित ऐसे पंजीकरण को खोलने और बन्द करने की तारीखें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे पंजीकरण के लिए गुजरात सरकार ने नौ महीने की अवधि की अनुमति दी थी, जबकि अन्य राज्यों में पंजीकरण अब भी खुला हुआ है,

(घ) ऐसी असंगति का क्या कारण है; और

(ङ) क्या बाकी फार्मासिस्टों को उस राज्य में पंजीकरण के लिये गुजरात सरकार को एक और अवसर देने के लिये अनुमति देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) वास्तविक स्थिति यह है कि फार्मासिस्टों के पंजीकरण से संबंधित फार्मेसी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करना राज्य सरकार का काम है। फार्मासिस्टों का पंजीकरण धारा 31, 32(1) और 32(2) के अन्तर्गत इसी क्रम में और फार्मेसी अधिनियम, 1948 में संशोधन करके जोड़ी गई धारा 32 क और 32ख के अन्तर्गत किया जाता है। ये उप-बन्ध सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। तथापि, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई पंजीकरण की तारीखें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। फार्मासिस्टों का जीकरण खोलने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कहने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई शक्तियां नहीं हैं।

(ङ) सम्भवतया यह सन्दर्भ दवाइयां तैयार करने का अनुभव रखने वाले उन उन्हीं फार्मासिस्टों के सम्बन्ध में है, जो उक्त अधिनियम की धारा 31 या धारा 32 क के अन्तर्गत पंजीकरण के पात्र थे। चूंकि गुजरात में निर्धारित शैक्षणिक विनियम पहले से ही लागू है। इसलिये, इन वर्गों के लिए पंजीकरण खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

काश्मीर

1754. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 18 जून, 1978 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'काश्मीर सोल्यूशन की टू लास्टिंग फ्रेन्डशिप-जिया' शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या इस वक्तव्य से उस बातचीत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो सम्बन्धों को सुधारने के लिये दोनों देशों के बीच चल रही थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ चीनी नेताओं ने भी यह कहा है कि वे काश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं; और

(ङ) क्या इस मामले पर कुछ अन्य देश भी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) जी हां।

(ख) यह कोई पहला मौका नहीं है जब कि पाकिस्तानी नेताओं ने काश्मीर के संबंध में वक्तव्य दिये हैं। इस विषय में सरकार की स्थिति सुविदित है। समूचा जम्मू और कश्मीर संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से भारत का अभिन्न अंग है।

(ग) जब से जनता सरकार ने कार्यभार सम्भाला है तभी से सरकार की विदेश नीति का जोर इस बात पर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता के सम्बंध विकसित किये जायें। सरकार इस नीति का अनुसरण निरंतर करती रहेगी।

(घ) जी हां।

(ङ) अतीत में कुछेक विदेशी सरकारों ने काश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। इन सरकारों को इस सम्बन्ध में भारत सरकार की स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

टेलीफोन तथा दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिये विभागीय मकान

1755. श्री अहमद हुसैन : : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन और दूरसंचार विभाग के विस्तार की योजना बनाते समय टेलीफोन और दूरसंचार सर्किलों द्वारा मकानों के निर्माण और विभागीय आवास की योजना बनाई जा रही है और क्या कर्मचारियों को आबंटन के लिये विभाग द्वारा वस्तुत: मकान निर्मित किये गये हैं और अर्जित किये गये हैं;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान, सर्किलवार और वर्षवार, कितने स्टाफ क्वाटर निर्मित किये जायेंगे और वर्ष 1976, 1977 और 1978 में वस्तुत: कितने क्वार्टर अर्जित किये गए। निर्मित किये गये और ऐसे जिले/सर्किल का नाम क्या है और किस वर्ष में ऐसे क्वार्टरों के निर्माण के लिए आबंटित की गई धनराशि व्यपगत हो गई है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन निर्मित क्वार्टरों के आबंटन के अधिकार सर्किल/जिला के अध्यक्षों को न सौंपने के क्या कारण हैं और संचार मंत्रालय तथा डाक तार विभाग के महानिदेशालय द्वारा ऐसे मामलों को निपटाने के क्या कारण हैं जबकि व केवल उन्हीं क्वार्टरों को आबंटित करने के हकदार हैं जो निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा टेलीफोन (पी० एण्ड टी०) पूल के अन्तर्गत रखे जाते हैं; और

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त दिल्ली टेलीफोन के बारे में सभी आधारों के विशेष उदाहरण तथा आंकड़े क्या हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

DECLINE IN IRON ORE EXTRACTION DUE TO DECLINE IN EXPORT

1756. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the names of the places where iron ore extractions have fallen due to decline in its export and the position in this regard at present; and

(b) the scheme of Government to encourage export thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) The production of iron ore for exports has fallen mainly in the following areas by the quantities shown against each, during the period January—May, 1978:—

	(in lakh tonnes)
Goa	23.54
Bailadila (M.P.)	2.28
Bellary (Karnataka)	0.76
Keonjhar (Orissa)	1.03

(b) notwithstanding the continued recession at present in the world steel industry, the Minerals and Metals Trading Corporation Limited has been making all-round efforts to boost the export of iron ore lumps/fines to countries other than the traditional importers of iron ore from India.

श्रमिक अशान्ति

1757. **श्री सी० के० जाफ्फर शरीफ :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में श्रमिक अशांति के लिये जिम्मेदार मुख्य कारण क्या हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : देश में श्रमिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई असाधारण बात नहीं है। सामान्यतः कई वर्षों से, मजदूरी और भत्ते, बोनस तथा सेवायें समाप्ति के मसले अधिकांश विवादों के कारण रहे हैं।

जन दिवसों की हानि

1758. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 1978 तक हड़तालों और तालाबन्दी के कारण नष्ट हुए जन दिवसों की संख्या 25 लाख थी;

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों और कम्पनियों का ब्यौरा क्या हैं जिनमें हड़तालें और तालाबन्दी हुई थी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) श्रम ब्यूरो में 17 जून, 1978 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 1978 के प्रथम तीन महीनों के दौरान औद्योगिक एककों में हड़तालों और ताला बन्दी के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या 31.6 लाख थी।

(ख) ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नामों को दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है, जिनमें हड़तालों/तालाबन्दियों के कारण नष्ट हुआ व्यय 10,000 या उससे अधिक श्रम दिन था।

विवरण

(जनवरी, से मार्च 1978 (अ) के महीनों के दौरान औद्योगिक विवादों से प्रभावित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण)।

1. आरा—सासाराम
   फतवा इस्लामपुर लि०
   रेलवे डाकघर–आरा (भोजपुर)।

2. रोरो आस्बेस्टोस माईन्स आफ
मैसर्स हैदराबाद आस्वेस्टोस सीमेंट
प्राडक्टस लिमिटेड, चौबासा, जिला सिंधभूम।

3. गोरे/मैंगनीसाइट प्राजेक्ट आफ
मैसर्स बी० सी० सी० लि०, दालबोंनगंज।

4. खेत्री दरीबा चान्दमारी एण्ड कोली राम
माईन्स आफ हिन्दुस्तान काप्पर लि०, खत्रीनगर।

5. राजस्थान ए० पी० पी०, कोटा।

6. 77 कोलियरीज
पश्चिम बंगाल में ।

7. (i) पाले सिरिगांव आयरन
ओर माईन्स आफ
मैसर्स चौगुले एण्ड कं०

(ii) कोस्टी, मेना,
शेलवोना, गवानोम एण्ड
संकोरर्डा माईन्स आफ
मैसर्स चौगुले एण्ड कं० लिमिटेड,
मामुगोवा हारबोर ।

8. इन्फील्ड इंडिया लिमिटेड, मद्रास ।

9. नेशनल कार्बन कं० लिमिटेड, मद्रास ।

10. बी० एच० ई० एल० एल०, तिरुची

11. धनालक्ष्मी मिल्स, तिरपुर।

12. अम्बुर कोआपरेटिव मिल्स, अम्बुर ।

13. कामधेनु, टैक्सटाईल, डिंगाल।

14. मैत्तूर बियडसैल,
मेत्तूर डाम।

15. दकन सूगर एण्ड कैमिकल्स लि० पुगाहुर।

16. सालेम कोआपरेटिव सूगर मिल्स, मोहनूर।

17. कारुर मिल्स लिमिटेड, कारुर।

18. जारदीन हैण्डरसन लिमिटेड, एण्ड
जारदिन विक्टर लि०,
धनबाद।

19. टाटा इंजिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव
कं० लिमिटेड, जमशेदपुर, सिंधभूम।

20. बिहार में विभिन्न नगरपालिकाएं
और स्थानीय निकाय ।

21. मैसर्स चौगुले एण्ड कं० लि०,
शिपबिल्डिंग डिव०,
सिरगांव गोवा,

22. एंग्लो फ्रेंच टैक्सटाइल लि०,
मदालियरपेट।

23. दि मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड,
हरिपुर ।

24. केरल स्पिनिंग लि०, आल्लेप्पेय ।

25. कलियार एस्टेट, थोदपुजा ।

26. चाम्मी एस्टेट, पालाप्पीली ।

27. कोडुमोन एण्ड चानाप्पली रबर
एस्टेट आफ प्लाण्टेशन
कारपोरेशन आफ केरल।

28. मुप्पलीलकुण्डेई
एस्टेट, त्रिचूर ।

29. कल्याणमल मिल्स,
इन्दौर ।

30. मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स,
कानपुर ।

31. त्रिवेणी इंजीनियरग वर्कर्स, नैनी,
इलाहाबाद।

32. फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
दुर्गापुर-12

33. केसोरण काटन मिल्स,
कलकत्ता ।

34. ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स,
प्रगचा, 24-परगना ।

35. जयश्री टैक्सटाइल एण्ड
इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
मिदनापुर ।

36. नाकरपारा जूट मिल्स,
आवड़ा ।

37. किन्नसन जूट मिल्स,
37. तिल्लागढ़, 24-परगना ।

38. नैहाटी जूट मिल, नैहाटी-
24-परगना ।

39. प्रेम चन्द जूट मिल्स,
हावड़ा ।

40. नेशनल आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, बेलूर, हावड़ा ।

41. कलकत्ता जूट मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०,
कलकत्ता-54।

42. गया गंगा टी एस्टेट,
कमला बागान, दार्जिलिंग ।

43. ब्रुक बाण्ड इंडिया लि०,
3 हाइड रोड, कलकत्ता ।

44. कोली आयरन एण्ड स्टील कं०
कांकीनारा, 24 परगना ।

45. मलाय बीड़ी फैक्टरी एण्ड 10 अन्य
प्रतिष्ठान, पुरुलिया ।

46. ओरेण्ट स्टील एण्ड इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०,
6, जी० टी० रोड, बिल्लौहा, हावड़ा ।

47. उषा आटोमोबाइल इंजी० लि०,
2-रामगोपाल, घोष रोड, कलकत्ता-2

48. ग्राफाइट इंडिया लि०, दुर्गापुर, बुर्दवान ।

49. केदार रबड़ मैन्युफैक्चरिंग कं०,
92-कलकत्ता-54।

50. विशाल (प्रा०), लि०, औद्योगिक एरिया,
एस्टेट ओखला, नई दिल्ली ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर बचत खाते वाले व्यक्तियों को परिचय पत्र जारी करना

1759. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर बचत खाते वाले व्यक्तियों को परिचय पत्र जारी करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) इस प्रस्ताव को कार्य रूप कब तक दे दिया जायेगा; और

(घ) उसे शीघ्र कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव दिसम्बर, 1977 से विचाराधीन है।

(ग) और (घ) : प्लास्टिक कार्ड सहित पहचान कार्ड सप्लाई करने के लिए टेंडर प्राप्त कर लिये गये हैं और उन पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। सफल टेंडर दाता को आर्डर देने के बाद एक महीने के बीच सप्लाई का काम पूरा करना होगा।

MENTAL HOSPITALS

1760. SHRI RAJKESHAR SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number and details of mental hospitals in the country, State-wise;

(b) whether it is proposed to set up such hospitals in the States where there is no such hospital at present; and

(c) if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The number and details of Mental Hospitals (State-wise) in the country are given in the list attached. (Annexure).

(b) No. There is no such proposal with the Central Government.

(c) Does not arise.

STATEMENT

Mental Hospitals in India

	Sanctioned beds
ANDHRA PRADESH	
1. Govt. Mental Hospital, Waltair	300
2. Hospital for Mental Diseases, Hyderabad	600
ASSAM	
3. Mental Hosipital, Tezpur	957
BIHAR	
4. Central Institute of Psychiatry, Ranchi	593
5. Ranchi Mansik Arogyashala, Ranchi	1,680
GUJARAT	
6. Mental Hospital, Ahmedabad	317
7. Mental Hospital, Baroda	155
8. Mental Hospital, Bhuj	16
9. Mental Hospial, Jamnagar	50
JAMMU AND KASHMIR	
10. Mental Hospital, Srinagar	100
11. Mental Hospital, Jammu	75
KERALA	
12. Hospital for Mentel Diseases Trivandrum	501
13. Govt Mentel Hospital, calicut	474
14. Govt Mental Hospital Trichur	267
MADHYA PRADESH	
15. Govt. Mental Hospital, Indore	125
16. Mental Hospital, Gwalior	165
MAHARASHTRA	
17. Mental Hospital, Ratnagiri	365
18. N.M. Mental Hospital Thana	1850
19. Mental Hospital, Nagpur	760
20. Central Mental Hospital, Poona	2,600
21. Kripamayee Mental Hospital, Miraj	100
TAMIL NADU	
22. Govt. Mental Hospital, Madras	1,800

MYSORE	
23. Mental Hospital, Dharwar .	375
24. Mental Hospital, Bangalore	885
ORISSA	
25. S.C.B. Medical College & Hospital. Cuttack	60
PUNJAB	
26. Mental Hospital, Amritsar	751
RAJASTHAN	
27. Mental Hospital, Jodhpur .	85
28. Mental Hospital, Jaipur .	180
UTTAR PRADESH	
29. Mental Hospital, Varanasi	331
30. Mental Hospital, Bareilly	408
31. Mental Hospital, Agra	718
WEST BENGAL	
32. Mental Observation Ward, Calcutta . .	30
33. Mental Hospital, Mankundu, Hooghly . .	150
34. Bangiya Unmad Asram, Duttanagar, Calcutta .	100
35. Mumbini Park Mengal Hospital, Calcutta . .	200
DELHI	
36. Mental Hospital Central Jail, Tihar, New Delhi	24
37. Hospital for Mental Diseases, Shahdara, Delhi	578
GOA, DAMAN AND DIU	
38. Mental Hospital, Panaji, Goa	350

1761. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the value of coal imported from abroad for steel plants after Janata Government came in power and whether tenders were invited therefor and if so, the names of the countires when offered tenders and the ration of their tenders as also the names of the countries whose tenders were accepted; and

(b) whether consent of the Dpartment of Energy was taken before importing coal from abroad and who were the Technical Advisors and what advice was given by them and the reasons for importing coal against the advice ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA). (a) There have been no imports of coking coal since the Janata Government took over.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय जनकपुरी, दिल्ली

1762. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय संख्या 61 जनकपुरी में प्रतिदिन 500–600 रोगी जाते रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन महीनों में प्रतिदिन औसतन कितने रोगी वहां गए;

(ग) क्या इस औषधालय से सम्बद्ध पांच डाक्टरों में से दो आपात ड्यूटी पर रखे जाते हैं और यदि कोई डाक्टर छुट्टी पर न हो, तो दिन में रोगियों को देखने के लिए केवल तीन डाक्टर ही रहते हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि नियमित ड्यूटी पर रहने वाले डाक्टरों में से एक डाक्टर को प्रशासनात्मक तथा पर्यवेक्षणात्मक कार्य भी देखने होते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या शेष दो अथवा ढाई डाक्टरों को इतने अधिक रोगियों को देखने के लिए पर्याप्त समझा जाता है और एक डाक्टर से प्रतिदिन कम से कम तथा अधिक से अधिक कितने रोगी देखने की आशा की जाती है; और

(च) उन रोगियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है जिनका औषधि प्राप्त करने से पूर्व लगभग दो घन्टे का समय लग जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) पिछल तीन महीनों के दौरान जनकपुरी औषधालय में प्रतिदिन आने वाले रोगियों की औसतन संख्या इस प्रकार है :—

अप्रैल	461
मई	445
जून	414

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रशासनिक और सुपरवाइजरी कार्य भी करने होते हैं।

(ङ) और (च) एक चिकित्सा अधिकारी को कम से कम अथवा अधिक से अधिक कितने रोगी देखने होते हैं इस बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हर चिकित्सा अधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह प्रतिदिन औसतन 120 रोगी देखेगा। इस औषधालय में बढ़े हुए कार्यभार को देखने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती करने का प्रश्न विचाराधीन है।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के कार्यालय की समाप्ति

1763. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो नये अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक की जायेगी; और

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष की नियुक्ति करने में अपनाये गये मानदंड और प्रक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में उच्च स्तर की नियुक्तियां (अर्थात् अंशकालिक/पूर्णकालिक अध्यक्ष, अध्यक्ष-एवम्-प्रबन्ध निदेशक) सरकारी उद्यम चयन बोर्ड की

सिफारिशों के आधार पर की जाती है। बोर्ड इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए उपलब्ध उच्च प्रबन्ध अधिकारियों की सापेक्ष योग्यता का मूल्यांकन करने के पश्चात् उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करता है।

जम्मू और श्रीनगर टेलीफोन एक्सचेंजों में मुसलमान कर्मचारी

1764. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर और जम्मू टेलीफोन एक्सचेंजों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें मुसलमान कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) 322।

(ख) 67।

'थम्स अप' पेय

1765. **श्री के० लकप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'थम्स अप' में निषिद्ध रंगों और हानिकारक रसायनों के उपयोग के कारण उसे निषिद्ध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) फिलहाल 'थम्स अप' पर प्रतिबन्ध लगाने के किसी प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार नहीं कर रही है। केन्द्रीय खाद्य दल द्वारा लिए गए एक नमूने के विश्लेषण से पता चला है कि इसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ख' की धारा क-01.01 में निर्दिष्ट मीठे कार्बोनेटिड जल के मानकों के अनुरूप हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में स्पंज आयरन संयंत्र

1766. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स टाइस्टील रिसर्च फाउन्डेशन, कलकत्ता तथा इंडस्ट्रियल प्रोमोशन आफ इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उड़ीसा (उड़ीसा सरकार का एक उपक्रम) द्वारा 1,50,000 टन की वार्षिक क्षमता वाका एक स्पंज आयरन संयंत्र संयुक्त क्षेत्र में लगाया जा रहा है :

(ख) क्या इस परियोजना के लिए नियुक्त परामर्शदाता मेकोन की सिफारिश पर मैसर्स एलिस-चामर्स कारपोरेशन आफ अमरीका के साथ प्रौद्योगिकी और संयंत्र के उपकरणों के आयात के लिए दिसम्बर, 1977 में एक करार किया गया था ;-

(ग) क्या इस करार पर हस्ताक्षर नेपाल के काठमाडूं नगर में किए गए थे, न कि भारत के किसी स्थान पर; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर सकारात्मक हों, तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि (एक) एलिस-चामर्स कारपोरेशन के साथ करार पर भारत के किसी स्थान पर हस्ताक्षर न करके काठमांडू में हस्ताक्षर क्यों किये गये और (दो) आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम परियोजना के परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना एलिसचामर्स की अस्वीकृत प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति क्यों दी गई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ख) मेसर्स इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिडेड (इपिकल) का जो राज्य सरकार का उपक्रम है, मैसर्स टार-स्टील रिसर्च फाउन्डेशन और अन्य कम्पनियों के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में स्पंज लोहे का एक कारखाना लगाने का विचार है । प्रथम चरण में कारखाने की वार्षिक क्षमता 1.5 लाख टन होने की संभावना है जिसे बाद में 3 लाख टन वार्षिक तक बढ़ाया जा सकेगा ।

इपिकल ने अमरीका के मैसर्स एलिस-चामर्स के साथ कोई करार नहीं किया है । संभवत : अभिप्राय मैसर्स टार-स्टील रिसर्च फाउन्डेशन और मैसर्स एलिस-चामर्स के बीच हुए समझौते से है जिस पर दिसम्बर, 1977 में हस्ताक्षर किए गए थे । संभवत : यह समझौता संयुक्त क्षेत्र की नई कम्पनी और सहयोगकर्त्ता के बीच में प्रौद्योगिकी तथा संयंत्र और उस्करों के व्यौरों के सम्बन्ध में प्रस्तावित सहयोग के बारे में बाद में किए जाने वाले करार की मुख्य-मुख्य बातों को स्पष्ट करने के लिए किय गया है । पता चला है कि भारत में सेवाएं प्रदान करने से सम्बन्धित समझौते पर कलकत्ता में हस्ताक्षर हुए है जबकि भारत से बाहर सेवाएं प्रदान करने से सम्बन्धित समझौते पर नेपाल में काठमांडू में हस्ताक्षर हुए हैं।

सरकार को विदेशी सहयोग के बारे मैसर्स इपिकल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । मैसर्स इपिकल से कहा गया है कि वे कम से कम प्रौद्योगिक संयंत्र के स्तर पर अपनी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए सहयोगियों द्वारा परीक्षित प्रस्तावित संयंत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले लोह खनिज तथा कोयले के नमूने भेजें ताकि यदि परीक्षण सफल हो जाते हैं तो इससे उनकी प्रौद्योगिक प्रक्रिया की उपयुक्तता सिद्ध हो जायेगी और इन परिणामों के आधार पर सहयोगी से सन्तोषजनक निष्पादन-गारंटी प्राप्त की जा सकती है । मैसर्स इपिकल द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है । तत्पश्चात सरकार मैसर्स इपिकल के अमरीका के मसैर्स एलिस-चामर्स के साथ विदेशी सहयोग के प्रस्ताव पर निर्णय लेगी ।

बंगला देश में भारत विरोधी भावना

1767. **श्री मृत्युंजय प्रसाद**
श्री सरत कार
श्री समर गुहा } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 29 जून, 1978 के स्टेटसमैन में 'एन्टी इण्डियन फीलिंग्स इन बांगला देश' शीर्षक समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भारत तथा बंगला देश के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार को इस बात पर गहरी चिन्ता है कि बंगला देश के साथ संबंध सुधारने के हमारे प्रयत्नों और इस तथ्य के बावजूद कि हम बंगला देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं फिर भी उस देश में हाल के राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान भारत विरोधी वक्तव्य दिए गये और भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया गया । बंगला देश के हाई कमिश्नर से कहा गया है कि इस प्रकार की घटनाओं के बारे में भारत सरकार की गंभीर चिन्ता से वे अपनी सरकार को अवगत करा दें ।

राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के समय में भारत विरोधी प्रचार की कटुता और मात्रा में कमी हुई है । हम विश्वास करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनायें नहीं होंगी । अपनी ओर से भारत सरकार बंगला देश के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण कर रही है जैसा कि फरक्का में गंगाजल के बंटवारे में सहमत होने के हमारे हाल के निर्णय से पता चलता है । सरकार बंगला देश के साथ व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने का भी प्रयत्न कर रही है और आशा करती है कि बंगला देश की ओर से इन प्रयत्नों की पर्याप्त अनुक्रिया होगी ।

वृद्ध तथा असमर्थ व्यक्तियों का पीड़ा रहित ढंग से जीवन समाप्त करना

1768. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व यह सुझाव दिया गया था कि संतान निरोध पर बल देने की बजाय, जिससे अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जन्म रुक सकता है, ऐसे उपयों पर विचार किया जा सकता है जिनसे ऐसे वृद्ध और असमर्थ व्यक्तियों को, उनके भारस्वरूप जीवन से मुक्त किया जा सके परन्तु उनको मरते समय कोई कष्ट न हो; और

(ख) क्या सरकार का इस सुझाव को कार्यरूप में परिणत करने की वांछनीयता और तत्सम्बन्धी तरीकों पर विचार करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जनसंख्या कार्यक्रम के लिए, जिसका लक्ष्य जन्म दर को घटाना और लोगों के जनन-क्षमता रवैये में परिवर्तन लाना, है, यह सुझाव संगत नहीं समझा गया है । भारत सरकार की परिवार कल्याण नीति में मृत्यु दर में बनावटी वृद्धि लाने की व्यवस्था नहीं है । इसके विपरीत, सभी स्वास्थ्य और पोषाहार योजनाओं के जरिये मृत्यु-दर में भी कमी लाने का प्रयास किया गया है । इन अमानवीय प्रकार की योजनाओं पर विचार करने को सरकार वांछनीय नहीं समझती है ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये ।***

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, आपने सूचना नहीं दी। इसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा ।

श्री राम विलास पासवान :***

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :***

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड न किया जाये ।

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं वक्तव्य नहीं दे रहा । हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं के बीच संघर्ष हुआ था । अधिकारियों ने इस बात से इन्कार किया है ।

श्री सौगत राय (बेकरपुर) : मैंने 18 जुलाई, को नियम 377 के अधीन पुनर्वास मंत्री की इस घोषणा का मामला उठाना चाहा था कि पुनर्वास मंत्रालय समाप्त किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है ।

श्री सौगत राय : नौ दिन व्यतीत हो गये हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस निर्णय का विरोध किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने स्थिति जानने के लिए अनुमित मांगी थी, न कि वक्तव्य देने की ।

श्री एस० ननजेहा गोडा (हसन) :*****

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड न किया जाये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मेरा कुछ निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे माननीय सदस्य भी आपका अनुकरण करेंगे ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं कल की घटनाओं के बारे में व्यवस्था का प्रश्न तो उठा सकता हूं। वैसे व्यवस्था का प्रश्न उठाना मेरा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : नियम के अनुसार व्यवस्था का प्रश्न तभी उठाया जा सकता है जब सभा में उस विषय पर चर्चा हो रही हो । यह बात नियमों में सुस्पष्ट है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मान लीजिये मैं उस दिन उपस्थित नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय : तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा नहीं सकते ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह नियम विरुद्ध है । मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनकी शिकायत मंत्री महोदय के वक्तव्य के विरुद्ध है।

***अध्यक्षपीठ के आदेश अनुसार कार्यवाही को वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
***Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, बयानों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, बचनों तथा की 'कई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्मलिखित विवरण :

(एक) विवचण संख्यय 22 — बारहवां सत्र, 1974—पाचवीं लोक सभा

(दो)	विवरण संख्या 10 —	सत्रहवां सत्र 1976	—
(तीन)	विवरण संख्या 7 —	पहला सत्र, 1977	—
(चार)	विवरण संख्या 10 —	दूसरा सत्र, 1977	छठी लोक सभा
(पांच)	विवरण संख्या 6 —	तीसरा सत्र, 1977	—
(छः)	विवरण संख्या 3 —	चौथा सत्र, 1978	—
(सात)	विवरण संख्या 4 —	चौथा सत्र, 1978	—
(आठ)	विवरण संख्या 5 —	चौथा सत्र, 1978	—

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2462/78]

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : मैं निलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या सा० सं० नि० 804 में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2463/78]**

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2464/78]

औषध तथा प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

औषध तथा प्रसाधन अधिनिमय, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 820 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 जून, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में कतियप संशोधन किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2465/78]

सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत पी० वी० सी० रेसिन को भारत में आयात करते समय मूल सीमा शुल्क में छूट की अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं निम्निलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 145/78-कस्टम्स (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है तथा पी० वी० सी० रेसिन को भारत में आयात करते समय मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2465/78]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने 25 जुलाई, 1978 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिसके द्वारा विश्वभारती (संशोधन) विधेयक, 1978 को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा गया है जिसमें 33 सदस्य होंगे, राज्य सभा से 11 सदस्य, अर्थात् :—

(1) डा० वी० पी० दत्त

(2) प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय

(3) श्री बिशम्भर नाथ पाण्डे

(4) श्रीमती कनक मुखर्जी

(5) श्री प्रणव मुखर्जी

(6) डा० मालकोम सेठियानाथन आदिशेषिया

(7) श्री अमरप्रसाद चक्रबर्ती

(8) डा० सरूप सिंह

(9) श्री भाई महावीर

(10) श्री घनश्यामभाई ओझा

(11) श्री लक्ष्मण महापात्र

और लोक सभा से 22 सदस्य होंगे और सिफारिश की कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उक्त संयुक्त समिति ने लोक सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 425 के दिये गये उत्तर के बारे में सदस्य का वक्तव्य और भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिये एक विशेष न्यायालय की स्थापना के बारे में इस्पात और खान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER *RE.* ANSWER GIVEN TO U.S.Q: No. 425 BY THE MINISTER OF STATE FOR HOME AFFAIRS AND STATEMENT MADE BY MINISTER OF STEEL AND MINES REGARDING SETTING UP OF A SPECIAL COURT FOR TRIAL OF FORMER PRIME MINISTER

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय के प्रश्न पर इस्पात और खान मंत्री के वक्तव्य की कुछ त्रुटियों की ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

बुधवार, 19 जुलाई को मैंने अतारांकित प्रश्न संख्या 425 में यह पूछा था कि क्या सरकार उन एक या अधिक लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई विशेष न्यायालय स्थापित करने और उसके कार्यकरण के बारे में कोई विधान शीघ्र लाना चाहती है, जिनके 19 महीने की आपात स्थिति के दौरान आचरण और कार्यों की जांच एक विशेष रूप से गठित आयोग द्वारा की गई थी। इसके उत्तर में गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री एस० डी० पाटिल ने कहा सरकर को कुछ विशेष प्रस्ताव विधान के बारे में मिले हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय के गठन के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। ऐसे न्यायालयों की वैधता के बारे में सरकार संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय से बात कर रही है।

उसी दिन दोपहर बाद इस्पात और खान मन्त्री श्री बीजू पटनायक के विशेष न्यायालय के विचारणीय विषय भी बताये और मन्त्रालय ने पहले एक बयान में और कुछ घंटों बाद फिर एक बयान में भ्रांति और अनिश्चितता पैदा कर दी। गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने सभा को बताया कि यह प्रश्न विचाराधीन है जबकि श्री बीजू पटनायक ने कहा कि हमने विशेष न्यायालय गठित करने का निर्णय किया है।

मैं विशेष न्यायालय के औचित्य या अनौचित्य पर नहीं बोल रहा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि सभा को एक ही विषय पर दो अलग-अलग बातें क्यों बतायी गई। यह आपत्तिजनक एवं भ्रान्तिजनक है।

आपत्तिजनक यह भी है कि मन्त्रिमण्डल का एक मन्त्री सरकार के निर्णय की घोषणा करे जबकि गृह मन्त्री या प्रधान मन्त्री को इस बारे में सभा को बताना चाहिये था।

श्री वयालार रवि (चिरपिकील) : जैसे ही मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। श्री उन्नी कृष्णन ने गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उस पर आप ने निर्णय दिया था कि उसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वक्तव्य लिखित रूप में दिया गया था। इसीलिये मैंने और श्री उन्नी कृष्णन ने श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध विशेषाधिकार के भंग होने के प्रश्न की सूचना दी। इस्पात और खान मंत्री ने कहा था कि "10 दिन पूर्व मंत्रिमंडल ने विशेष न्यायालय का निर्णय लिया था।" मेरा अनुरोध है कि निदेश 115 के अधीन चर्चा न करके विशेषाधिकार का प्रश्न स्वीकार किया जाये।

श्री वसन्त साठे : (अकोला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

यदि विशेषाधिकार की सूचना पहले दी गई है और वह अध्यक्ष के समक्ष है तो उसे निदेश 115 के अधीन वक्तव्य से पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिए । यदि अध्यक्ष पूर्ववर्तिता में परिवर्तन करते हैं तो जिन्होंने विशेषाधिकार की सूचना दी है, उनके अधिकार का प्रश्न उठेगा ।

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि विशेष न्यायालय के प्रश्न पर सरकार उच्चतम न्यायालय से राय ले रही है । न्यायालय से राय प्राप्त होने पर ही कोई निर्णय लिया जायेगा ।

श्री श्याम नन्दग मिश्र (बेगूसराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। स्विस बैंक से 1 करोड़ 10 लाख डालरों का विदेश मंत्रालय की स्वविवेक शक्तियों के अन्तर्गत निकाले जाने के प्रश्न पर विदेश मंत्री ने वक्तव्य दिया था । उस पर दो माननीय सदस्यों ने विदेश मंत्री तथा वित्त मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था । मैंने आपसे निदेश 115 के अधीन वक्तव्य के लिये निवेदन किया था । अब तक यही होता रहा कि विशेषाधिकार के मामले को प्राथमिकता मिलती रही है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुख्य बात यह है कि जब तक सभा के समक्ष कोई विशेषाधिकार का मामला है तो तब तक किसी और प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । श्री मावलंकर को वक्तव्य देने की अनुमति देकर एक गलत प्रक्रिया अपनाई गई है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध प्रस्ताव की सूचना परसों दी गई थी । उस पर विचार हो रहा है । श्री मावलंकर के दूसरे प्रस्ताव, अर्थात् निदेश 115 के अधीन वक्तव्य दिये जाने के लिये मन्त्री महोदय से निवेदन कर दिया गया है ।

श्री वसन्त साठे : आप या तो मामलों को स्वीकार करें, अथवा अस्वीकार करें ।

श्री सौगत राय : सभा में यह धारणा न पैदा होने दें कि मामलों को दबाया जा रहा है । निदेश 115 के अधीन वक्तव्य देने से विशेषाधिकार का मामला समाप्त हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : जब उन्होंने वक्तव्य दिया है तो उन्हें इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

श्री वयालार रवि : (चिरयिकील) : हमने तत्काल उसी दिन विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दे दी थी । उसी दिन श्री पटनायक ने वक्तव्य दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु आपने श्री पाटिल के विरुद्ध लिखा है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : आपने यह स्वीकार किया है कि प्रस्ताव आपके विचाराधीन है । इसलिये उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

श्री वयालार रवि : मेरा नियम 115 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: आप सभा की प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं । यदि आप मंत्री जी को वक्तव्य देने की अनुमति देंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि आप प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे है ।

अध्यक्ष महोदय: यह आपका अपना विचार है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: यह राय की बात नहीं है । यह सत्य है ।

श्री वयालार रवि: आप पहले ही विनिर्णय दे चुके है । हम आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहे हैं । वैसे हम दोनों ने उसी दिन श्री पाटिल के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दे दी थी । तब आपने हमें बताया है कि उन्होंने विवरण भेजा है । (**व्यवधान**)

श्री मावलंकर ने श्री पाटिल द्वारा दिए गए वक्तव्य में अशुद्धि के संबंध में मामला उठाया था । श्री पटनायक के वक्तव्य के बारे में नहीं । श्री मावलंकर केवल निदेश 115 के अन्तर्गत श्री पटनायक को नहीं बल्कि श्री पाटिल को वक्तव्य ठीक करने के लिए कह सकते हैं । (**व्यवधान**) अब आप कौन से नियम के अन्तर्गत श्री पटनायक को वक्तव्य सही करने के लिए कह रहे हैं ।

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर): श्रीमान मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब तक मामला आपके व्यक्तिगत विचाराधीन है, तब तक इसे निर्णयाधीन नहीं कहा जा सकता ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह मामला सभा के निर्णयाधीन है ।

श्री वयालार रवि: आपने श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने के बारे में प्रस्ताव पेश किया है और इस सभा ने उसे स्वीकार कर लिया है ।(**व्यवधान**) ।

श्री श्याम नन्दग मिश्र (बेगुसराय): श्रीमान यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और यह सभा के अधिकारों का प्रश्न है । इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा ।

यदि आपका यह विचार है कि अध्यक्ष किसी विशेषाधिकार के प्रस्ताव को कई दिनों निलंबित रख सकता है तो हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हाउस आफ कामन्स में विशेषाधिकार के प्रस्ताव को उच्च प्राथमिकता दी जाती है । किन्तु यहां अजीब प्रथा अपना रहे हैं कि अध्यक्ष ऐसे मामले को इतने दिन निलंबित रख सकता हो, इससे तो मामले का महत्व कम हो जाता है । हमें आशा है कि अध्यक्ष इस पर यथासंभव शीघ्र अपना विनिर्णय देगें सभा में यह प्रथा होनी चाहिए कि जब कभी सभा के समक्ष विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला पेश किया जाये तो इसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए अन्यथा यह एक बहुत बड़ा अन्याय होगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व): ऐसा लगता है कि विशेषाधिकार सम्बन्धी सूचना तथा जारी किए गए निदेशों के बीच कुछ संघर्ष है। विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने के लिए भी आप निदेश जारी कर सकते हैं । मेरा अनुरोध है कि इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया जाये ।

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : मुझे एक छोटा सा निवेदन करना है ।

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का प्रश्न कोई वाद-विवाद नहीं है ? श्री वयालार रवि का यह कहना सही नहीं है कि श्री मावलंकर की सूचना श्री पाटिल के विरुद्ध है ? श्री रवि ने अपनी सूचना श्री बीज पटनायक के विरुद्ध दी है । इसलिये श्री पटनायक को उत्तर देने के लिए कहा गया है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने नाम का उल्लेख नहीं किया है किन्तु सारा आरोप श्री पटनायक के विरुद्ध है ।

श्री के० गोपाल (करूर) : नहीं-नहीं (**व्यवधान**)

श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे (सांगली) : सभा को गुमराह कौन कर रहा है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनंतनाग) : आप श्री मावलंकर की बात क्यों नहीं सुनते । अपना विनिर्णय देने से पूर्व आप उनकी बात सुन लीजिए ।

श्री के० गोपाल : यह तो आप मानते हैं कि उनमें से किसी एक ने सभा को गुमराह किया है । आप केवल यह बताइए कि ऐसा किसने किया है । मामला वहीं समाप्त हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह परसों ही दिया गया है । इससे पहले श्री पाटिल के विरुद्ध सूचनाएं दी गई, जिनका उन्होंने उत्तर दे दिया है।

इस सभा की यह प्रथा है कि जब किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उस पर उसके विचार पूछे जाते हैं। इस मामले में भी हमने श्री पटनायक के विचार पूछे हैं । इसलिए जहां तक निदेश 115 का सम्बन्ध है, यह स्वतंत्र है। (**व्यवधान**) इसलिए मैं श्री पटनायक को वक्तव्य देने के लिए कहता हूं---(**व्यवधान**) मैं नहीं समझा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव कोई निहित अधिकार है---(**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप अध्यक्ष के निदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते (**व्यवधान**) हम ऐसा नहीं करने देगें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पटनायक (**व्यवधान**)

श्री मोरारजी देसाई: क्या यह कहना ठीक है कि मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: आप सभा के नियमों का उल्लघंन नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : किसी को इसका निर्णय तो करना ही है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं---(**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे (अकोला) : क्या आज आप ऐसा करने दे रहे हैं---(**व्यवधान**) जबकि प्रधान मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। (**व्यवधान**)

श्री सौगत राय : यह आरोप बहुत गंभीर है । मंत्री जी जानबूझकर सभा को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें नियम 357 के अन्तर्गत वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहिए । क्योंकि सभा को गुमराह करने का आरोप है, इसलिए सूचना निदेश 115 के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती ।

श्री वसंत साठे : मैं मंत्री-मंडल के निर्णय के बारे में जानना चाहता हूं । मैं मंत्रि मंडल के निर्णय के बारे में वक्तव्य चाहता हूं ।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : विशेषाधिकार का प्रश्न नियम 222 के अन्तर्गत उठाया जाता है । नियम 225 के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी सहमति देता है । इस मामले में अभी तक निर्णय नहीं दिया गया है । नियम के अनुसार अध्यक्ष सम्बंधित सदस्य को बुलायेगा और वह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हुए एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा । यहां नियम 225 का कोई उल्लेख नहीं है इसलिए विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : श्री मावलंकर ने यह उल्लेख नहीं किया कि श्री पटनायक को अपना उत्तर ठीक करना है या श्री पाटिल को । वह किसे गलत समझ रहे हैं । इसलिए यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि श्री मावलंकर स्पष्टीकरण श्री पटनायक से मांगना चाहते हैं या श्री पाटिल से ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरी भी स्पष्टीकरण की बात है । आपने कहा है कि यह मामला आपके समक्ष है और आपने कोई निर्णय नहीं लिया है । आपने मामला मंत्री जी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजा है। आप मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उससे आप निर्णय देने में प्रभावित हो सकते हैं । मंत्री जी द्वारा वक्तव्य देने से विशेषाधिकार भंग नहीं होगा ? (**व्यवधान**) ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : श्रीमान मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (**व्यवधान**) ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): श्रीमान आप विशेषाधिकार के मामले में अपना विनिर्णय दे चुके हैं और अब आपको श्री पटनायक को स्थिति स्पस्ट करने के लिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि वह विशेषाधिकार भंग करने के दोषी हैं, आपके लिए एकमात्र उपाय यहीं है कि आप इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंप दें ।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : न तो अध्यक्ष को और ना ही सभा को यह पता है कि किस मंत्री का वक्तव्य गलत है । इसीलिए हमने श्री पाटिल के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रेंस्ताव पेश किया । (**व्यवधान**) इसलिए मंत्री जी स्पष्टीकरण दे दें और यहीं मामला समाप्त हो जायेगा ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मुझे खेद है कि ---(**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वे क्या चाहते हैं---(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री उन्नीकृष्णन् को बुलाया है---(**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : खेद की बात है कि छोटी सी बात पर इतना समय बरबाद हो गया है । इसका कारण यह है कि सभा की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया

है । आंसुका निरसन विधेयक के प्रभारी श्री पटनायक नहीं हैं बल्कि श्री धनिकलाल मंडल हैं। श्री पटनायक ने प्रधान मंत्री की अनुमति बिना कुछ बातें कही हैं। उसी दिन सुबह श्री पाटिल ने उत्तर दिया और हमने विशेषाधिकार की सूचना आपको दी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यदि नियम 222 के साथ 115 को रखा जाये तो यह नोटिस गलत हो जाता है । नियम 115 के अन्तर्गत यदि अध्यक्ष अनुमति दे दे तो यह उसका अधिकार बन जाता है । 222 के अन्तर्गत मामला अध्यक्ष के विचारार्थ पड़ा था । मुझे विश्वास है कि इससे अध्यक्ष के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैंने दो नोटिस दिए हैं । एक 20 जुलाई को तथा एक कल अर्थात 26 जुलाई को। कल के नोटिस में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि कौन सा मंत्री मेरे मन में था ।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का प्रश्न अभी विचाराधीन है क्योंकि यह अभी परसों ही तो दिया गया था।

निदेश 115 के अन्तर्गत मंत्री जी जो उत्तर देंगे उसका प्रभाव विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा । क्योंकि उसमें तो यह कहा गया हैं कि उन्होंने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है । अब जो भी वह स्पष्टीकरण देंगे उसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होगा । अब तो प्रश्न केवल यह है कि वक्तव्य में यदि भूल है तो उसे ठीक कर लिया जाये। यदि मेरा यह विचार बना कि यह भूल जानबूझकर हुई है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । अतः यह मामला अपने आप में स्वतंत्र है । अब मैं इस्पात और खान मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दे रहा हूं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजूपटनायक) : 19 जुलाई 1978 को जब "मीसा" को समाप्त करने के विधेयक पर विचार हो रहा था तो मैंने विशेष अदालत स्थापित करने के बारे में कुछ कहा था । निरंतर व्यवधानों के कारण मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया। यद्यपि यह बात मैंने कह दी थी कि निर्णय इस दिशा में कर लिया गया है परन्तु इन मामलों को उच्चतम न्यायालय की "राय" के लिए भेजा जायेगा।

अतः मैं इस बारे में पुनः स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास राय जानने के लिए भेजा जा रहा है । इस मामले में सदन को गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है और न ही कोई ऐसा इरादा था । (**व्यवधान**)

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

अ विलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बंगला देश चिटगांव क्षेत्र से त्रिपुरा राज्य में हजारों आदिवासी शरणार्थियों के आने का समाचार

प्रो० समर गुह (कटाई) मैं बंगला देश के चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र से त्रिपुरा राज्य में हजारों आदिवासी शरणार्थियों के आ जाने के समाचार की ओर विदेश मंत्री का ध्यान दिलाता हूं । कृपया वे इस पर एक वक्तव्य दें।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : इस वर्ष मार्च से आदिम जाति के लोगों के छोटे-छोटे दस्ते जिनमें प्रमुखत: मोघ थे और कुछ चकमा थे, चोरी छिपे त्रिपुरा राज्य के दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम सबडिवीज़न में आने शुरू हो गये थे। शुरू-शुरू में हमारे सीमा-प्राधिकारियों ने इनमें से कुछ दस्तों को रोक कर वापस बंगलादेश में भेज दिया था । लेकिन यह आदिवासी सीमा पार कर त्रिपुरा राज्य के पहाड़ों और जंगलों में बराबर घुसते रहे और बाद के महीनों में इन आदिवासियों का आना और बढ़ गया । चूंकि इस क्षेत्र में सीमा दुर्गम मार्ग से होकर गुजरती है इसलिये इन शरणार्थियों को रोक पाना कठिन था ।

2. हमारे अघतन आंकड़ों के अनेसार इन आदिवासी शरणार्थियों की संख्या लगभग 4000 है ।

3. इन शरणार्थियों के बढ़ी हुई मात्रा में घुसने की खबर जब मई में हमारी जानकारी में आई तो हमने तुरन्त इस मामले को बंगलादेश के हाई किमिश्नर के साथ उठाया । उनसे कहा गया कि वे इन लोगों की घुसपैठ के सम्बन्ध में हमारी चिन्ता को अपने यहां पहुंचा दें और इन लोगों की सुरक्षित वापसी का सुनिश्चय करें । इसके बाद मंत्रालय के एक अधिकारी को बंगलादेश भेजा गया कि वह वहां जा कर बंगलादेश की सरकार पर इस बात का जोर दे कि वह इस बात का सुनिश्चय करने के लिये हर सम्भव कदम उठाये कि इस तरह और लोग न आने पायें । बंगलादेश की सरकार से यह भी कहा गया कि वह इन शरणार्थियों को तुरन्त उनके घरों को वापस करना स्वीकार करे।

4. बंगलादेश की सरकार ने हमें इस बात का आश्वासन दिया कि इन लौटने वालों को किसी तरह तंग या परेशान नहीं किया जायेगा और इन शरणार्थियों के अपने घरों को वापस जाने और अपनी सम्पत्तियों को वापस लेने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी । उन्होंने यथाशीघ्र इन सभी शरणार्थियों को वापस लेने की भी तत्परता व्यक्त की।

5. इस समझौते के बाद प्रत्यावर्तन के तरीकों पर त्रिपुरा सरकार के साथ विचार-विमर्श हुआ । इस बातचीत में और शरणार्थियों को खोज निकालने जैसी वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में कुछ समय लग जाना स्वाभाविक ही था । बंगलादेश की सरकार के सहयोग से और त्रिपुरा सरकार के परामर्श से इन आदिवासी शरणार्थियों का 258 व्यक्तियों का पहला दल 25 जुलाई को बंगलादेश प्रत्यावर्तित कर दिया गया है । उम्मीद की जाती है कि यह प्रत्यावर्तन कार्य अगस्त के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

श्री समर गुह : शरणार्थियों की संख्या 400 न हो कर हजारों में है। यह बताया गया है कि 700 लोग बंगलादेश वापिस गए हैं, यह अच्छा है । अल्प संख्यकों का इस प्रकार आना शुरू से ही जारी है । कुछ समय के लिए केवल शेख मुजीबरहमान के काल में यह बन्द हुआ था । बंगला देश के अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ नहीं किया जबकि बार-बार इस संम्बन्ध में कहा गया । वहां अल्प-संख्यकों को कोई सुविधा नहीं है उनकी सम्पत्ति छीनी जा रही है और उन्हें खदेड़ा जा रहा है। श्रीफनी मजुमदार जैसे अल्प संख्यकों के नेता पिछले 32 वर्ष से जेल में पड़े हैं।

राष्ट्रपति के चुनाव पर बंगला देश में अल्प-संख्यकों को वोट नहीं देने दिए गए । कुछ क्षेत्रों में अल्प संख्यकों ने वोट डाले तो बाद में वहां हत्याकाण्ड हुए और उन्हें लूटा गया । कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई नेताओं की हत्या कर दी गई। चकमा क्षेत्र के बौधों पर पुलिस और सेना जुल्म ढा रही है और उन्हें वहां से भगाया जा रहा है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन अल्प संख्यकों के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है। मैं सदन से अपील करता हूं कि वह जिया उर रहमान से अल्प संख्यकों के हित के लिए अनुरोध करने का एक संकल्प पारित करें और उनसे प्रार्थना करें कि भारत के समान बंगला देश में भी अल्प-संख्यक आयोग की स्थापना की जाए।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : हम बंगलादेश के इस भाग के लोगों के कस्ट से अवगत हैं। मैं उनकी भावनाओं को जानता हूं ।

हो सकता है 4000 शरणार्थी आए हों। उनमें से 2000 कैम्पों में है। हम किसी को वापिस भेजने की जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम केवल उन्हें राजी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब भी यह मामला सामने आया हमने बंगला देश सरकार को अपनी चिन्ता व्यक्त की।

हमने उसकी जांच करने के लिये अपने अधिकारी भेजे थे और हम त्रिपुरा सरकार के साथ बराबर सम्बन्ध रखे हुए हैं । इन शरणार्थियों को वापस भेजने में देरी इसलिये हुई क्योंकि हम इन्हें यह बताते रहे कि यदि वे वापस गये तो उन्हें तंग नहीं किया जायेगा। हमारा यह प्रयास है कि यह शरणार्थी इस देश से वापस अपने देश चलू जायें।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

20 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंजूर समिति के 20वें प्रतिवेदन से, जो 26 जुलाई, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 20वें प्रतिवेदन से, जो 26 जुलाई, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted

एक बड़े उद्योग द्वारा हानिकारक पदार्थों के निस्राव के कारण नदियों और वातावरण के प्रदूषण का समाचार

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहांपुर) (उत्तर प्रदेश) : में सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स नामक कारखाने द्वारा गत 15 वर्षों से निरन्तर हानिकारक पदार्थों का निश्राव किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप दो जरा नदी का पानी विषैला हो गया है । इस नदी का पानी बरेली पहुंचने पर रामगंगा में मिल जाता है जिसका पानी लोग पीते हैं तथा जिसे पीने से अनेक प्रकार के भयंकर रोगों के शिकार हो जाते हैं। इस कम्पनी द्वारा जिन हानिकारक पदार्थों तथा गैसों का निस्श्राव किया जाता है, उसका कुप्रभाव इसके कर्मचारियों, कालोनी के निवासियों तथा पड़ौसी क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है । सरकार को एक उच्च स्तरोय डाक्टरों का दल इस कारखाने में भेज कर सम्पूर्ण स्थिति का जायज़ा लेना चाहिये तथा तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये ।

(दो) गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली की खड़ी फसल पर कीटनाशी दवाई का हवाई छिड़काव की आवश्यकता :

SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL (Pofbandar) : Gujarat, particularly its Saurashtra region is producing about one-third of the total groundnut's productions in the country. Towards the end of July or in the beginning of August every year the standing crops of groundnut are affected by diseases and parts causing huge loss to the farmer. This year also the standing crops of groundnut has been badly affected by diseases and pests in Sunagarh Rajkot Jamnagar, Amreli, Bhavnagar, Surendra Nagar, Kutch districts etc. of the Saurashtra region in Gujarat. The Union Ministry of Agriculture should, in collaboration with the Government of Gujarat, make immediate arrangements for aerial spray of pesticides etc. on a visit the foreign country these days.

(तीन) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक आई० ए० एस० उप-सचिव का निलंबन

श्री मलिकार्जुन (मेडक) : सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के उप-सचिव श्री एस० घोष ने "किस्सा कुर्सी का" के मामले में साक्षी के रूप में उन तरीकों का पर्दाफाश किया, जिन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनसे मनवाने के लिए उन पर दबाव डालने हेतु अपनाया।

लगभग एक सौ आधिकारियों के खिलाफ जांच की गई लेकिन किसी को भी निलंवित नहीं किया गया । इसी प्रकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार श्री टमटा को निलंवित नहीं किया गया जबकि इसके विपरीत श्रीजगमोहन को 10 महीने पूर्व निलंबित कर दिया गया था।

मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह श्री घोष तथा श्री जगमोहन के निलंबन आदेशों को रद्द कर दे और भविष्य में इस प्रकार निलंबन न किए जायें क्योंकि ऐसा करना वास्तव में न्याय के हित में होगा।

(चार) समस्त मणिपुर घाटी को विशुद्ध क्षेत्र घोषित करने का समाचार

श्री एन० टोम्बीसिंह (आन्तरिक मणिपुर) : अभी तक प्राप्त समाचारों के आधार पर सम्पूर्ण मणिपुर घाटी को विशुद्ध क्षेत्र तथा सशस्त्र सेना (मणिपुर और नागालैंड) अधिनियम के अन्तर्गत पहली बार खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह समाचार भी प्राप्त हुआ है कि विगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति, जिसमें भूमिगत तत्वों द्वारा पिछले दिनों में मणिपुर राइफल्स के पुलिस जवानों को मारने, गोली से उड़ाने तथा एक बैंक को लूटने की घटनाएं शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुई यह कदम उठाना पड़ा बिना किसी व्यापक असंतोष के सम्पूर्ण मणिपुर घाटी को विशुद्ध क्षेत्र घोषित करना मणिपुर राइफल्स, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और अर्द्ध सेना वलों को सम्पूर्ण क्षेत्र में व्यापक रूप से छानवीन करने की कार्यवाही निश्चय ही राज्य सरकार का एक कठोर कदम है ।

मणिपुर तथा उसके पड़ोसी राज्यों में भूमिगत गतिविधियां उतनी ही पुरानी हैं जितनी कि भारत की स्वतंत्रता मणिपुर में वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण पाने में जनता सरकार पूरी तरह असफल रही है । इस नाजुक स्थिति को समुचित ढंग से हल किया जाना चाहिए।

मंत्री जी को यथासंभव शीघ्र एक वतव्य देना चाहिए।

(पांच) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त श्री एन० जो० गोरे और लार्ड माउन्टबेटन के बीच हुये पत्र-व्यवहार

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : : समाचार पत्रों में समाचार छपा है कि अंतिम वायसराय और भारत के अंतिम गर्वनर जनरल, लार्ड माउन्टबेटन ने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त श्री एन० जी० गोरे के अगस्त 1945 में ताइवान में ताइपेंह के ऊपर हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की कथित मृत्यु के सम्बन्ध में एक पत्र के उत्तर में कहा है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु का कोई रिकार्ड अभिलेखागार में नहीं है । इस मामले के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार को श्री एन० जी० गोरे तथा लार्ड माउंटबेटन के बीच इस सम्बन्ध में हुए पत्र व्यवहार का ब्यौरा सभा पटल रखना चाहिये।

पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक 1978

PASSPORTS (AMENDMENT) BILL, 1978

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समेरन्द्र कुन्डु) : मैं पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।.....

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी इस विधेयक द्वारा फीस को 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करना चाहते हैं। संविधान के अनुसार यह एक धन विधेयक है । अत: राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है । क्या विधेयक पेश करने के लिये राष्ट्रपति की अनुमति ली गई है। यदि अनमति नहीं ली गई तो इसे पेश नहीं किया जा सकता और इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह धन विधेयक नहीं है । यह भारत की संचित निधि में से खर्च नहीं है । यह तो केवल फीस है।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

गत कुछ महीनों में कम से कम समय में अधिकधिक लोगों को पासपोर्ट देने में सरकार को इस सभा के सदस्यों ने जो सहयोग दिया है, उसके लिये मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। सदस्यों ने बड़ी संख्या में पासपोर्ट सम्बन्धी आवेदन पत्रों को सत्यापित किया और इससे लोगों को पासपोर्ट शीघ्र मिलने में सहायता मिली है। आपात स्थिति के बाद हमने दक्षिणी अफ्रीका तथा रोडेशिया को छोड़ कर अन्य देशों के लिय पारपत्र देने की पूरी अनुमति दी है।

आपात स्थिति के दौरान अकारण कई पासपोर्ट जब्त कर लिये गये और हमने इसे समाप्त कर दिया है। हमने लगभग 200 पासपोर्ट जारी किये हैं, जिन्हें कि आपातकाल के दौरान जब्त कर लिया गया था। 1975 में 4.25 लाख पासपोर्ट जारी किये गये थे जबकि 1976 में 5.73 लाख पासपोर्ट जारी किये गये हैं।

1977 में 9 लाख पासपोर्ट जारी किये गये हैं। इस वर्ष जून के अंत तक हमने 7 लाख पासपोर्ट जारी कर लिये थे और वर्ष के अंत तक यह संख्या 18 लाख तक पहुंच जायेगी।

समूचे देश में पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या बहुत कम है। और इनमें से कुछ कार्यालय तीन या चार राज्यों की आवश्कता की पूर्ति करते हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में पासपोर्ट कार्यालय या सब-रीजनल पासपोर्ट कार्यालय हो और हम यथा संभव शीघ्र से कार्यालय खोलने का प्रयत्न करेंगे।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक पासपोर्ट की फीस 25 रुपये की बजाय 50 रुपये कर दी जाये। इस समय एक पासपोर्ट की फीस 25 रुपये है और इसकी अधिमान्य अवधि 5 वर्ष है।

देश में कई कारणों से कुछ वर्षों से पासपोर्ट सेवा की लागत बढ़ गई है। जिससे उपकरण तथा सेवा की लागत बढ़ गई है। लोग शीघ्र तथा अच्छी सेवा चाहते हैं। हमें समूचे विभाग की क्षमता में सुधार करना है। इन्हीं कारणों से लागत बढ़ गई है और इसीलिये हम शुल्क बढ़ाने के लिये यह प्रस्ताव लेकर आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मेरे पास कुछ प्रस्ताव परिचालन हेतु तथा एक प्रस्ताव इसे संयुक्त समिति को भजने के बारे में भी आये हैं।

श्री बी० राचैया : (चामराजनगर) : मैं पासपोर्ट विधेयक 1978 के बारे में कुछ एक बातें कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने इस विधेयक के उद्देश्य तथा पासपोर्ट जारी करने सम्बन्धी शुल्क में वृद्धि करने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं इस सम्बन्ध में

यह निवेदन करना चाहता हूं कि पासपोर्ट कार्यालय में जितने भी पासपोर्ट सम्बन्धी प्रार्थनापत्र लम्बित पड़े थे, इस विधेयक के अन्तिम रूप से पारित होने से पूर्व ही उनसे बढ़ी हुई फीस ली जा रही है । इस फीस का भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाया जाना ठीक नहीं है । खाड़ी के देशों में अनेक कारीगर, ड्राईवर तथा बावर्ची आदि रोजगार प्राप्त करने के लिए जाना चाहते है । ऐसे लोगों के लिए 50 रुपये की फीस दे पाना कठिन होता है। इसी प्रकार यह कालावधि 3 वर्ष से 5 वर्ष तक बढ़ाना भी ठीक नहीं होगा । अतः इन दोनों पर पुनः विचार किया जाना चाहिये । इसके साथ ही मैं यह और कह दूं कि जो भी परिवर्तन किए जाये, उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद ही लागू किया जाना चाहिये ।

आज देश में अनेक ऐसी फर्में तथा एजेंट हैं, जिनके पास कारीगरों को रोजगार देने के लिए विदेश से पत्र आते हैं । इस कार्य में बहुत गड़बडी हो रही है तथा इसकी ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये । इसके साथ ही मेरा अन्य सुझाव यह है कि विभिन्न राज्यों में और अधिक पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने चाहिएं।

विधेयक से उपबन्धों के अनुसार संसद सदस्यों को भी पासपोर्ट के लिए सम्बद्ध प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। संसद सदस्य व्यक्तिगत रूप से सभी व्यक्तियों को नहीं जान सकता । अतः विधेयक में यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि जब भी कोई व्यक्ति संसद सदस्यों को प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कहे तो उससे पूर्व वह मजिस्ट्रेट से एक प्रमाण-पत्र लेकर आये।

दूसरी सदन में मंत्री महोदय द्वारा इस आशय का वक्तव्य दिया गया था कि जो भी संसद-सदस्य विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा राजनैतिक पासपोर्ट जारी किये जाते हैं। परन्तु सभी संसद संसदीय शिष्टमण्डलों के साथ जाते हैं, उन्हें राजनीतिक पासपोर्ट जारी किये ही जाते हैं । मैं विधेयक के इस उपबन्ध का भी स्वागत करता हूं जिसमें व्यवस्था की गई है कि 35 दिनों में ही पासपोर्ट सभी प्रपत्रों की जांच सम्बन्धी की कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी । परन्तु अभी तक पासपोर्ट प्रार्थना-पत्र के बारे में अनेक प्रतिबन्ध चले आ रहे हैं। उन्हें शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिये तथा लगभग प्रत्येक राज्य में पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना चाहिये।

आपने पी० फार्म समाप्त कर दिया है। यह अच्छी बात है। बाहर जाने वाले लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। अभी कुछ और प्रतिबंध शेष हैं। मंत्री महोदय नियमों का अवलोकन करें तथा उन्हें सुचारु बनायें ताकि प्रार्थियों का बोझ कम हो सके।

पासपोर्ट कार्यालयों में कुछ अधिकारियों की एजेन्टों से मिली-भगत है और वे काफी पैसा कमाते हैं । वहाँ पर चल रहे भष्टाचार को रोकने तथा समाप्त करने के लिये कदम उठाने चाहिए ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I want to congratulate the Minister for bringing this bill. New procedure has simplified the question of getting passport. Even ordinary people visit the foreign country these days.

You might be knowing that the passport offices are still dens of corruption! There are about 4 lakh applications pending throughout the country. A few among these applications are pending for the last many years.

Sometime limit should be fixed for issuing passports. I agree with what has been said about diplomatic passports. These passports should also be issued to the Members of Parliament.

Shri Swamy went abroad with a proper passport still, legal proceedings were initiated against him. I meant the Hon. Minister to enquire into the reasons for which proceedings were initiated against him.

You have promised to open passport office in each state but the work of opening these offices should be speeded up. Steps should be taken to dispose of all the pending applications at the earliest. I want to know the number of passports impounded by the Janata Government. I would also like to know as to how Shri Dharam Teja went abroad and who is responsible for the same.? A proper inquiry should be conducted into it.

With these words I support the Bill.

श्री वयालार रवि (चिरदिकलि) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। परन्तु पासपोर्ट जारी करने के मामले में जो छूट दी गई हैं उसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। पासपोर्ट रखना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। परन्तु इस विधेयक से पासपोर्ट जारी करने के बारे में कुछ और प्रतिबन्ध लगाये हैं। इस अधिनियम में कुछ मूल संशोधन करने के बजाय भाड़ा बढ़ाने के लिए एक संशोधन किये जाने की मांग की गई है।

[**श्रीमती पार्वती कृष्णन् पीठासीन हुई**
Srimati Parvati Krishnan in the chair]

1978 में पासपोर्ट के लिये आवेदनों की संख्या 3.5 लाख से बढ़कर 10 लाख हो गई है जिससे यह पता चलता है कि लोगों को पासपोर्ट की अधिक आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि आय बढ़ गई है। गत वर्ष मंत्री जी ने अच्छे आशय के साथ यह घोषणा की थी कि वे प्रत्येक वर्ष 8 लाख पासपोर्ट जारी करेंगे। परन्तु कोचीन कार्यालय में 2 लाख आवेदन पड़े हुए हैं। बकाया काम को निपटाने के लिये अस्थाई तौर पर कुछ अतिरिक्त स्टाफ रखा जाना चाहिये। कोचीन तथा कालीकट में पड़े हुए काम को निपटाने के लिये कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये।

सरकार ने आप्रवासन कानूनों के रूप में बहुत से प्रतिबन्ध लगाये हैं और पासपोर्ट कार्यालयों में लोगों को शक्तिशाली बनाया है। जब नियमों में कुछ परिवर्तन किये जाते हैं या छूट दी जाती है तो सभा के समक्ष एक अधिसूचना रखी जानी चाहिये। परन्तु अनावश्यक तथा अवांछनीय प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाने चाहिये जिनसे विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों के हितों को हानि पहुंचाते हैं।

बहुत सी बोगस एजेन्सियां हैं और लोगों को ठगा गया है। एक एजेन्सी स्थापित न करने का क्या कारण है। भिन्न-भिन्न नियमों और अगल-अलग परिभाषा तथा अलग-अलग मंत्रालयों के कारण मामला और जटिल होता जा रहा है। मंत्री जी इस मामले की जांच करें।

मंत्री जी को आवश्यक संशोधन करके आप्रवासन अधिनियम में परिवर्तन करने चाहिएं।

आपात स्थिति के दौरान विदेशों में बहुत से भारतीयों के पासपोर्ट जब्त किये गये थे। मंत्री जी इस बात की जांच करें कि विदेशों में रहने वाले कितने भारतीयों के पासपोर्ट जब्त

किये गये । केरल से गये बहुत से लोगों के पासपोर्ट कुवैत में कुछ अधिकारियों की जाति दुश्मनी के कारण जब्त किये गये थे । आई० पी० सी० या दण्ड प्रक्रिया संहिता का कोई दाण्डिक कार्यवाही के लिये पासपोर्ट जब्त करने का कोई उपबन्ध नहीं है । अतः इसमें यह खण्ड क्यों रखा गया है ?

खाड़ी के देशों में लाखों भारतीय लोग काम कर रहे हैं। परन्तु इन देशों में महत्वपूर्ण कूटनीतियों की नियुक्ति के लिये गम्भीरता से विचार नहीं किया जा रहा है । अतः वहां पर वरिष्ठ तथा महत्वपूर्ण कूटनीतियों की नियुक्ति की जानी चाहिये ताकि हमारे उन लोगों के हितों की रक्षा की जा सके जो उन देशों में काम कर रहे हैं।

मेरी आप से अपील है कि जो लोग राजदूतावासों में काम करते हैं उन्हें दक्षिण भारतीय भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए । दूसरे, हमारे लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए वहां वरिष्ठ तथा महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : इसके लिए दो घंटे का समय नियत किया गया था, जिसमें से एक घंटा तो समाप्त हो गया।

SHRI DURGA CHAND (Kangra) : The passports (Amendment) Bill deserves unanimous support. This Bill provides for enhancement of passport fee to Rupees Fifty because the cost of providing passport services has gone up in these years. But this fee is already being charged before this Bill was passed. So the Bill should have included a clause stating as to how it will be regularised.

It is good that the number of passport offices will be increased. But I will appeal to the Minister to see that a passport office is opened in the State of Himachal Pradesh also.

The Minister, by bringing forth this Bill has made an effort to remove several anomalies, and therefore, this Bill is welcome. The decision to open a sub-regional passport office in each state should be implemented at the earliest.

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur) : I oppose the Bill. There is no logic in saying that the cost of providing passport service has gone up. The Minister has stated that by the end of this year, 18 lakhs of passports are likely to be issued whereas in 1976 and 1977, 4 lakhs and 9 lakhs of passports were issued separately. This mean that the income accruing from them has increased more than four times. So, it can not be said that their cost has gone up. Then the increase in the cost is due to inefficiency in passport offices. There has been complaints about the delay and corruption rampant in passport offices as a result of connivance of officials with travel agents. If greater efficiency can be achieved in the functioning of passport offices, there will be no need for increase in fees.

The proposal to open sub-regional passport offices in each State is welcome. In Punjab, a sub-regional passports office should be located at Jullundur.

A passport should be issued at least within a period of one month which will be valid for indefinite period.

SHRI ANANT DAVE (Kutch) : The passport (Amendment) Bill deserves all support. It has been stated that it is proposed to increase the passport fee because the cost of providing passport service has gone up. But the increase is on the high side and the increase should have been in proportion to the increase in income accruing from the large number of passports that will be made. On the other side agents have already enhanced the fees. Government should take steps to curb the activities of these agents. A higher fee can be charged from tourists and from those who come for renewal of passports. But the present blanket rise in fee from Rs. 25/- to Rs. 50/- is not at all fair.

श्री अरविन्द बाला पजनौर : (पांडिचेरी) : यह समझ नहीं आया कि विदेश मंत्री ने यह वक्तव्य कैसे दे दिया है कि पारपत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है ।

दूसरी ओर पारपत्र की फीस 25 रुपये से बढ़ा कर 50 रुपये कर दी गई है । सभी पुराने कानूनों को दृष्टिगत रखते हुए मन्त्री महोदय को इसके बारे में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये था ।

यह भी कहा गया है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए पारपत्र जारी करने का कार्यभार मद्रास कार्यालय पर रहेगा । परन्तु पांडिचेरी को भी मद्रास कार्यालय के साथ ही जोड़ा गया है । पांडिचेरी क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एक छोटा कार्यलय पांडिचेरी में भी खोलना चाहिये।

सरकार को पारपत्र की दो श्रेणियां अविलम्बनीय तथा साधारण बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार करना चाहिये । जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी पर पहुंचना हो या किसी निश्चित तिथि पर पहुंचना हो उन्हें प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये अविलम्बनीय पारपत्रों की फीस में भी वृद्धि की जा सकती है।

जो श्रमिक अन्य देशों में जाना चाहते हैं, उनके मामलों पर भी सहानुभूतिपूर्वक ढंग से विचार किया जाना चाहिये । इस समय उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। जनता सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये । इन लोगों को पारपत्र देते समय प्राथमिकता दी जानी चाहिये । पारपत्र कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी है तथा वह बहुत ही गन्दी जगहों पर स्थित है । सरकार को इस कार्यालयों के लिए अच्छे स्थान ढूंढने चाहिएं तथा उपयुक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनी चाहिये।

सरकार को इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ताकि इस सम्पूर्ण प्रणाली तथा संगठन में सुधार किया जा सके।

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Siwani) : The House would certainly approve of the increase in the passport fee to Rs. 40/-. But I oppose the reasons that have been given for this increase. It has been stated that increase in passport fee would facilitate better service and would help in the opening of more regional passport offices. These are no convincing reasons.

A passport office should be opened in Madhya Pradesh at Jabalpur.

There is mention of 'named countries' in the Bill. These would be specified under the Rules leaving a wide scope for discretion. These words should be deleted from the Bill.

It is rightly stated that confirmation letters should not be sent to us. So, instructions should be issued for that purpose.

सभापति महोदय : मेरे विचार से पुष्टि के लिए इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि पासपोर्ट फार्मों पर हस्ताक्षर नकली होते हैं।

श्री निर्मल चन्द्र जैन : ऐसी हालत में हमारे हस्ताक्षरों के नमूने रखे जा सकते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पा : (कन्नानोर) इस विधेयक का उद्देश्य पासपोर्ट की फीस बढ़ाना है । कई सदस्यों ने व्यापक पासपोर्ट विधेयक लाने की बात की है । मैं उन से सहमत हूं और आशा है मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

पासपोर्ट की फीस में वृद्धि करना उचित नहीं है । यह बात और भी अनुचित है कि इस विधेयक को स्वीकार करने से पहले ही सरकार ने बढ़ी हुई फीस लेनी आरम्भ कर दी और वह यह मानकर चलती है कि संसद ऐसा करने की अनुमति दे देगी।

पासपोर्ट प्राप्त कर लेने के बाद भी हमारे तेश में अनेक ऐसे कानून बने हुए हैं जिनके आधार पर साधारण व्यक्ति के लिए विदेश जा पाना लगभग असम्भव सा बन गया है । आप्रवासन तथा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम आदि ऐसे हीं कानून है । सरकार ने इन सभी कानूनों पर नए सिरे से इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि वह कहां तक लोगों के हित में है ।

जब सरकार पारपत्र के लिए फीस बढ़ा रही है, तो उसे पारपत्र कार्यालय में जाने वाले लोगों को दी जाने वाली सुविधांए भी बढ़ानी चाहिए ।

माही के लोगों को पारपत्र प्राप्त करने के लिए मद्रास की अपेक्षा कालीकट जाना अधिक सुविधाजनक होगा । अतः सरकार को माही के लोगों को अपने पारपत्र कालीकट से अपने पारपत्र बनवाने की अनुमाति देने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए । सत्यापन प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार विधायकों को भी दिया जाना चाहिए । सरकारी कर्मचारियों को पारपत्र देने के मामले में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जानी चाहिए क्योंकि सरकारी सेवा में नियुक्ति करने से पहले ही पुलिस द्वारा उनके बारे में जांच कर ली जाती है । यदि विभागाध्यक्ष यह समझे कि कर्मचारी विदेश जाने योग्य है तो उसे पारपत्र दे दिया जाना चाहिए ।

SHRI PADMACHARAN SAMANT SINHERA (Puri) : There are a large number of applications for passports pending with the passport offices. Special officers should be appointed to dispose of these applications.

There should be regional passport offices in each state. Also steps should be taken to ensure that passport is issued to an applicant within 15 days or one month of the application.

Those people who go abroad for employment have to face lot of difficulties. They do not get their pay in time. The Government should look into the problems of our nationals who are facing such difficulties in foreign countries.

The MP's have been given the authority to sign a verification certificate for a passport. This authority should also be given to MLA's. Also after a certificate from an MP there should be no police verification.

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : विधेयक का उद्देश्य पारपत्र की फीस बढ़ाना है । एक कारण यह दिया गया है कि पिछले $17\frac{1}{2}$ वर्षों से फीस नहीं बढ़ाई गई है जबकि पारपत्र सेवाओं की लागत काफी बढ़ गई है । लेकिन पिछले अनेक वर्षों से क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों से काफी पैसा सरकार को मिल रहा है । अतः यह कारण ठीक नहीं है ।

पारपत्र जारी करने में उदारता बढ़ने का काफी प्रचार किया गया है । लेकिन इसे जारी करने में होने वाले विलम्ब के अलावा और भी कई बाधाएं हैं । आवेदन पत्रों के ढेर लगे हैं । कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी है । जिस पत्र के अधीन किसी व्यक्ति को विदेश में रोजगार मिला है उसे वहां भारतीय दूतावास द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है । कोई भी विदेशी नियोक्ता इस प्रकार की प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहता और वे अन्य देशों से आदमी रख लेते हैं । विधेयक के खण्ड 6 में बहुत अलोकतंत्रीय बात कही गई है कि फीस की अदायगी, विधेयक पुरःस्थापित करने की तारीख से शुरू हो जाएगी । दोनों सभाओं द्वारा उसकी मंजूरी मान ली गई है । यह खंड अत्यंत आपत्तिजनक है ।

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI (Khalilabad) : The Government's policy of liberalisation in the matter of issue of passports is welcome. It is good that Members of Parliament have been authorised to issue verification certificates. This has given great relief to those who want to go abroad. Also procedure of police verification has been simplified. MLA's should also be authorised to sign verification certificate on passports.

A high powered immigation board should be constituted with representatives of concerned Ministries on it to attend to the difficulties faced by Indians in foreign countries.

With these words. I support the Bill.

***श्री ए० बी० पी० असाईथाम्बी** (मद्रास उत्तर) : वर्ष 1976 में पारपत्र आवेदनपत्रों की संख्या 5 लाख थी जो वर्ष 1977 में बढ़कर 9 लाख हो गई। इसका कारण जनता सरकार द्वारा पारपत्र संबंधी नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को उदार बनाया जाना है। यदि और सुविधाएं दी गई तो पारपत्रों के लिये आवेदनपत्रों की संख्या और बढ़ जाएगी। नागरिक का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि जहां चाहे जा सकता है। सरकार को इस कार्य में उसकी सहायता करनी चाहिए।

बहुत से हमारे लोग बाहर नौकरी करने के लिये पारपत्र चाहते हैं। संसद सदस्यों को आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देकर सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिये नये द्वार खोले हैं। विधायकों को भी यह अधिकार होना चाहिए।

पारपत्र के लिये फीस 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर देना जनता सरकार को शोभा नहीं देता। फीस उन लोगों के लिये बढ़ानी चाहिए जो बाहर मनोरंजन के लिये जाते हैं या तकनीकी जानकारी के लिये बाहर जाते हैं। लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं और वे नौकरी के लिये बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिये फीस नहीं बढ़ानी जानी चाहिए।

दक्षिण राज्यों में और क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिए क्योंकि देश की बेरोजगार जनता का 50 प्रतिशत भाग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में रहता है। यदि अधिक कार्यालय वहां होंगे तो आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाया जा सकेगा।

मदुरै, तमिलनाडु में उप-कार्यालय खोला जाए ताकि तमिनाडु के दक्षिणी जिलों के लोगों की कठिनाइयां कम हो सकें।

देश में ऐसी बहुत सी गैर-सरकारी एजेन्सियां हैं जो देश के भोले लोगों को विदेशों में एक उज्जवल भविष्य का चकमा देकर शोषण कर रहे हैं। सरकार को इन लोगों द्वारा नौकरी चाहने वाले लोगों को धोखा देने से बचाने के लिये इसी समय उचित कार्यवाही करनी चाहिए। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को लोगों को विदेशों में नौकरी के लिये जाने हेतु जिम्मेदार होना चाहिए। वर्तमान पासपोर्ट शुल्क द्वारा सरकार पर्याप्त आय कमा रही है। इसे बढ़ाकर 50 रुपये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह योजना छोड़ देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो कम से कम रोजगार संबंधी पारपत्रों की इस वृद्धि से छूट दी जानी चाहिए।

SHRI MAHI LAL (Bijnaur) : House building workers and carpenters of my constituency are going abroad.

***तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण।**

Hindi translation based in English translation of the Speech delivered in Tamil.

[श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए
SHRI DHIRENDRA NATH BASU *in the Chair*]

There are certain agencies who are fleecing the people who are willing to go abroad. These are poor people who go abroad for employment. They are harassed by private agencies who promise to get them jobs. The Government should take steps to prevent these private agencies from fleecing these simple poor people.

U.P. is a very big State. There is only one passport office there. A sub-office should be started for people of Western districts of U.P. who find it difficult to go to Lucknow. If it is not possible to start the sub-office, then the people of Western U.P. should be allowed to get their passports from Delhi.

श्री राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : प्रक्रिया को सरल बनाने और संसद् सदस्यों को पासपोर्ट फार्मों पर हस्ताक्षर का अधिकार देने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। अब क्षेत्रीय कार्यालयों के काम बहुत जल्दी से निपटाया जा रहा है। हैदराबाद में पारपत्र कार्यालय ने 15 दिन के अन्दर पारपत्र जारी किया है। इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है।

श्री जी० एस० रेड्डी (निम्यालगुडा) : उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि सरकार 5 रुपये प्रतिवर्ष की दर से पारपत्र शुल्क प्राप्त कर रही है। अब जबकि सरकार 50 रुपये वसूल करने जा रही है, तो क्या पारपत्र की अवधि में भी परिवर्तन किया जाएगा? आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ाकर लाखों तक पहुंच रही है। इससे पर्याप्त आय होनी चाहिए। शुल्क को बढ़ाकर 50 रुपये करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनेक राज्यों में पारपत्र जारी करने का काम बढ़ रहा है। काम बढ़ने के साथ-साथ कार्यालय भी बढ़ने चाहिए। केरल में काम बढ़ गया है। सरकार को पारपत्र जारी करने के लिये एक कार्यालय खोलना चाहिए। हमारे देश के लोगों के साथ दुव्यव्यहार करने संबंधी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। उदाहरण के लिये श्रीलंका के लिये हमें एक समिति का गठन करना चाहिए जो इन स्थानों का दौरा करें, छानबीन करे तथा उपचारात्मक उपायों संबंधी सुझाव दें ताकि भविष्य में हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार न हो। पारपत्र जारी करने के मामलों में राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित नहीं होना चाहिए।

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK (Khujrah) : I rice to support the Passport Amendment Bill. The authority given to MPs to sign verification certificates has given great relief to people who want to get passport. Passports should be sent to MPs for confirmation.

At present there is delay in issuing passports. Steps should be taken to expedite, issue of passports.

Poor people are going to foreign countries to earn their livelihood. It is not proper to ask them to give a fee of Rs. 50/-. Government should charge the fee of Rs. 50/- only from those who are income tax payees.

There should be a regional office in Bhopal in Madhya Pradesh. At present the people of Madhya Pradesh have to experience lot of difficulty—

SHRI CHOWDHRY BALBIR SINGH (Hoshiarpur) : The Government deserves congratulations for providing more facilities to people in the matter of getting passports. There is still scope for improving the working of passport offices.

There should be arrangements made for checking applications for passport when they are submitted. If there are any short comings they should be get removed so that people do not have to come again from distant places for that purpose.

At present people are sent for verification again even after MPs sign verification certificate. That should not be done.

Private agents harass people who want to go abroad. Some of them are in league with certain people from Gulf countries. The Government should look into the matter and take proper steps so that people are not harassed.

A passport office should be opened in Jullundur or Ludhiana in Punjab.

Diplomatic passports should be given to MPs while they go abroad.

SHRI NATHU RAM MIRDHA (Nagaur) : There is not passport office in Rajasthan and people have to come to Delhi in order to obtain passport. There is delay in issuing passport. Steps should be taken to see that passports are issued without delay. There should be a time limit of issuing a passport.

A passport office should be opened in Rajasthan soon.

At present private agencies harass people. The Government should allow only licensed agencies to do the work of sending people to foreign countries.

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : There has been increase in the number of application for passports. In 1973-74, 41 thousands applications for passport were received which rose to 1 lakh 8 thousand in the year 1976-77. To obtain a passport is our fundamental right.

The fees for income tax payees can be raised to Rs. 100. For non-tax payees, the fee should be less.

There should be a passport office at State headquarter in each State.

I want to suggest that there should be a passport office in each State. I am also of the opinion that some restrictions on passport are essential. It must be according to the procedure established by law. It should be taken as a rule and should not be taken as an exception. In case a passport in refused, the reason thereof must be stated and person concerned should be allowed to move the Court.

With these words, I support the Bill.

श्री पी० जी० मावंलकर (गांधीनगर) : विधेयक में उपबन्ध किया गया है जिसके अनुसार पासपोर्ट की फीस 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है। यह बहुत ही विचित्र बात है कि संसद की अनुमति से पूर्व ही इस उपबन्ध को लागू कर दिया गया है। मैं इसका भरपूर विरोध करता हूं। सरकार को संसद की स्वीकृति का पुर्वानुमान नहीं लगा लेना चाहिए। ऐसा करना केवल गलत ही नहीं अपितु ऐसा करना मूल रूप से अलोकतांत्रिक भी है।

हम यह चाहते हैं कि पासपोर्ट जारी करने वाला संगठन बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर कार्य करे। इसके लिये बहुत अधिक जटिल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि गरीब और अशिक्षित लोग आवेदन करें तो उनकी सहायता के साथ साथ, उनका मार्गदर्शन भी किया जाना चाहिए। यात्रा एजेंटों द्वारा इन लोगों का भीषण शोषण किया जाता है, उन्हें बुरी तरह से लूटा जाता है। इसीलिये सदन में बार बार यह मांग की जा रही है कि सभी राज्यों की राजधानियों में पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने चाहिए।

ऐसे कार्यालयों में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होना चाहिए, अपेक्षित सामान उपलब्ध होना चाहिए, स्थान का अभाव नहीं होना चाहिए तथा साथ ही उपयुक्त मात्रा में कुशल अधिकारी भी होने चाहिए। कर्मचारी ऐसे नियुक्त किये जाने चाहिए जिन्हें क्षेत्रीय भाषाओं का पूरा ज्ञान हो तथा जो लोगों की समस्याओं की अच्छी तरह समझ सकें।

जहां तक सरकारी कार्यालयों में विलम्ब का प्रश्न है, उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि विलम्ब ही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। चूंकि पारपत्रों में अधिक विलम्ब होता है, अतः

वहां भ्रष्टाचार भी अधिक ही होता है। अनेक मामले ऐसे होते हैं, जहां जानबूझ कर विलम्ब किया जाता है ताकि भ्रष्टाचार पनप सके।

पिछले वर्ष जनता सरकार ने संसद सदस्यों को पासपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी थी। इससे हमारे कार्य में काफी वृद्धि हो गई है परन्तु फिर भी हम सहर्ष इस कार्य को करते चले आ रहे हैं। परन्तु फार्म में हमसे यह पूछा जाता है कि क्या हम व्यक्ति विशेष को दो वर्षों से जानते हैं? ऐसा भला हम कैसे कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि यह उपबन्ध समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो हम ठीक हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। अन्यथा भारत सरकार हमसे झूठे बयान पर हस्ताक्षर करवाएगी।

यह काफी विचित्र बात है कि भारत सरकार ने हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं करवाई है कि हमें दो या तीन फोटोग्राफों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। अनेक आवेदक यह कहते हैं कि हम 3 फोटोग्राफों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। मेरे विचारानुसार भारत सरकार दो पर हस्ताक्षर चाहती है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hazipur) : At the outset, while welcoming the Bill, I want to know from the Goxernment to category of the people who are not allowed to go abroad. It is something strange that the people who are smugglers and capitalists are force to go to abroad. There is no restrictions on anti-social elements and they can go abroad as and when they want. But the poor fellows who are to go abroad for earning livelihood, there are several restrictions on them. I am rather of the opinion that all sort of restrictions on passport should be put to an end.

I will appeal the Government to have a liberal policy regarding passports. Passport officers should be opened in all State headquarters. In Bihar, there is no passport office. I suggest that one should be opened in Patna also.

श्री समरेन्द्र कुण्डु : जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर अपने मूल्यवान सुझाव दिय हैं, मैं उनका आभारी हूं। अनेक सदस्यों ने भ्रष्टाचार बढ़ने, पासपोर्ट बिल के संशोधन, संसद् सदस्यों के हस्ताक्षरों तथा गरीब लोगों की कठिनाइयों का उल्लेख किया है। मैं सब को बता देना चाहता हूं यह जब कभी भी हमें भ्रष्टाचार का समाचार मिलता है, हम उसके साथ कठोरता के साथ निपटते हैं। इस बारे में किसी के साथ उदारता या पक्षपात नहीं किया जाता है। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि संपूर्ण पासपोर्ट संगठन को भ्रष्टाचार का केन्द्र कहा जाये। मैंने स्वयं अनेक अवसरों पर देखा है कि अनेक अधिकारी बहुत ही निष्ठा से कार्य करते हैं, अपने कर्तव्य तथा दायित्व का पालन करते हैं। कई बार वह लोगों की सहायता करने के लिये समय से अधिक समय तक भी कार्य करते रहते हैं। मैं ऐसे निष्ठावान कर्मचारियों तथा अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

कुछ सदस्यगण : हमारी ओर से भी धन्यवाद कह दीजिए।

श्री समरेन्द्र कुण्डु : जहां तक फीस में की गई वृद्धि का प्रश्न है, यह वृद्धि पासपोर्ट कार्यालय में काम में हुई वृद्धि के कारण ही की जा रही है। आयेदिन पासपोर्टों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। प्रशासन तथा स्टाफ पर होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप ही यह वृद्धि की गई है।

पासपोर्ट शुल्क में वृद्धि पहली बार नहीं हुई है। इसे 5 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया है। अब पासपोर्ट की संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई है। इससे संबंधित सभी

कार्य बढ़ गये हैं। हमने गणना करके पता लगाया है कि हर पासपोर्ट पर 48 रुपये व्यय होते हैं। यदि आप इस काम में कार्य कुशलता चाहते हैं तो फीस बढ़ाये बिना काम नहीं चलेगा। मैं इस प्रस्ताव को संकोच के साथ लाया हूं।

कुछ सदस्यों ने एक व्यापक विधेयक लाये जाने पर बल दिया है। मैं इससे सहमत हूं और मानता हूं कि पासपोर्ट अधिनियम के कुछ भागों का संशोधन किया जाये। इस बारे में दिये गये सुझावों पर हम विचार करेंगे।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, यह ठीक है लेकिन आप विधेयक के बारे में क्या करने जा रहे हैं?

श्री समरेन्द्र कुंडु : हम इसे संशोधित करने जा रहे हैं और संशोधन का प्रारूप तैयार है।

हम समूची कार्यप्रणाली तथा संगठन को सुव्यवस्थित कर रहे हैं ताकि बाहर जाने वाले लोगों को तंग न किया जाए। संसद सदस्यों के अलावा राज्यों के विधायकों द्वारा इन आवेदन पत्रों का सत्यापन करने पर विचार कर रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने राजनयिक पासपोर्ट की बात की है। उन्होंने सदस्यों के लिये ऐसे पासपोर्ट की मांग की है। राजनयिक पासपोर्टों की सूची जो पहले तैयार की गई थी। की समीक्षा की जा रही है। हम इस सूची को पुनः बनाने पर विचार कर रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने राज्यों की राजधानियों में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिये कहा है। राजस्थान के मामले में जयपुर में ऐसा कार्यालय खोलने का निर्णय कर लिया गया है। जहां तक अन्य राज्यों का संबंध है हम ऐसे कार्यालय खोलने के लिये शीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि पारपत्र अधिनियम 1967 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The moion was adopted

खंड 2

सभापति महोदय : अब हम संशोधनों को लेते हैं। श्री वयालार रवि।

श्री वयालार रवि : मैं अपना संशोधन संख्या 7 तथा 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एडुआर्डो फेलोरो : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तत करता हं।

श्री एम० वी० सुधीरन : मैं अपने संशोधन संख्या 13 तथा प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं अपने संशोधन संख्या 19 तथा 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : श्री वयालार रवि, आप अपने संशोधनों के बारे में बोलना चाहते थे।

श्री वयालार रवि : पासपोर्टों की संख्या बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गई है और विभाग में आय भी बढ़ गयी है: अतः शुल्क बढ़ाना उचित नहीं है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 28 जुलाई, 1978/5 श्रावण, 1900 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 28, 1978/ *Sravana* 5, 1900 (*Saka*).

341LSS/78—210—19—10—78—GIPF.